लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 7—मंगलवार, 15 सितम्बर, 1964/24 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
177	चुनाव लड़ने के लिए साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध . .	665–70
178	पाकिस्तान के साथ वस्तु-विनिमय करार . . .	670–74
179	पराद्वीप पत्तन	674–76
180	वनस्पति में रंग का मिलाया जाना	676–80
181	मरुभूमि विकास बोर्ड	680–82
182	परिवहन सहकारी समितियां	682–85
183	विमान चालन में रेडियो की सहायता . . .	685–86
184	नेपाल को गेहूं का सम्भरण	686–88
185	वनस्पति	688

अल्पसूचना

प्रश्न संख्या		
2	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का सम्भरण . . .	689–92

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
186	दिल्ली में चीनी का अभाव	693
187	खाद्यान्नों का आयात	693–94
188	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के रेडियो अधिकारी .	694–95
189	चावल, गेहूं और चीनी का रक्षित भण्डार . . .	695
190	चीनी का निर्यात	696
191	गुड़ और खंडसारी के मूल्य	696
192	परिवहन विकास परिषद्	696
193	फसल बीमा योजना	697
194	गन्ने का मूल्य	697
195	खाद्य स्थिति	697–98
197	एगमार्क घी और तेल	698
198	चुनाव याचिकायें	698–99

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 7—Tuesday, September, 15, 1964/Bhadra 24, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
177.	Ban on Communal Parties for Election Purposes	665—70
178.	Barter Agreement with Pakistan	670—74
179.	Paradeep Port	674—76
180.	Colorisation of Vanaspati	676—80
181.	Desert Development Board	680—82
182.	Transport Co-operatives	682—85
183.	Radio Aids to Air Navigation	685—86
184.	Supply of Wheat to Nepal	686—88
185.	Vanaspati	688

Short Notice Question No.		
2.	Supply of Food grains to U.P.	689—92

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
186.	Sugar Scarcity in Delhi	693
187.	Import of Foodgrains	693—94
188.	Radio Officers of I.A.C.	694—95
189.	Buffer Stock of Rice, Wheat and Sugar	695
190.	Sugar Export	696
191.	Prices of Gur and Khandsari	696
192.	Transport Development Council	696
193.	Crop Insurance Scheme	697
194.	Price of Sugarcane	697
195.	Food Situation	697—98
197.	Agmark Ghee and Oil	698
198.	Election Petition	698—99

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

संख्या	विषय	पृष्ठ
199	सहकारी खेती	699
200	चीनी के कारखानों का पुनःस्थापन	700
201	हवाई अड्डों का विकास	700-01
202	चीनी का अभाव	702
203	दिल्ली दुग्ध योजना	702-03
204	कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य	703-04

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
542	खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञ	704
543	पर्यटन महानिदेशक का विदेशों का दौरा . . .	704-05
544	सघन खेती	705
545	गोसदन	706
546	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	706-07
547	दिल्ली दुग्ध योजना	707
548	कृषि सम्बन्धी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों का सम्मेलन	707-08
549	ग्रामीण कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम	708
550	बाजरा	708-09
551	बंगकोक में बाल अध्ययन संस्था	709
552	राजस्थान में कृषि कार्यक्रम का मूल्यांकन . . .	709
553	खाद्य का प्रति व्यक्ति उपभोग	709-10
554	यूनीसैफ द्वारा योजनाओं के लिए वित्त दिया जाना . .	710-11
555	राजस्थान में नलकूप	711-12
556	राष्ट्रीय कृषि मेला	712
557	भाण्डागार	712-13
558	आस्ट्रेलिया के हल का उपहार	713
559	सहकारी विपणन तथा परिष्करण विधि का विकास . .	713-14
560	ग्राम उद्योग	714
561	सहकारी समितियों के पंजीयकों का सम्मेलन . . .	715
562	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	715-16
563	पंचायतों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति . . .	716-17
564	संकर गेहूं	717
565	पश्चिमी बंगाल को चावल का दिया जाना . . .	717-18
566	भाण्डागार निगम	718
567	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद्	718-19
568	चूजों में महामारी	719
569	खाद्य उत्पादन	720

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
199.	Cooperative Farming	699
200.	Rehabilitation of Sugar Factories	700
201.	Development of Airports	700—01
202.	Shortage of Sugar	702
203.	Delhi Milk Scheme	702—03
204.	Prices of Agricultural Commodities	703—04

Unstarred Questions Nos.		
542.	Food Technologists	704
543.	D.G. Tourism Visits Abroad	704—05
544.	Intensive Cultivation	705
545.	Go-Sadans	706
546.	Road Accidents in Delhi	706—07
547.	Delhi Milk Scheme	707
548.	Conference of Editors of Agricultural Newspapers and Periodicals	707—08
549.	Rural Works Programme	708
550.	Bajra	708—09
551.	Institute of Children's Study in Bangkok	709
552.	Evaluation of Agricultural Programme in Rajasthan	709
553.	Per Capita Consumption of Food	709—10
554.	Financing of Schemes by UNICEF	710—11
555.	Tube wells in Rajasthan	711—12
556.	National Agricultural Fair	712
557.	Warehouses	712—13
558.	Gift of Australian Ploughs	713
559.	Development of Cooperative Marketing and Processing	713—14
560.	Village Industries	714
561.	Conference of Registrars of Co-operative Societies	715
562.	Indian Agricultural Research Institute	715—16
563.	Committee on Working of Panchayats	716—17
564.	Hybrid Wheat	717
565.	Supply of Rice to West Bengal	717—18
566.	Warehousing Corporation	718
567.	International Sugar Council	718—19
568.	Epidemic among Chickens	719
569.	Food Production	720

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
570	बंजारे	720–21
571	रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग	721
572	स्टाम्प शुल्क	721
573	भू-संरक्षण	722
574	खाद्य तथा कृषि संस्था के विशेषज्ञ	722–23
575	शिशु कल्याण	723
576	केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था	723–24
577	सामुदायिक विकास मन्त्रियों का सम्मेलन	724
578	यन्त्रीकृत फार्म	724–25
579	मध्य प्रदेश में आदिम जातियों के लोग	725
580	खाद्यान्नों का आयात	725
581	कृषि उत्पादन के लिये ऋण	725–26
582	समुद्र में मछली पकड़ने के लिये मछुआ नाव	726–27
583	रोड इंस्टीट्यूट, पूना	727
584	किसानों के लिये छोटे ट्रैक्टर	727
585	सहकारिता विभाग	727–28
586	समाज के दुर्बल वर्ग को सहायता	728—30
587	विशाखापत्तनम पत्तन में हड़ताल	730–31
588	छत्तीसगढ़ में पटसन की खेती	731
589	गोदामों में गेहूं को हुई हानि	732
590	गन्ने की पिराई	732
591	पंजाब में गेहूं का मूल्य	732–33
592	मछली-पालन उद्योग का विकास	733
593	राष्ट्रीय राजपथ	734
594	पर्यटन के सम्बन्ध में भारत-जापान समझौता	734–35
595	बीकानेर के लिये विमान सेवा चालू करना	735
596	उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ग्वालों की बस्ती	735
597	खानाबदोश पशुपालकों का पुनर्वास	735–36
598	राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव	736
599	राजस्थान में अकाल	736–37
600	गन्ना सहकारी संघों को कमीशन	737
601	उचित मूल्य की दुकानें	737–38
602	बम्बई के निकट उपपत्तन	738
603	अम्बर चर्खा केन्द्र	738–39
604	गिर शेर	739
605	वन्य पशुओं का निर्यात	739
606	कृषि विस्तार में प्रशिक्षण	740

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
570.	Nomads	720—21
571.	Raipur-Jagdalpur National Highway . . .	721
572.	Stamp Duty	721
573.	Soil Conservation	722
574.	F.A.O. Experts	722—23
575.	Child Welfare	723
576.	Central Research Institute	723—24
577.	Community Development Ministers' Conference .	724
578.	Mechanised Farms	724—25
579.	Tribals in Madhya Pradesh	725
580.	Import of Foodgrains	725
581.	Loan for Agricultural Production	725—26
582.	Trawlers for sea finshing	726—27
583.	Road Institute, Poona	727
584.	Small Tractors for Cultivators	727
585.	Department of Cooperation	727—28
586.	Assistance to Weaker Sections of the Community .	728—30
587.	Strike at Visakhapatnam Port	730—31
588.	Jute Cultivation in Chattisgarh	731
589.	Damage to Wheat in Godowns	732
590.	Crushing of Cane	732
591.	Price of Wheat in Punjab	732—33
592.	Development of Fisheries	733
593.	National Highways	734
594.	Indo-Japan Pact on Tourism	734—35
595.	Bikaner on Air Map	735
596.	Milk Colony in North West Rajasthan . . .	735
597.	Rehabilitation of Cattle Breeder Nomads . . .	735—36
598.	Scarcity Conditions in Rajasthan	736
599.	Famine in Rajasthan	736—37
600.	Commission to Cooperative Cane Unions . . .	737
601.	Fair Price shops	737—38
602.	Satellite Port near Bombay	738
603.	Ambar Charkha Centres	738—39
604.	Gir Lions	739
605.	Export of Wild Life	739
606.	Training in Agricultural Extension . . .	740

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
607	सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण	740
608	पंजाब में कृषि विकास	740–41
609	पंजाब में लघु सिंचाई	741
610	सहकारी समितियां	742
611	गेहूं और चावल का राशन	742
612	पालम हवाई अड्डा	742
613	उर्वरकों का आयात	742–43
614	अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार कार्यालय	743
615	पत्तनों में खाद्यान्नों का जमा होना	744
616	अहमदपुर नेशनल शूगर मिल्स	744
617	"भूख से विभुक्ति"	744–45
618	मत्स्य क्षेत्र संचालन प्रशिक्षण संस्था	745
619	उड़ीसा में चीनी मिलें	745–46
620	भिखारियों के बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था	746
621	सुन्दरबन क्षेत्र में मछलियां पकड़ना	746
622	वन	747
623	भूमि संरक्षण	747–48
624	लघु सिंचाई परियोजनायें	748
625	जम्मू में पर्यटकों के लिये आवास स्थानों की व्यवस्था	748–49
626	उद्योग में भविष्य निधि अंशदान	749
627	उद्योगों में भविष्य निधि योजना	750
628	पटसन की खेती का क्षेत्र	750–51
629	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28	751
630	पर्यटक गाइड	751–53
631	गिर शेरों का निष्क्रमण	753
632	चावल को पालिश करना	753
633	दूध की बोतल में मक्खी	754
634	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, उत्तरखण्ड	754
635	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र	754–55
636	त्रिपुरा में अम्बर चरखे	755
637	सूरतगढ़ कृषि फार्म	756
638	सामाजिक कार्य सम्बन्धी भारतीय सम्मेलन	756
639	मेहतरों के लिये हाथ गाड़ियां	756–57
640	दिल्ली दुग्ध योजना का कर्मचारी वर्ग	757
641	पशुपालन आयुक्त	757
642	फूलपुर संसदीय उपचुनाव	757–58
643	चीनी	758

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
607.	Survey of Border Areas	740
608.	Agricultural Development in Punjab	740—41
609.	Minor Irrigation in Punjab	741
610.	Cooperative Societies	742
611.	Rationing of Wheat and Sugar	742
612.	Palam Airport	742
613.	Import of Fertilizers	742—43
614.	Employment Exchanges for the Handicapped	743
615.	Foodgrains Congestion in Ports.	744
616.	Ahmedpur National Sugar Mills	744
617.	"Freedom from Hunger"	744—45
618.	Fisheries Operative Training Institute	745
619.	Sugar Mills in Orissa	745—46
620.	Education of Beggars' Children	746
621.	Fishing in Sunderbans Area	747—47
622.	Forests	747
623.	Soil Conservation	747—48
624.	Minor Irrigation Projects	748
625.	Accommodation for Tourists at Jammu	748—49
626.	Provident Fund Contribution in Industries	749
627.	Provident Fund Scheme in Factories	750
628.	Acreage under Jute Cultivation	750—51
629.	National Highway No. 28	751
630.	Tourist Guides	751—53
631.	Exodus of Gir Lions	753
632.	Polishing of Rice	753
633.	Fly in Milk Bottle	754
634.	Khadi and Village Industries Commission, Uttara Khand	754
635.	Khadi and Village Industries Commission and Khadi Gramodyog Kendra	754—55
636.	Ambar Charkhas in Tripura	755
637.	Suratgarh Agricultural Farm	756
638.	Indian Conference of Social Work	756
639.	Wheel Barrows for Scavengers	756—57
640.	Staff of Delhi Milk Scheme	757
641.	Animal Husbandry Commissioner	757
642.	Phulpur Parliamentary Bye-Election	757—58
643.	Sugar	758

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
644	बाल अपराध	758–59
645	दूध और घी की कमी	759
646	अन्दमान में इमारती लकड़ी प्राप्त करना . . .	759
647	अन्दमान में इमारती लकड़ी की हानि . . .	760
648	अन्दमान में इमारती लकड़ी निकालने की दरें . .	760
649	राजस्थान रेगिस्तान	760–61

सभा पटल पर रखे गये पत्र — 761–62

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में लोक-सभा में 26 मार्च, 1964 को दिये गये आंकड़ों में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य

श्री दा० रा० चव्हाण — 762

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव — 762–79

श्री मुरारका	762–64
श्री जी० भ० कृपालानी	764–65
श्री अ० क० गोपालन	765–68
श्री गो० ना० दीक्षित	768–69
श्रीमती सावित्री निगम	769–70
श्री चन्द्र भान सिंह	770–71
श्री यु० सि० चौधरी	771–72
श्री त्यागी	772–73
श्री कृ० चं० पन्त	773–74
डा० सरोजिनी महिषी	774–76
श्री फ्रेंक एन्थनी	776–77
श्री म० ला० द्विवेदी	777–78
श्री बाल्मीकी	778–79
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	779

Unstarred Questions Nos	*Subject*	PAGES
644.	Juvenile Delinquency	758—59
645.	Shortage of Milk and Ghee	759
646.	Timber Extraction in Andamans	759
647.	Loss of Timber in Andamans	760
648.	Rates for Extraction of Timber in Andamans	760
649.	Rajasthan Desert	760—61

Papers laid on the Table . . . . 761—62

Statement correcting figures given on 26-3-64 in Lok Sabha in connection with Demands of Food and Agriculture Ministry .

Shri D. R. Chavan 762

Motion of No-confidence in Council of Ministers . . . 762—69

Shri Morarka . . . . 762—64

Shri J. B. Kripalani . . . . 764—65

Shri A. K. Gopalan . . . . 765—68

Shri G. N. Dixit . . . . 768—69

Shrimati Savitri Nigam . . . . 769—70

Shri Chandrabhan Singh . . . . . . 770—71

Shri Shri Y. S. Chaudhary . . . . . . 771—72

Shri Tyagi . . . . 772—73

Shri K. C. Pant . . . . 773—74

Dr. Sarojini Mahishi . . . . 774—76

Shri Frank Anthony . . . . 776—77

Shri M. L. Dwivedi . . . . 777—78

Shri Balmiki . . . . 778—79

Shrimati Lakshmikanthamma 779

(1)	The title of the book and the contents of the title page, with translation into English of such title and contents, when the same are not in the English language;	लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण dated 15-9-64 (Summarised Translated Version of Lok Sabha Debates)
(2)	The language in which the book is written;	Hindi/English
(3)	The name of the author, translator or editor of the book or any part thereof;	Lok Sabha Secretariat
(4)	The Subject ;	Proceedings of the Lok Sabha
(5)	The place of printing and the place of publication;	Printed at the Govt. of India Press, New Delhi. Published by the Lok Sabha Secretariat at the Parliament House, New Delhi.
(6)	The name of firm of the printer and the name or firm of the publisher;	- do -
(7)	The date of issue from the Press or of the publication;	27-10-64

P.T.O.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

(8)	The number of sheets, leaves or pages;	665-779
(9)	The size;	Octavo
(10)	The first, second or other number of the edition;	First Edition
(11)	The number of copies of which the edition consists;	600
(12)	Whether the bo k is printed or lithorgraphed;	Printed
(13)	The price at which the book is sold to the Public; and	One Rupee
(14)	The name and residence of the proprietor of the copyright or of any portion of such copyright.	Lok Sabha Secretariat Parliament House, New Delhi.

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 सितम्बर, 1964/24 भाद्र, 1886 (शक)

Tuesday, September 15, 1964/Bhadra 24, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चुनाव लड़ने के लिए साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध

+

*177. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री अ० सिंह सहगल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री स्वैल:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :
श्री कजरोलकर :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावों में भाग लेने के लिए साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के औचित्य के सम्बन्ध में सरकार और चुनाव आयुक्त को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति को स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या आपातकाल की घोषणा किये जाने से कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय एकता समिति ने साम्प्रदायिकता की परिभाषा सम्बन्धी कार्य को अपने हाथ में लिया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समिति के निष्कर्ष क्या थे ?

श्री जगन्नाथ राव : इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय तो नहीं किया गया प्रतीत होता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय उपमंत्री ने अभी बताया है कि इस मामले में सरकार का कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है । क्या यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि सरकार जैन प्रतिवेदन से सिद्धान्तरूप में सहमत नहीं है अथवा यह निर्णय इस कारण किया गया है कि समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के मार्ग में सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : साम्प्रदायिक दलों की परिभाषा करने में कुछ संवैधानिक तथा कानूनी कठिनाइयां हैं । पहली बात तो यह है कि यह कहना ही कदाचित कठिन है कि कौन सा दल साम्प्रदायिक दल है । विभिन्न अधिनियमों में इस संबंध में पहिले ही उपबन्ध किये हुए हैं । उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता में धारा 153-क है जिस के स्थान पर 1961 में नई धारा रखी गई है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के अधीन सारभूत अपराध की व्यवस्था की गई है । सरकार यह समझती है कि ये विभिन्न उपबन्ध इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Has any decision been taken for defining Communalism in politics according to Indian jurisprudence ?

Mr. Speaker : He says is it rather difficult to do so.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the Government of India propose to ban Communal parties on whether they have received any memoranda naming certain parties as Communal or have Government taken a decision that those parties are working on communal lines?

श्री जगन्नाथ राव : सरकार ने किसी भी दल को साम्प्रदायिक दल घोषित नहीं किया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चुनाव के समय साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के विरुद्ध संविधान में जो गारंटियां दी गई हैं वह साम्प्रदायिकता के नाम में जनसमुदाय के किसी भाग से अपील करने को रोकने के लिए और एक कुरीति को न पनपने देने के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसाकि मैं बता चुका हूं, भारतीय दंड संहिता की संशोधित धारा 153-क में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी जनसमुदाय, धर्म अथवा जाति के नाम में किसी चुनाव एजेन्ट अथवा उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली अपील को अवैध कुरीति घोषित किया गया है, जिसके अपनाने पर चुनाव को रद्द किया जा सकता है। दूसरे, 1961 में उसी अधिनियम में धारा 125 के अधीन सारभूत अपराध का उपबन्ध किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी चुनाव एजेन्ट अथवा उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली ऐसी अपीलों को ऐसा अपराध समझा जायेगा जिसके लिये उन्हें तीन वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।

Shri Rameshwaranand: On a point of order, Sir, when Government have not been able to define communalism and decide the names of parties which they consider as being communal, could such a question be raised on the floor of the House? I want your ruling on this point.

Mr. Speaker : My ruling is that such a question can be raised.

Shri Rameshwaranand: When there is no decision of the Government on the matter, how could it be raised? How are you giving this ruling?

Mr. Speaker : I have given my ruling. This question can be raised.

Shri Yashpal Singh: Have Government ever thought over this fac talso that can such a party claim itself to be a nationalist party which accepte he division of the country on a communal basis and surrendered before the two-nation theory?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गत ढाई वर्षों के दौरान किसी समय ऐसा कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और क्या इस सुझाव के परिणामस्वरूप सरकार ने भारतीय राजनीति के एक अवयव के रूप में साम्प्रदायिकता का अध्ययन किया है ?

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न का सरकार सर्वदा अध्ययन करती रही है परन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि सरकार यह समझती है कि इस समय ऐसा कोई निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : A few months ago, a report submitted by our ex-Minister, Shri Ajit Prasad Jain, was published in which Jan

Sangh has been named as a communal party. Have Government considered this matter and if so, whether his report was based on a previous report or was his decision based on some other factor.

श्री जगन्नाथ राव : सरकार के सामने कई प्रतिवेदन जिन पर वह अभी तक विचार कर रही है, परन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया है; सरकार यह समझती है कि इस समय कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जो दल अपने को राजनीतिक दल कहते हुए भी साम्प्रदायिक प्रचार कार्यवाहियां करते हैं उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री जगन्नाथ राव : हाल के चुनावों के परिणामों से यह देखा गया है कि साम्प्रदायिक दलों के प्रतिनिधि संसद् में अथवा राज्य विधानसभाओं में अधिक संख्या में निर्वाचित नहीं हुए हैं ।

श्री दे० जी० नायक : क्या कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जोकि विभिन्न वर्गों और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भावात्मक एकता पैदा करने के कार्य में बाधा डाल रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री जगन्नाथ राव : संविधान के अधीन लोगों को संस्थायें बनाने की स्वतंत्रता दी गई है । यह स्वतंत्रता मानवीय कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है । इसलिए कोई निर्णय लेना कदाचित कठिन है । सरकार भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती । वह नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहता ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि 1953 में साम्प्रदायिक दलों और संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक विधेयक बनाया गया था, परिचालित किया गया था और उस पर विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने विचार किया था तथा चर्चा की थी ? क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से सरकार ने इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां आईं और उनके कारण सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है ।

श्री स्वैल : मैं इनमें से कुछ कारणों को जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कारण यह है कि इस बात का निर्णय करने में कुछ कठिनाइयां हैं कि कौनसे दल साम्प्रदायिक दल हैं ; फिर संवैधानिक कठिनाइयां भी हैं ; और इसके बाद अभिव्यक्ति तथा संगठन की निर्बाध स्वतंत्रता को बने रहने का प्रश्न भी है ।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या सरकार उन साम्प्रदायिक संगठनों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर रही है जोकि बहुत समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसे कुछ संगठन हैं । परन्तु यह कहना कठिन है कि कौन साम्प्रदायिक है । जब हम किसी संगठन विशेष से यह कहते हैं कि वह साम्प्रदायिक है तो वह इस बात को अस्वीकार कर देता है । इसलिए किसी दल पर साम्प्रदायिकता का ठप्पा लगाना कदाचित कठिन है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार यह बता सकती है कि साम्प्रदायिक प्रचार कार्यवाहियों के कारण कितने चुनाव रद्द कर दिये गये थे ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ऐसे भी कुछ दल विद्यमान हैं जोकि चुनावों में हर प्रकार के साम्प्रदायिक प्रचार का कार्य कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात से सहमत नहीं है । पहला प्रश्न संगत नहीं है ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : माननीय मंत्री ने जिन संवैधानिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है उनको दूर करने के लिये क्या सरकार का संविधान में संशोधन करने का विचार है ?

श्री जगन्नाथ राव : इस समय सरकार का यह विचार है कि इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : संविधान अधिनियम के अधीन चुनावों को लड़ने में भारत में बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय पर जो भारी दबाव है उसके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने के लिये क्या सरकार का एक आयोग को स्थापित करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिलकुल दूसरी ही बात है ।

श्री भगवत झा आजाद : यदि सरकार किन्हीं राजनीतिक दलों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती, तो क्या वह चुनावों के दौरान किये जाने वाले धार्मिक तथा अन्य इस प्रकार के प्रचार के, जोकि देश में धर्मनिरपेक्ष चुनावों के हित के प्रतिकूल है, विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्यवाही करेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के साथ मिला कर धारा 125 के अधीन किये गये उपबन्ध इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं । यदि कोई नवीन स्थिति हुई तो उस का भी उपाय करने के लिये विधि के अधीन व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री तुलशीदास जाधव : भारत के कौन-कौन से दल तथा संगठन साम्प्रदायिक समझे जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे अभी इसका निश्चय नहीं कर सके हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या ऐसे भी कोई राजनैतिक दल हैं जिनके सदस्य किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति ही हो सकते हैं, यदि हां, तो उनको साम्प्रदायिक दलों के रूप में घोषित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क कर रहे हैं ।

Shri Bishan Chander Seth : The hon. Minister has stated that parties propogating castism are considered as being communal. The Congress party has utmost belief in this theory. Is it also considered as being communal?

श्री रामनाथन् चेट्टियार : माननीय उपमंत्री महोदय ने जिस समिति का उल्लेख किया है क्या उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : कौनसा प्रतिवेदन ?

श्री रामनाथन् चेट्टियार : उस समिति का जोकि इस प्रश्न की जांच कर रही है ।

1326 (ai) LS—2.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उन्हें अध्यक्ष को सम्बोधित कर के प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : उन्होंने मुझ से पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने आप से पूछ था तो आप को उसका उत्तर नहीं देना चाहिये था । अगला प्रश्न ।

Barter Agreement with Pakistan

\+

*178. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bishan Chander Seth:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Dhaon:
Shri B. P. Yadava:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Vishram Prasad:
Shri P. C. Borooah :
Shri Bishwanath Roy :
Shri Solanki :
Shri D. C. Sharma :
Shri Narasimha Reddy:
Dr. L. M. Singhvi :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Basappa :
Shrimati Jyotsna Chanda :
Shri Rama Chandra Mallick :
Shri Mohammad Elias :
Shri P. G. Sen :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Veerappa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the terms and conditions of the barter agreement reached recently between India and Pakistan ;

(b) the total quantity of goods to be exchanged as also its value, and the time within which the exchange will be completed; and

(c) the benefit accruing to India by purchasing foodgrains from Pakistan as compared to other countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). Under the Agreement signed with the Government of Pakistan on the 17th July, 1964, India will import 70,000 tons of rice and Pakistan will purchase from India such goods as coal, biri leaves, spices, lime stone, umbrella fittings, stone boulders, crude drugs and railway equipment of equivalent value. The rice purchased is expected to arrive before the

end of this year. The Indian goods to be purchased by Pakistan under the Agreement will be imported by them by the 16th July, 1965.

(*c*) Payment for the rice purchased from Pakistan will be made it non-convertible Indian rupees to be utilised by Pakistan for the purchase of goods from India. From the other countries the imports of rice are normally made against payment in foreign exchange.

Shri M. L. Dwivedi : Pakistan Government have stated that by concluding this agreement with us they have done an act of favour to this country. May I know what favour has been shown to us in this matter and whether such agreement could not be concluded with other countries?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): हम पर किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में, इससे कुछ पहिले पाकिस्तान ने यह बताया था कि उनके पास लगभग एक लाख टन चावल बेचने के लिये है और उसने इससे पूछा था कि क्या हम उसे खरीदने के इच्छुक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय हमें चावल की बहुत ही आवश्यकता थी परन्तु हमें वह किसी दान या कृपा के रूप में नहीं दिया गया था। उसके बदले में हम बराबर के मूल्य की वस्तुयें दे रहे हैं। यह पूर्णतः एक व्यापार करार है।

Shri M. L. Dwivedi : Have similar trade agreements been concluded with other countries also and if so, is there any similarity between the terms of those agreements and the agreement concluded with Pakistan?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, चावल के आयात के लिये हमने थाइलैण्ड और कम्बोडिया के साथ भी करार किये हैं। परन्तु क्योंकि यह चावल हमें एक विशेष समम पर दिया गया था अतः वे समझते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की है। कुछ हद तक उनकी बात सच भी कही जा सकती है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह चावल किस मूल्य पर खरीदा गया है और वह कम्बोडिया अथवा अन्य देशों से खरीदे जाने वाले चावल से कम मूल्य पर खरीदा गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रत्येक देश को दिये जाने वाले चावल के मूल्य को बताना मैं उचित नहीं समझता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इससे पहले भी हम पाकिस्तान से खाद्यान्नों का आपात करते रहे हैं और यदि हां, तो कितनी ? यह वस्तु विनिमय करार क्यों किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी जानकारी में नहीं। इससे पहले पाकिस्तान से चावल का आयात नहीं किया गया।

श्री सुबोध हंसदा : पाकिस्तान से कितना चावल खरीदा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हमें 70,000 टन चावल दिया गया है परन्तु यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत ही कम है।

अध्यक्ष महोदय : श्री धवन। श्री भी० प्र० यादव। इन सदस्यों के नाम तो प्रश्न के साथ दिये हुए हैं परन्तु वे प्रश्न पूछने के लिये खड़े ही नहीं हो रहे।

श्री फ० गो० सेन : अब तक हमें कितना चावल दिया है तथा हम कितनी वस्तुयें वहां पर भेज रहे हैं।

श्री द० रा० चह्वाण: कुछ चावल हमें मिला है। इस वर्ष के अन्त तक अर्थात दिसम्बर तक 70,000 टन चावल भारत के लिये जहाज पर लाद दिया जायेगा। पाकिस्तान जिन वस्तुओं को संभवतः खरीदेगा उनके बारे में मैं पहले भी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बता चुका हूं। वे इस प्रकार हैं :—200 लाख रुपये का कोयला, 40 लाख रुपये की बीड़ी बनाने की पत्तियां, 40 लाख रुपये के मसाले, 10 लाख रुपये का चूने का पत्थर, 12 लाख रुपये की छतरियां, 12 लाख रुपये के पत्थर, तथा 40 लाख रुपये की औषधियां तथा रेलवे का सामान।

श्री विश्वनाथ राय : इस वस्तु विनिमय आधार पर पाकिस्तान को जिन वस्तुओं का निर्यात होगा वह क्या उस भाव पर वहां भेजी जायेंगी जो उनका भारत में भाव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर बातचीत की जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी : वस्तु विनिमय करार के अधीन जो चावल हमें मिल रहा है उसके अतिरिक्त क्या यह सच है कि क्या पाकिस्तान ने हमें गेहूं भी देने का वायदा किया था तथा यदि हां, तो क्या इस संबंध में क्या करार हो गया है तथा यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। जिस गेहूं की पेशकश की गई थी उसकी किस्म हमें अच्छी नहीं लगी।

श्री क० ना० तिवारी : यह अल्पकालीन करार है अथवा दीर्घकालीन करार है, तथा यदि यह दीर्घकालीन करार है तो ऐसा करार क्यों किया गया है तथा इसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह 70,000 टन चावल दिए जाने के लिये हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कितने धन की वस्तुओं के तथा कितनी वस्तुओं के निर्यात के लिये पाकिस्तान से करार किया गया है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पाकिस्तान जिन वस्तुओं को खरीदेगा उनको मैंने अभी बताया है।

श्री प्र० चं० बरुआ: क्या यह सच है कि अमरीका से पाकिस्तान आने वाले अनाज को भारत भेजने से पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया है तथा ऐसा किन कारणों से किया गया जबकि इस देश में अनाज की बहुत कमी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम चाहते थे कि कुछ जहाज भारत भेज दिए जायें जिससे 15 अथवा 20 सितम्बर तक अनाज हमें मिल जाये। पाकिस्तान ने जिन जहाजों को भेजना स्वीकार किया वह सितम्बर के अन्त तक भारत आने वाले हैं। उस समय तक तो हमारे कई जहाज आ जायेंगे।

श्री पु० र० पटेल : जब पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो किन कारणों से इतना दब कर पाकिस्तान से चावल का आयात किया गया; और

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसमें दबने की कोई बात नहीं देखता हूं। यह एक व्यापार करार है तथा अन्य बहुत सी बातों के बारे में हमने पाकिस्तान से व्यापार समझौते कर रखे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह सच नहीं है कि इन वस्तुओं के पाकिस्तान को निर्यात करने के कारण हमारे देश में इन वस्तुओं की कमी हो जायेगी। कठिनाई विशेषतया चूने के पत्थर की है। क्योंकि इसकी इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि में ज़रूरत पड़ती है। क्या इस संबंध में कोई विचार किया गया है चूने के पत्थर का पाकिस्तान को निर्यात न हो?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे पास निर्यात करने के लिये चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में है।

श्री दी० चं० शर्मा : वस्तु विनियमन करार की पेशकश पाकिस्तान ने की थी अथवा खाद्य तथा कृषि मंत्री पाकिस्तान गये थे या उन्होंने पाकिस्तान को लिखा था कि इतने टन चावल हमें देदे?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि उन्होंने एक लाख टन चावल देने का प्रस्ताव किया था क्योंकि यह चावल उनकी खपत से फालतू था। इसलिये हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या वह चावल हमें मिल सकता है। बातचीत के बाद पता लगा कि वह हमें 70,000 टन चावल दे सकते हैं।

श्री बासप्पा : यह चावल देश के किस भाग के लिये उपलब्ध होगा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पश्चिमी तट के राज्यों के लिये।

श्री दे० जी० नायक : पाकितान से आयात किए गए चावल की किस्म किस प्रकार की है मोटा चावल अथवा बढ़िया चावल?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह चावल दोशी तथा कांगनी चावल है।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल में मछली की कमी है तथा पाकिस्तान में मछली पर्याप्त मात्रा में होती है तो क्या सरकार ने कभी प्रयत्न किया है कि मछली के बारे में पाकिस्तान से वस्तु विनिमय करार करें?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल को मछली का आयात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वस्तु विनिमय करार करना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार समझती है कि दोनों देशों में उन वस्तुओं का व्यापार करार करने से आपस में संबंध अच्छे हो जायेंगे जिन वस्तुओं का व्यापार करार अभी नहीं किया गया है तथा यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान से व्यापार संबंध बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध अभी भी बने हुए हैं। माननीय सदस्य ने कोई नया सुझाव नहीं दिया है?

श्री कपूर सिंह : मैं जानता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध हैं। मैंने पूछा था कि "क्या सरकार का विचार इन व्यापार संबंधों को बढ़ाने का है"।...

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: : मैं वाणिज्य मंत्री नहीं हूं। कृपया वह यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछें।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती : क्या सरकार जानती है कि कलकत्ते में मछली बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि पाकिस्तान से आने वाली मछली बहुत कम कर दी गई है। क्या वस्तु विनिमय करार के अधीन पश्चिम बंगाल में मछली की कमी को पूरा करने के बारे में विचार किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ओ० जी० एल० के अधीन पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल को मछली का निर्यात किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मछली के मूल्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। इससे मछली आने में गड़बड़ी हो गई। अब तो केवल उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं और इसलिये वस्तु विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Shri Sheo Narain : Whether any arrangement will be made to have barter deal in poultry ?

Mr. Speaker : Do you want to introduce barter system in poultry?.

Shri Sheo Narain : This can also be araranged.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : पाकिस्तान की घोषित नीति के कारण कि वह भारत के विरुद्ध अमरीकी शस्त्र उपयोग करेगा क्या सरकार का विचार है कि यह वस्तु विनिमय करार सम्मानपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में अलग अलग राय हो सकती है।

श्री रा० ना० चतुर्वेदी : क्या वस्तु विनिमय करार के अधीन पाकिस्तान से आई गोलियों का भी कोई हिसाब रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

परादीप पत्तन

\+

*179. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री नम्बियार :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में परादीप पत्तन को एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में वित्तपोषित करने तथा उसके निर्माण कार्य को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या परादीप पत्तन के निर्माण कार्य की प्रगति के तथा उस पर किये गये वास्तविक व्यय के बारे में कोई प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है ;

(ग) क्या परियोजना में अनियमित व्यय से संबंधित शिकायतों से भी सरकार अवगत है ; और

(घ) क्या इस समय चल रहे निर्माण कार्य का पत्तनों संबंधी कोई केन्द्रीय विशेषज्ञ अधीक्षण कर रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस विषय में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों के बाबत सरकार को मालूम है। इस प्रायोजना को प्रदेश सरकार कार्यान्वित कर रही है और शिकायतों पर विचार करना प्रदेश सरकार का काम है।

(घ) जी नहीं।

Shri Yashpal Singh : Whether any Parliamentary Committee has been constituted to inspect this Port under the leadership of Shri Kapur Singh? If so, the details of the report submitted by this Parliamentary delegation?

Shri Raj Bahadur : I am sorry to say that I have not received any report and I am not aware of this committee.

Shri Gulshan : Whether Central Government has offered any assistance to State Government in regard to the development of Paradip Port. If so, the nature of the assistance?.

Shri Raj Bahadur: Intermediate Port Development Committee was the first Committee of Engineers and Port Workers. This Committee has recommended that Paradip Port should be developed as a Intermediate Port in the Third Plan and a provision of Rs. 1·5 crore had been made for it. Afterwards State Government on its own initiative decided to develop it as a all weather Port. But Central Government was not ready to share any responsibility in this regard and the assistance of Rs. 1·5 crore was only for its development as a Intermediate Port.

श्री गोकुलानन्द महन्ती : इस वर्ष मई में परादीप पत्तन का दौरा करने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल की व्यय तथा काम की प्रगति के बारे में क्या राय है तथा योजना आयोग के उपसभापति की क्या राय है ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, मेरे पास संसदीय प्रतिनिधिमंडल का कोई प्रतिवेदन नहीं आया है।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को कोई जानकारी है कि काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है तथा निर्माण कार्य समय से पहले ही पूरा हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : जी हां। मूल अनुमानों के बारे में पूरा विवरण मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या काम अनुसूची के अनुरूप हो रहा है।

श्री राज बहादुर : काम शीघ्रता से हो रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether Central Government enquire about the working and schedule after paying its contribution for its development?

Shri Raj Bahadur : I told in the very beginning that full responsibility for the development of this Port is of State Government. But they wanted some assistance which we gave them.

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या परादीप पत्तन का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में जो हो रहा है माननीय सदस्य ध्यान से उसे सुनते नहीं हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने भारत के बड़े पत्तनों का दौरा करते समय इस पत्तन का कई बार दौरा किया था । यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इस पत्तन के बारे में कुछ बताया था ?

श्री राज बहादुर : मुझे कोई जानकारी नहीं है कि विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने परादीप पत्तन का दौरा किया था । उन्होंने हल्दिया पत्तन का दौरा किया था ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस परियोजना की जिम्मेदारी तथा इसमें धन लगाना सरकार ने इस कारण से ठीक नहीं समझा क्योंकि कलकत्ता पत्तन के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे ?

श्री राज बहादुर : ऐसा नहीं है । योजना आयोग द्वारा बनाया गया तथा संसद् द्वारा स्वीकृत एक पत्तन विकास कार्यक्रम है तथा तीसरी योजना में बड़े पत्तनों के विकास का काम बड़ा सीमित रखा गया है । परादीप पत्तन इसमें नहीं आता है ।

Colorisation of Vanaspati

\+

*180. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P.C. Borooah:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 15 on the 11th February, 1964 and state:

(a) the further progress made in regard to the colorisation of vanaspati ghee, and

(b) the reasons for the delay in this matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (*a*) A report has been drafted and the same is under consideration of the members of the Experts Committee.

(b) The researches programmed by the Committee had to be completed before the Report could be drafted.

Shri Prakash Vir Shastri : Govenment always comes with the same reply that the experts are being consulted the draft of the report os being prepared etc. May I know whether Goverment propose to colour vanspati or not? Whether some parties are putting pressire and Government is delaying?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह बड़ी ही कठिन समस्या है। सरकार द्वारा कुछ न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक तकनीकी समिति परामर्श देगी कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए। उपलब्ध सामग्री से पता लगता है कि यह एक बड़ी ही कठिन समस्या है। इस समिति के कोई ठोस परिणाम निकलेंगे इसमें भी मुझे संदेह है।

Shri Prakash Vir Shastri: Last time Government replied to a question that they have discovered a colour for colourisatioon. Now what are the difficulties which came in the way ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : रतनजोत को उपयुक्त बताया गया था परन्तु जांच से पता लगा कि यह नशीला पदार्थ है तथा इसका रंग भी स्थाई रूप से नहीं रहता।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Which is the Indian group with rested interest due to whose pressure Government do not want to colour vanaspati even though that is the declared policy?

Mr. Speaker : How Hon. Member assumed that due to pressure Goverment do not want to colour vanaspati.

Shri Yashpal Singh : Whether Government is aware that this question is being discussed in this Parliament for 17 years and Hon. Thakurdas Bhargava died for its sake? If capitalists always come in the way of colourisation of vanaspati, why Government do not formulate a scheme to colour Ghee?

Mr. Speaker: Shri P. R. Chakravarty

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस अनुसंधान के परिणामों पर पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब के कारण क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अनुसंधान कार्य तो होता ही रहता है और कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो लाभदायक हो।

श्रीमती सावित्री निगम : समिति ने विचार कितना कर लिया है ? क्या वनस्पति में रंग मिलाने के किसी तरीके का पता लगा लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दो वस्तुओं पर विचार किया जा रहा है। इनमें से एक रतनजोत है तथा दूसरी हल्दी है। जब तक सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं कर लिया जायेगा तब तक अनुसंधान कार्य होता रहेगा। अनुसंधान कार्य के परिणामों के आधार पर वे अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know the composition of this committee and when it will submit its report to Government ?

Shri D. R. Chavan: The members of the committee are given below:

1. Dr. V. Subrahmaniam, Director, Central Food Technological Research Institute. Mysore.

2. Dr. K. Venktaraman, Director, National Chemical Leboratory, Poona.

3. Dr. B. Mukherjee, Director , Central Drug Research Institute, Lucknow.

4. Dr. R. S. Thakur, Deputy Chief Scientific officer (Army) Ministry of Defence.

5. Dr. N. N. Dastoor, Principal Dairy Science College, Karnal and

6. Shri K. P. Jain, Chief Director (Sugar and Vanaspati) Ministry of Food and Agriculture (Convener).

श्री प्र० चं० बरुआ : जबकि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि स्पुतनिकों का उत्पादन सम्भव हो गया है तो क्या हमारे लिये भारत में वनस्पति में मिलाने के लिये अहानिकारक रंग ढूंढना बहुत कठिन है ? या ऐसा इसलिये है कि सरकार ने इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे साथी ने समिति के सदस्यों के नाम पढ़ दिये हैं। वे सर्वोपरि वैज्ञानिक हैं। यह केवल रंग को ढूंढने का ही प्रश्न नहीं है। जब वनस्पति को मिलावट के लिये प्रयोग में लाया जाये तो रंग उड़ना नहीं चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : For how long is the Ministry of Food and Agriculture of the Govt. of India trying to find out a suitable Colouring matter for the Vanaspati?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार स्वयं उपयुक्त रंग का पता नहीं लगा सकती; यह काम तो केवल वैज्ञानिक ही कर सकते हैं।

Mr. Speaker : The Hon. Member will be glad, if it is told that this matter is pending for the last 15 years.

Shri Y. S. Chaudhary : By what time the Govt. will be able to finish this work.

Mr. Speaker: The Govt. are doubtful whether they will be able to do this work.

Shri Y. S. Chaudhary : Then they should say that they are giving it up for ever.

Mr. Speaker : They are trying for it. But still it is better if this question is raised after every 2-3 months.

Shri Rameshwaranand : The Committee have not been able to find out a suitable colour for Vanaspati which is lasting and which is not harmful, or is it that the Committee have finally concluded that there is no edible colouring matter which can be given to Vanaspati.

Mr. Speaker : That is not so otherwise it would have been dissolved long ago.

श्री ओंकीम श्राल्वा : तो क्या हम इसका अर्थ यह समझें कि हमारे योग्य वैज्ञानिक इस अनुसन्धान कार्य में उसी तरह असफल रहे जिस तरह कि वे सस्ती कारें बनाने के कार्य में असफल रहे थे या इसलिये कि वनस्पति के निर्माता बड़े जोर शोर से अपने हितों का प्रचार करते रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जानकारी दे दी गई है। निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

श्री जोकीम आल्वा : पिछले 15 वर्षों से इस कार्य पर अनुसन्धान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक तर्क का मामला है।

श्री दाजी : क्योंकि कैंसर के लिये अभी तक कोई उपचार नहीं निकल सका है, इसलिये इसका भी कोई हल नहीं निकल सकता है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि मुख्य कठिनाई अथवा अड़चन टैक्नोलोजिकल है अथवा प्रशासनिक है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह टैक्नोलोजिकल है। ऐसे रंग का पता लगाने के लिये जो ये सब बातें पूरी करता हो, वैज्ञानिक अनुसन्धान करना पड़ेगा।

श्री पु० र० पटेल : रंग के इस असफल अनुसन्धान पर कितना पैसा खर्च किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है, मेरे पास यहां पर आंकड़े नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि सरकार पिछले 17 वर्षों में इस देश में किसी ऐसे विशेषज्ञ अथवा वैज्ञानिक का पता लगाने में असफल रही है जो वनस्पति के लिये रंग ढूंढ सके, तो क्या अन्य मामलों की तरह इस मामले को निबटाने के लिये भी किसी विदेशी विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि विदेशी विशेषज्ञ . . .

श्री भागवत झा आजाद : क्यों नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : . . . हमारे वैज्ञानिकों से अधिक योग्य हैं।

श्री भागवत झा आजाद : फिर 17 वर्ष के बाद भी आप को सफलता क्यों नहीं मिली ?

श्री दाजी : इस समस्या का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के दल में क्या कभी कोई परिवर्तन किया गया है अथवा वही वैज्ञानिक बराबर काम कर रहे हैं; यदि उनको बदला गया है तो कितने वैज्ञानिकों को बदला गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह समिति 10 जून, 1960 को नियुक्त की गई थी; मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह है कि उस से पहले क्या स्थिति थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह समिति . . .

Shri P. L. Barupal : My submission is that regarding this question of Vanaspati Govt. always gives an evasive reply which is not proper. I fail to understand that in this scientific age it should be difficult to find a suitable colouring matter for the Vanaspati.

श्री दाजी : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है जबकि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते थे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : समिति 10 जून, 1960 को नियुक्त की गई थी। मुझे विश्वास है कि इस समिति से पहले भी कुछ समितियां थीं क्योंकि मुझे याद है कि यह प्रश्न अस्थायी संसद् में भी उठाया गया था। इसलिये अनेक समितियां नियुक्त की गई हैं और यह अन्तिम समिति है; शायद कुछ अन्य समितियां भी इस प्रश्न पर अनुसन्धान करेंगी और हल निकालने का प्रयत्न करेंगी।

श्री राम सेवक यादव : अच्छा यही है कि इसका हल निकाला जाये ।

मरू भूमि विकास बोर्ड

+

*181. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित मरुभूमि विकास बोर्ड के कृत्यों, अधिकारों और परिचालन कार्यक्रम के ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नये बोर्ड के कार्य-क्षेत्र तथा कार्य-कलाप क्या होंगे तथा मरुभूमि विकास कार्य में राज्यों का किस सीमा तक तथा किस रूप में सहयोग प्राप्त होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : बावजूद इसके कि भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने मरुभूमि विकास बोर्ड की स्थापना के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, इस बोर्ड को स्थापित नहीं किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि इस ओर सरकार का बेपरवाही का रवैया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कब लाया गया था, कार्यकारी दल ने सरकार को कब रिपोर्ट दी और प्रस्तावित बोर्ड, जिसे कि सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, के कृत्यों और अधिकारों को अन्तिम रूप देने में इतना समय क्यों लगा है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कितने पद बनाये जायेंगे और उनके वेतन-मान आदि क्या होंगे इन सब बातों के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं । अतः मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त होते ही इन को अन्तिम रूप देना संभव हो जायेगा ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कुल कितना पैसा खर्च होगा और यह प्रस्ताव कब तक लागू हो जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके लिये पहले कुछ पाइलट योजनाएं चलाई जायेंगी और उन योजनाओं के आधार पर एक अधिक व्यापक योजना चलाई जायेगी । आशा है कि तीसरी योजनावधि में लगभग 12·5 लाख रु० खर्च होंगे, और चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 10·12 करोड़ रु० खर्च होंगे ।

Shri Yashpal Singh : May I know the action taken against the officers responsible for the hundred percent decay of the trees planted in Jasalore area?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है।

Shri Y. S. Chaudhuri : Apart fron Rajastan in what other parts of the Country, especially that of Punjab, this Desert Board will operate?

Mr. Speaker : All this is given in the statement,

Shri Tan Singh : What relation if any, this Desert Development Board will have with the Planning Commission and whether this Desert Development Board will have its own separate Master Plan?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तत्पश्चात् यह बोर्ड पाइलट परियोजनाएं बनायेगा और उन पर काम करेगा, और उन पाइलट योजनाओं के आधार पर इस मसले को हल करने के लिये एक व्यापक योजना बनाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : योजना आयोग के साथ क्या सम्बन्ध होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्वभावतः योजना आयोग योजना के लिये मंजूरी देगा ; परन्तु वास्तविक कार्य में योजना आयोग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमारे पास पहले से ही एक शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था है। क्या मैं यह समझूं कि उसने अभी तक किसी पाइलट योजना पर काम नहीं किया है? इस 12 लाख रुपये की राशि से क्या कार्य किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 12·5 लाख रु० की राशि तीसरी योजना के दौरान व्यय की जायेगी परन्तु चौथी योजनावधि के लिये प्रत्याशित खर्चा 10·12 करोड़ रुपये है। यह विशिष्ट योजनाएं बनाने और उन पर काम करने और उसके अनुभव के आधार पर एक व्यापक योजना बनाने का, प्रश्न है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह नहीं था। हमारे पास पहले से ही शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है, और उसने पहले से ही कुछ कार्य किया है। क्या ऐसी कोई योजना नहीं है जो उस कार्य के आधार पर चलाई जा सके।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। एक अधिक व्यापक योजना बनाने से पूर्व हमें कुछ पाइलट परियोजनाओं पर काम करना पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस समय हमारे पास कुछ भी उपयोगी अनुभव नहीं है।

श्री दे० जी० नायक : क्या कच्छ के निकट 10,000 वर्ग मील की मरु भूमि में कोई पाइलट परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम कुछ पाइलट परियोजनायें आरम्भ कर रहे हैं, जिनके आधार पर बाद में हमें एक अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाना है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या अब तक इसके कार्य क्षेत्र का पता लगाया गया है, और यदि हां, तो सरकार इस कार्य को किस प्रकार करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके महत्व को समझ लिया गया है और इसी लिये इस प्रस्ताव को लाया गया है, और इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री जोकीम आल्वा : पाइलट योजनायें आरम्भ करने से पहले क्या अधिकारियों ने यह पता लगाने का कष्ट किया है कि अन्य देशों ने क्या किया है, विशेषत: मिस्र देश जैसे कि संयुक्त अरब गणराज्य जहां कि साहरा में यूकेलिप्टस और अन्य वृक्ष लगाये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम बनाते समय अन्य देशों द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : पश्चिमी एशिया के देश इजराइल ने पिछले 15 या 16 वर्षों में जो आश्चर्यजनक प्रगति की है और जहां पर कि मरुभूमि खिल उठी है, क्या सरकार इससे अवगत है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में उस देश से कोई सहायता अथवा सहयोग प्राप्त करने का विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बोर्ड के बन जाने के पश्चात् सहायता जहां से भी उपधब्ल होगी ली जायेगी ।

परिवहन सहकारी समितियां

\+

*182 { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री नम्बियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री म० र० कृष्णा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन सहकारी समितियों से सम्बन्धित एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने राष्ट्रीकृत परिवहन सेवाओं की अनुपूर्ति के लिए यात्री तथा माल परिवहन सहकारी समितियां बनाने के लिये सहायता की सिफारिश की है ;

(ख) अध्ययन दल के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटलप्पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3115/64]

श्री अ० क० गोपालन : दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं जो इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री राज बहादुर : मुख्य सिफारिशें वित्त पोषण अधिकरणों के बारे में हैं । आप कहें मैं उनको विस्तार से बता दूं आप कहें उनकी मोटी-मोटी बातें बता दूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ये ब्योरे विवरण में नहीं दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : विवरण में ये बातें नहीं दी गई हैं क्योंकि ये पूछी नहीं गयी थीं।

चतुर्थ योजना के लिये कार्यक्रम, आर्थिक एकक की परिभाषा, पूंजी की रचना, चतुर्थ योजना के लिये वित्तीय उपबन्ध आदि दिये गये हैं।

श्री अ० क० गोपालन : विवरण में दिया गया है कि वे राज्य सरकारों आदि से परामर्श कर रहे हैं। वे किन और अभिकरणों से परामर्श कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों से, जो इस क्षेत्र में पहले से कार्य कर रही हैं, परामर्श करना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों की राय जानने के बाद सड़क और देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति और परिवहन विकास परिषद् से परामर्श किया जाना है।

Shri Yashpal Singh : Are Govt. going to nationalise only the passenger buses or goods transport trucks are also to be nationalised?

Shri Raj Bahadur : This question pertains to Co-opratives and not to the nationalisation.

श्रीमती रेणुका राय : क्या ये सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को सामान्य रूप से स्वीकार्य हैं ? क्या किसी राज्य सरकार ने अभी तक अपनी राय भेजी है ?

श्री राज बहादुर : राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के लिये कोई राय जाहिर करना कठिन है, इसी प्रकार उन दो समितियों के लिये भी ऐसा करना कठिन है जिनका मैंने जिक्र किया है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या राज्य सरकारों ने अपनी राय भेज दी है ?

श्री राज बहादुर : राज्य सरकारों को पहले ही इस बारे में लिखा हुआ है।

श्री दाजी : क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त व्यवस्था करने वाले साहूकार गरीब मोटर संचालकों को ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर रुपया उधार देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे कि मोटर संचालकों को कम ब्याज पर रुपया उधार दिया जा सके ?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि वित्त व्यवस्था करने वाली गैर-सरकारी सस्थायें बहुत ऊंची दरों पर सूद लेती हैं। इसलिये, सुव्यवस्थित किराया-खरीद संस्थाओं को स्थापित करने के लिये कुछ व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित अधिनियम में इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन कर दिये गये हैं। इस प्रकार हम इस समस्या को हल कर रहे हैं। इस समिति ने भी इस प्रश्न की जांच की है और यह सलाह दी है कि गैर-सरकारी मोटर संचालकों के लिये ऋण प्राप्त करने के हेतु राज्य तथा जिला सहकारी बैंकों और अन्य ऐसी संस्थाओं के संसाधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस दल ने सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ बताया है कि ये सहकारी बैंक आदि परिवहन सहकारी समितियों में कितने रुपये का विनियोजन कर सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने इस प्रश्न की जांच की है और यह सलाह दी है कि प्रत्येक सदस्य को पहली बार में लगभग 1,000 रुपये का विनियोजन करना चाहिये तथा शेष 500 रुपये का इसके बाद में, और अपेक्षित धन का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये ।

श्री पें वेंकटासुब्बया: : जिन राज्यों में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है उनमें यात्री यातायात के सम्बन्ध में परिवहन सहकारी समितियों के परिचालन के बारे में क्या इस दल ने कोई विशिष्ट सिफारिश की है ?

श्री राज बहादुर: जहां पर राष्ट्रीयकरण के पश्चात् परिवहन सेवायें आरम्भ की जा चुकी हैं वहां पर परिवहन सेवाओं को सहकारी क्षेत्र में लाने का विचार नहीं है । परन्तु जहां पर नयी परिवहन सेवायें आरम्भ की जानी हैं वहां पर जहां तक सम्भव हो सकेगा सहकारी क्षेत्र को अधिमान दिया जायेगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : राष्ट्रीकृत परिवहन सेवाओं की अनुपूर्ति के लिये सहकारी परिवहन समितियां बनाने की बात पर सरकार को क्योंकर विचार करना पड़ा ?

श्री राज बहादुर : मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को एक नियमित तथा क्रमबद्ध ढंग में पूरा करती है । परन्तु यात्री तथा माल दोनों ही प्रकार की अतिरिक्त सड़क परिवहन सुविधाओं की मांग बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिये जितना व्यवस्था कोई राज्य सरकार कर सकती है वह करती है और शेष मांग को पूरा करने के लिये सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

Shri Tulshidas Jadhav : Government are not giving facilities to the existing transport cooperative societies at present. If any facilities are being given to them, may I know the details thereof?

Shri Raj Bahadur : They are being given same facilities also. For the issue of permits etc, preference is given to a cooperative society, if it is recognized.

श्री बी० च० शर्मा : क्या किसी अन्य देश में भी परिवहन सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और यदि हां, तो क्या अपने देश में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिये उन देशों के अनुभव की भी जानकारी कर ली गई है ?

श्री राज बहादुर : वे अन्य देशों में भी कार्य कर रही हैं । मैं समझता हूं कि इजराइल अपनी सहकारी समितियों के लिये विख्यात है । परन्तु सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के कार्य को हमने एक नीति के रूप में अपना लिया है ।

श्री बूटा सिंह : क्या इन परिवहन समितियों की सहायता करने के लिये सरकार का एक वित्त निगम को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : ऐसी भी एक सिफारिश की गई है कि ऐसे निगमों की स्थापना की जानी चाहिये और इसके लिये धन राज्य सरकार से अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया से लिया जा सकता है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार को बेल्लारी जिले से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जहां कि एक सहकारी समिति पंजीकृत हुई है और उसे विकासबोर्ड अथवा खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई है ?

श्री राज बहादुर : इस समय मुझे ऐसी किसी भी शिकायत की जानकारी नहीं है परन्तु यदि मुझे उसकी एक प्रति दी जायेगी तो निश्चय ही मैं उस मामले की जांच करूंगा ।

विमान चालन में रेडियो की सहायता

+
*183. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि हाल ही में पालम हवाई अड्डे पर विमान चालन में सहायता करने के लिये दो आधुनिक रेडियो सहायक यंत्र स्थापित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण से विमान परिवहन में कहां तक मदद मिली है ;

(ग) उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ; और

(घ) क्या सरकार दूसरे हवाई अड्डों पर भी ऐसी व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ) मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3116/64**]

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण में यह कहा गया है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नागपुर के हवाई अड्डों पर वी० ओ० आर० सुविधायें पहिले ही से उपलब्ध है, जब कि पालम हवाई अड्डे पर, जो कि देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, इनकी व्यवस्था हाल ही में की गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो : बात ऐसी है कि कलकत्ता और बम्बई के हवाई अड्डे भी महत्वपूर्ण हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : नागपुर तक में भी ये सुविधायें पहिले से उपलब्ध हैं । दिल्ली की ही बारी इतनी देर से आई है।

श्री कानूनगो : दिल्ली हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेन्टलर लैंडिग की सुविधा उपलब्ध है जो कि अन्य किसी हवाई अड्डे पर नहीं है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह वी० ओ० आर० उसी प्रकार का होगा जैसा कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर है ?

1326 (Ai) LSD—3.

श्री कानूनगो : इसके बारे में तो मैं नहीं जानता परन्तु यह चौदह अन्य हवाई अड्डों को उपलब्ध किया जायेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस उपकरण की विशेष बातें क्या हैं और क्या इसकी व्यवस्था होने से कोई विमान खराब मौसम में भी उतर सकेगा और यदि हां, तो क्या उत्तर पूर्वी हवाई अड्डों पर भी इस उपकरण को लगाने का कोई प्रस्ताव है जहां कि आम तौर पर मौसम खराब रहता है ।

श्री कानूनगो : इससे दिशा का ज्ञान करने में विमान को सहायता मिलती है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यह नया उपकरण इससे पहिले के उपकरण से किस बात में अधिक अच्छा है ?

श्री कानूनगो : रेडियो संचार के कार्य को यह अधिक अच्छी तरह करता है, बस इससे अधिक बताना मेरे लिये कठिन है ।

श्री जोकीम आल्वा : 1952-53 में इस सदन द्वारा जिस दिन विमान निगम विधेयक पारित किया गया था ठीक उसी रात को दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडियन एयर-लाइन्स का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक तथा कई यात्री मारे गये थे । दस लाख रुपये मात्र व्यय करके इस उपकरण को लगाने में हमें तेरह वर्ष का समय क्यों लगा है ?

श्री कानूनगो : मेरा अनुमान है कि इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुस्तकालय में रख दी गई थी । इसके अतिरिक्त यह उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता नहीं करता । दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिक उपयोगी उपकरण की व्यवस्था की हुई थी ।

नेपाल को गेहूं का सम्भरण

+

*184. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता गोदियों से प्रति दिन नेपाल को 500 टन गेहूं का सम्भरण करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार किन शर्तों पर नेपाल सरकार को गेहूं का सम्भरण करने के लिये सहमत हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य सरकार की प्रार्थना पर नेपाल सरकार को 5,000 मीट्रिक टन अमरीकी गेहूं निम्न शर्तों पर दिया गया :—

(1) संयुक्त राज्य सरकार द्वारा गेहूं की इतनी ही मात्रा कलकत्ते में वापिस की जाएगी ; और

(2) गेहूं उठाने, निकासी, परिवहन और अन्य सभी प्रासंगिक व्यय संयुक्त राज्य सरकार द्वारा अदा किये जायेंगे ।

श्री रामेश्वर टांटियाः : लागत के अतिरिक्त, कलकत्ता पत्तन पर जहाजों का भारी जमाव हो गया था और मैं समझता हूं कि हमें इसके लिये करोड़ों रुपये विलम्ब-शुल्क के रूप में देने पड़े थे और इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस पहलू पर भी विचार किया गया है ?

श्री वा० रा० चह्वाण : इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है । अमरीका ने यह प्रार्थना की थी ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकर यह समझती है कि इस गेहूं का नेपाल में ही उपभोग किया जायेगा और उसका चीन जैसे अन्य देशों को फिर से निर्यात नहीं किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): यह केवल 5,000 टन गेहूं है । और मैं समझता हूं कि इसके लिये इन सब बातों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Vishwanath Pandey : When was this process of supplying 5,000 tonnes of wheat to Nepal begun and when would it be completed ?

Shri D. R. Chavan : We have supplied 5000 tonnes of wheat. This supply was stated on 16th June 1964 and completed on 13th August, 1964.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इतनी ही मात्रा में भारत सरकार नैपाल को गेहूं भेज रही है अथवा नैपाल सरकार ने अधिक गेहूं की मांग की थी और अपनी मांग की मात्रा बताई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अमरीकी सरकार ने हमसे यह कहा था कि पी० ल० 480 करार के अधीन जो गेहूं हमें दिया जा रहा है उसमें से 5,000 टन गेहूं नेपाल को दे दिया जाये जिससे कि वहां का खाद्य संकट कम हो सके । इस व्यवस्था के अनुसार हमने गेहूं दिया था ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि यह गेहूं जो कि हम नैपाल को दे रहे हैं उस गेहूं में से दिया जा रहा है जो कि हमारे देश में अकाल की स्थिति की चीख पुकार पर विदेशियों ने हमें दिया है और यदि हां, तो सरकार इस बात को किस प्रकार उचित समझती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यमः : हमको सैंकड़ों हजार टन गेहूं मिलता रहा है और उसमें से हमें 5,000 टन गेहूं नेपाल को वहां के खाद्य संकट को कम करने के लिये भेजना पड़ा । मैं समझता हूं कि इससे यदि हमें कुछ कठिनाई भी हुई है तो भी हमें यह गेहूं वहां पर भेजना ही चाहिये था और मुझे इस बात के लिये प्रसन्नता है कि वह भेज दिया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उस गेहूं के बदले में जो कि हमने नैपाल को दिया था हमें उनकी सद्भावनाओं के अतिरिक्त और भी कुछ मिला है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस 5,000 टन गेहूं के बदले में अमरीकी सरकार हमें इतना ही गेहूं और दे देगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या नैपाल सरकार से हमें कोई पारस्परिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बदले में नेपाली चावल देने को कहा गया है जो कि वहां पर फालतू है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके बदले में हम कोई चीज नहीं लेना चाहते।

वनस्पति

\+

*185. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना के वापस लिये जाने के उपरांत मूल्य बढ़ जाने के कारण सरकार वनस्पति के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). वनस्पति के मूल्यों में जो हाल ही में वृद्धि हुई है वह केवल कच्चे वनस्पति तेलों (विशेष रूप से मूंगफली के तेल) के मूल्य में वृद्धि के कारण ही है जिनसे कि वनस्पति बनाया जाता है। मूंगफली और वनस्पति के मूल्यों को स्थिर करने के लिए भारत सरकार वनस्पति उद्योग में प्रयोग करने के लिए पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से 75,000 मीट्रिक टन सोयाबीन का तेल मंगाने की बातचीत कर रही है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि मूंगफली का तेल, जिसका उपयोग वनस्पति घी को बनाने में 95 प्रतिशत की मात्रा में होता है, इस समय देश में इतने ऊंचे मूल्य पर बिक रहा है जितना कि पहले कभी भी नहीं था और यदि हां, तो क्या मूंगफली के तेल के मूल्य को कम करने के लिये सरकार कुछ उपाय करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मूल्य को कम करने के लिये ही तो हमने मूंगफली के तेल का निर्यात बन्द कर दिया है और हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कार्य के लिये ऋण न दिया जाये। फसल करने का आगामी मौसम जब आरम्भ हो जायेगा तो कदाचित इसके मूल्य के कम होने की सम्भावना है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का संभरण

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या खाद्यतथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को वचन दिये गये खाद्यान्न के कोटे में कमी कर रही है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों के बीच तय की गई व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार बाधा उपस्थित कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय काश्तकारों को रबी फसल के लिये पर्याप्त बीज देने की स्थिति में नहीं है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). पंजाब सरकार ने 25,000 टन स्वदेशी गेहूं एकत्रित कर लिया है जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार को दिये जाने का प्रस्ताव था । इसमें से 5,000 टन गेहूं अस्थायी तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात को दे दिया गया है । बीज के लिये गेहूं के घोर अभाव के कारण, यह सारा का सारा 25,000 टन गेहूं इन तीनों राज्य सरकारों द्वारा केवल बीज के लिये ही उपयोग में लाया जा रहा है, खाने के काम में नहीं । बीज के लिये गेहूं की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग भारत सरकार के पास आई है और अधिकतम संभव सीमा तक उस मांग को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि जुलाई 1964 तक उत्तर प्रदेश सरकार को दिये जाने के लिये जो खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित की गयी थी वह नियमित रूप से नहीं दी जाती रही है तथा पूरी निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, बम्बई बन्दरगाह पर हुई श्रम सम्बन्धी गड़बड़ी के कारण इसमें कुछ विलम्ब हो गया था, परन्तु वह कमी अब दूर कर दी गई है । माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि वास्तव में अगस्त अर्थात् पिछले महीने के लिये हमने 1,05,000 मीट्रिक टन गेहूं निर्धारित किया था जब कि उन्हें 1,21,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया गया है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार को यह सूचित कर चुकी है कि यदि रबी की फसल के लिये उस राज्य को तुरन्त ही बीज नहीं दिया गया तो किसानों को भारी हानि होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसका उत्तर पहिले ही दे चुका हूं कि हम पंजाब में गेहूं एकत्रित करने के लिये और उसे उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को भी देने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने बीज की मांग की है, और केन्द्रीय सरकार उस मांग को कहां तक पूरा कर सकेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रारम्भ में 2,00,000 लाख मीट्रिक टन बीज की मांग की गई थी परन्तु बातचीत के पश्चात् उन्होंने अपनी मांग घटाकर 40,000 से 45,000 मीट्रिक टन कर दी है। हमें आशा है कि 40,000 टन की इस पूरी मांग को हम पूरा कर सकेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बीज के लिये 40,000 मीट्रिक टन गेहूं के सम्भरण के पश्चात् यदि गेहूं फिर से अनियमित रूप से दिया गया तो बीज के गेहूं का भी खाने के लिये उपयोग किये जाने की सम्भावना है ? इसलिये नियमित रूप से गेहूं का सम्भरण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बीज को भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिये जितना गेहूं निर्धारित किया गया है वह सभी इसी महीने के दौरान भेज दिया जायेगा और इससे सम्बन्धित सभी कार्यवाही की जा रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस खाद्य संकट की स्थिति में उत्तर प्रदेश की सहायता करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार की ओर से कोई अनिच्छा प्रकट की गई है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं यह नहीं कह सकता कि यह उनकी अनिच्छा है। पंजाब का एक पृथक् ज़ोन है जिसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसी आशा की जाती थी कि उस क्षेत्र में जो उत्पादन होगा वह उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त होगा। अब यदि उस क्षेत्र से निर्यात किया जाता है तो स्वभावतः ही वहां पर अभाव की स्थिति पैदा होने की सम्भावना उन्हें बनी रहेगी। परन्तु इसके बावजूद भी पंजाब सरकार दूसरे राज्यों के लिये अपेक्षित मात्रा में बीज को एकत्रित करने के लिये तैयार हो गया और वह उन राज्यों को बीज भेज रही है।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just stated that 25,000 tons of seed is being supplied to Uttar Pradesh. But ravi crop is grown in Bihar also. Are any arrangements being made to supply seed to that State and if so, by when it is to be supplied ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बिहार की मांग ७,००० मीट्रिक टन की है और उनको भी बीज भेजा जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने बड़ी दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिये गेहूं की निर्धारित मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है और सभी राज्यों के मामले में ही ऐसी बात है, परन्तु क्या यह सच नहीं है कि बिहार राज्य के लिये निर्धारित किये गये आवंटन में कमी कर दी गई है और इस पर भी उस राज्य को बहुत सा गेहूं नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया था उसके इस भाग की आड़ में माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि अन्य राज्यों के मामले में भी कटौती नहीं की गई है। परन्तु किसी मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर के केवल एक भाग के आधार पर ही अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें। मुख्य प्रश्न को भी सर्वदा ध्यान में रखना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : मैं तो एक निश्चित प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या यह सच है कि नहीं कि बिहार को पहिले किये गये आवंटन में कमी कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर देने के लिये नहीं कहूंगा इस बात के लिये मन्त्री महोदय की आलोचना करने के हेतु अन्य कोई अवसर खोज लिया जाये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमान् आपने बताया है कि ऐसे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं जिनका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध न हो । मेरा विचार ऐसा है--सम्भव है वह ग़लत हो--मैं आपसे मार्ग दर्शन चाहता हूं--कि एक सदस्य द्वारा पूछे गये मूल प्रश्न के आधार पर ही अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परन्तु जब मन्त्री महोदय मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उस उत्तर के आधार पर भी अनु-पूरक प्रश्न पूछ जाते हैं । इसलिये मन्त्री द्वारा पेश किए गए विवरण के आधार पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत नहीं हूं । ऐसा होने पर हम मूल प्रश्न से दूर भटक जायेंगे । प्रश्न इस्पात के बारे में होगा परन्तु पहुंच आग, लकड़ी वृक्षारोपण, वर्षा पर जायेंगे । इसलिये अनुपूरक प्रश्न पूछते समय मूल प्रश्न का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा चावल के मूल्य बढ़ गये हैं तथा दोनों ही वस्तुयें प्रति सेर एक रुपया के हिसाब से बिक रही हैं । यदि ऐसा है तो क्या ऐसा केन्द्र से अनाज विलम्ब से पहुंचने के कारण हुआ है, और यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिये खाद्यान्नों का नियमित सम्भरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि जहां तक केन्द्र से अनाज भेजने का सम्बंध है हम सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता जो लगभग 100,000 टन अथवा 105,000 टन है पूरी होती रहे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मूल्यों के बारे में क्या किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने मूल्यों तथा सम्भरण को एक साथ मिला दिया । उन्होंने बताया कि पर्याप्त तथा नियमित रूप से अनाज वहां भेजा जाता रहेगा । यही तो वह चाहते हैं कि मूल्य कम हो जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न में एक ही बात पूछी गई होती तो उत्तर भी सीधा मिल जाता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह पूछा था कि दोनों वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि ऐसा केन्द्र द्वारा अनियमित सप्लाई के कारण हुआ है । यदि यह है तो केन्द्र सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कदाचित माननीय सदस्य देसी गेहूं के बारे में कह रहे हैं। इसका आयात किये गये गेहूं से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिसको नियन्त्रित दामों पर दिया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether there was any agreement between Punjab and U.P. that Punjab will supply wheat to U.P. for seed purpose and in exchange U.P. will supply sugar to Punjab. But as central Government has come in the way this agreement was not implemented. May I know that whether it was right on the part of Central Government to come in the way ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस मामले में पंजाब सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। केन्द्र पंजाब सरकार से गेहूं लेता है और विभिन्न राज्यों को भेज देता है। ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच कोई अलग समझौता नहीं हो सकता है।

श्री इक़बाल सिंह : पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को किन मूल्यों पर गेहूं देगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस गेहूं को किसानों को अथवा उपभोक्ताओं को किन मूल्यों पर बेचेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पंजाब में मूल्य नियंत्रण है। पंजाब में जो मूल्य होते हैं उन पर गेहूं लिया जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस गेहूं को परिवहन भार आदि मिला कर न लाभ, न हानि के आधार पर किसानों को दे देगा।

श्री जोकीम आल्वा : क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों को बचा कर रखने के लिये जंगली हाथियों को नष्ट किया जा रहा है। क्या माननीय मन्त्री ने हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस सम्बन्ध में पत्र पढ़ा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने वह पत्र नहीं पढ़ा।

श्री बूटा सिंह : पंजाब सरकार ने जब उत्तर प्रदेश सरकार को गेहूं देना स्वीकार कर लिया तब क्या ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं लेने के लिये पंजाब सरकार के पास अपना कोई आदमी तीन सप्ताह तक नहीं भेजा ?

श्री चि०सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : उनके पास धन नहीं था अत: वह गेहूं नहीं खरीद सके।

Shri Rameshwaranand : At what price Punjab Government is supplying wheat and seed to U.P. and at what price U.P. Government will supply this to farmers ?

Mr. Speaker: The same question was asked by Shri Iqbal Singh. Hon. Member should be attentive.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में चीनी का अभाव

*186. श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री चांडक :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी दिल्ली में चीनी का अभाव बराबर बना हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाजार में चीनी उपलब्ध नहीं है और विशेषकर जून मास में लगभग १५ दिन तक दिल्ली में चीनी बिल्कुल ही नहीं थी ; और

(ग) इस असफलता की दृष्टि से, राजधानी में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध करने और इसके मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3117/64]

खाद्यान्नों का आयात

*187. श्री नम्बियार :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ज० ब० सिंह विष्ट :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ महीनों में खाद्यान्नों के आयात के लिये कुछ देशों से कोई नया सौदा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान से 70,000 टन चावल ।
थाईलैण्ड से 10,000 टन चावल ।
आस्ट्रेलिया से 75,000 टन गेहूं ।
कनाडा से 86,000 टन गेहूं ।

पाकिस्तान से आयात वस्तु विनिमय व्यवस्था के अधीन होना है और कनाडा से कोलम्बो योजना सहायता के अधीन । शीघ्र ही कम्बोडिया से 10,000 टन चावल के आयात के लिए और अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन 1964-65 में गेहूं और चावल के आयात के लिए करारों पर हस्ताक्षर होने हैं । थाईलैण्ड के साथ पहले ही करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के रेडियो अधिकारी

*188. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के रेडियो अधिकारियों ने अपनी मांगों के पूरा

न किये जाने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार 80 घंटे प्रति मास उड़ान करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन मांगों के कारण जनता को समय-समय पर कठिनाई का सामना न करना पड़े सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) आल इण्डिया रेडियो आफिसर्स एसोसियेशन ने अपने मांग-पत्र पर समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए कारपोरेशन के प्रबन्धकों पर दबाव डालने की दृष्टि से 8–7–1964 से उड़ान के समय/ड्यूटी के समय की परिसीमाओं को लागू करने और रेडियो उपस्करों की उड़ान के दौरान जांच करनी बन्द करने की धमकी दी थी ।

(ख) उनका मांग-पत्र, वेतन-मानों और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में था ।

(ग) समझौते की बातचीत द्वारा मित्रतापूर्ण निपटारा करना कारपोरेशन का ध्येय है और यह आशा की जाती है कि एसोसियेशन इकतरफ़ा कार्रवाही नहीं करेगा जिससे यात्रियों को असुविधा हो ।

चावल, गेंहूं और चीनी का रक्षित भंडार

*189. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री बागड़ी :
श्री रामपुरे :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** 10 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, चावल और चीनी के वितरण और बिक्री को उचित मूल्यों पर विनियमित करने के लिये केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन वस्तुओं का पहले से कितना रक्षित भण्डार बनाया गया है और उसकी लागत क्या है ;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के कितने भण्डार बनाये जायेंगे और उन्हें सुरक्षित रखा जायेगा ; और

(ग) इन भण्डारों में आवश्यक मात्रा में माल रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). जैसा कि पहले प्रश्न संख्या 503 के उत्तर में 10 मार्च, 1964 को बताया जा चुका है कि भारत सरकार के पास शर्करा का कोई भण्डार नहीं है । राज्य सरकारों के पास भी शर्करा के अपने कोई भण्डार नहीं हैं । भारत सरकार का यथासमय में 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 20 लाख मीट्रिक टन चावल का समीकरण भण्डार बनाने का विचार है । खाद्यान्नों का उचित मूल्य की दूकानों द्वारा वितरण करने और समीकरण भण्डार बनाने के लिये विदेशों से खाद्यान्नों का आयात बढ़ा दिया गया है । सरकार के पास उपलब्ध वर्तमान भण्डार की मात्रा बताना जनहित में नहीं है ।

चीनी का निर्यात

*190. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत 3 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करेगा जबकि गत वर्ष 5 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुमान है कि 1964 में 2.30 लाख मीट्रिक टन शर्करा निर्यात की जाएगी जबकि 1963 में 4.79 लाख मीट्रिक टन निर्यात की गयी थी ।

(ख) शर्करा के उत्पादन में कमी होने के कारण निर्यात में कमी की गयी ।

Prices of Gur and Khandsari

*191. **Shri J. P. Jyotishi,**
Shri Achal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to control the production and prices of Gur and Khandsari ;

(b) whether with a view to reducing the consumption of sugar, Government propose to make available to the consumer the Khandsari at reasonable price ; and

(c) if so, in what manner ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) to (c). The matter is under consideration.

परिवहन विकास परिषद्

*192. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय परिवहन विकास परिषद् के पांचवें अधिवेशन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) निर्णयों की क्रियान्विति के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखियेसंख्या एल० टी०—3118/64]

फसल बीमा योजना

*193. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री चांडक : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित **प्रश्न संख्या** 1217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). देश में फसल बीमा को शुरू करने के लिए विशेष विधान की आवश्यकता है । इस विधान के उद्देश्य और मुख्य बातें अब भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

गन्ने का मूल्य

*194. **श्री चांडक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ वहन नियंत्रण आदेश के समाप्त हो जाने के कारण सरकार का विचार गन्ने की मिलों द्वारा खरीद के लिये न्यूनतम कीमतें '(उच्चतम सीमा के बिना) निर्धारित करने का है ताकि चीनी मिलों को गन्ने का मौसम आरम्भ होते ही गन्ना काफी मात्रा में मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन न्यूनतम कीमतों की घोषणा कब कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार ने 4 मार्च, 1964 को सदन में पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1964-65 की फसल में शर्करा मिलों द्वारा गन्ने का देय मूल न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम की उपलब्धि होने पर रु० 4.96 प्रति क्विन्टल होगा तथा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की अतिरिक्त उपलब्धि पर मूल्य में 4 पैसे प्रति क्विन्टल की बढ़ौतरी की व्यवस्था होगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्य स्थिति

*195. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में देश में समस्त जनता के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों की मात्रा का अनुमान क्या है ;

(ख) इस अपेक्षित मात्रा का कितने भाग का उत्पादन देश में हो सकेगा ; और

(ग) खाद्यान्न का कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). भारत में आहार सम्बन्धी आदतें भिन्न-भिन्न हैं और इसलिए खाद्यान्नों के उपभोग का कोई मानक प्रतिरूप नहीं है । अच्छी उपज के वर्षों में लोग अधिक खाते हैं और मन्दी उपज के वर्षों में वे अपेक्षाकृत अधिक कम मात्रा से गुजारा कर लेते हैं । कुल मिला कर, लोगों की मांग देश में पैदा हुए खाद्यान्नों और विदेशों से आयातित खाद्यान्नों से पूरी की जाती है, व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध स्टाक जोकि समीकरण भण्डार का कार्य करता है अच्छी फसल के वर्ष में बढ़ जाता है और खराब उपज के वर्ष में कम हो जाता है । इन सभी अनिश्चित तथ्यों के कारण, 1964-65 में देश की सारी जनसंख्या की खाद्यान्नों की आवश्यकता का कोई उपयोगी अनुमान देना सम्भव नहीं है । 1964-65 के मौसम में खरीफ और रबी की फसलों की उपज का कोई अनुमान देना इस समय बहुत जल्दी होगा । 1964-65 में आयात करने की बात-चीत भी अभी पूरी नहीं हुई है और वर्ष 1964–65 में खाद्यान्नों की कुल जितनी मात्रा का आयात करना सम्भव होगा, उसका सही अनुमान देना बहुत कठिन है ।

एगमार्क घी और तेल

*197. श्री स्वेल :
श्री तन सिंह :
श्री ब० कु० दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ते में व्यापक रूप से एगमार्क घी और सरसों के तेल में हो रही मिलावट की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय से सम्बन्धित अधिकारी इस मिलावट के लिये दोषी पाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) एगमार्क उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सरकार अन्य क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) कलकत्ता में एगमार्क घी में की गई मिलावट का एक केस सरकार के ध्यान में लाया गया था । सरसों के तेल के सम्बन्ध में ऐसा कोई केस ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) समस्त आवश्यक कदम पहले ही उठाये जा रहे हैं ।

Election Petitions

*198. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the election petitions filed after the third General Election have not been disposed of as yet ;

(b) if so, the reasons therefor : and

(c) the action taken to expedite their disposal ?

The Minister of Law (Shri A.K. Sen) : (a) No, Sir. Of the 348 election petitions in respect of the last General Elections referred to Election Tribunals, 295 have already been disposed of by them and only 53 election petitions were pending with them on the 1st September, 1964.

(b) The reasons for the delay are, generally, the filling of writ petitions to the High Cour* in respect of interlecutory orders passed by the tribunals and obtaining interim stay of proceedings, large number of witnessessited, transfer of district judges appointed as members of tribunals, inability of members to spare sufficient time for tribunal work, etc.

(c) The Election Commission keeps iteself informed of the progress made by the tribunals in each case by means of monthly reports from them. Whenever necessary, the Election Commission requests the members of the tribunals to devote more time and expedite disposal and occassionally also seeks the assistance of the High Courts for the same purpose.

सहकारी खेती

*199. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० ब० पाटिल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बागड़ी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त सहकारी खेती में एक मध्यवर्ती क्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की अन्तर्निहित बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त संदर्भ में सहकारी खेती के प्रति किसानों के रवैये तथा देश में सहकारी खेती के सम्बन्ध में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लिया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

(ग) सहकारी खेती समितियों की प्रगति का मल्यांकन करने के लिए प्रो० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में एक निर्देशन-समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

चीनी के कारखानों का पुनः स्थापन

*200. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, पुराने तथा अलाभकर चीनी के कारखानों के पुनःस्थापन सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के हेतु नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अभी नहीं जी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हवाई अड्डों का विकास

*201. { श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बासप्पा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री धर्मलिंगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसवन्त :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े विमानों की उड़ान के लिये कुछ हवाई अड्डों का विकास करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये चुने गये हवाई अड्डों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस कार्य पर कितना व्यय होगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

हवाई अड्डों के नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1. तुलिहल	10.90
2. कोचीन	35.00
3. भावनगर	32.00
4. राजकोट	24.24
5. मंगलौर	30.00
6. कोयम्बटूर	35.00
7. त्रिवेन्द्रम	33.29
8. उदयपुर	7.98
9. नाथ लखीमपुर	24.01
10. बेगमपत्त	58.13
11. अगरताला*	28.00
12. इन्दोर	23.84
13. कुलु (भुंतर)	11.53
14. भुज*	35.00
15. कांदला*	35.00
16. औरंगाबाद*	35.00
17. कैलाशहर	16.00
18. कमालपुर	16.00
19. खोवाई	15.00
20. केशोद*	35.00
21. पोरबन्दर*	35.00
22. तिरुचिरापल्ली*	35.00
23. जबलपुर*	35.00
24. विशाखापत्तनम*	35.00
25. विजयवाडा*	35.00
26. कोटा*	35.00
27. रूड़केला*	35.00

(*चौथी योजना के मसौदे में सम्मिलित)

1326 (ai) LS—4

चीनी का अभाव

*202. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1964 से देश में चीनी का भारी अभाव हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सामान्य आवश्यकता क्या है, तथा इस अवधि के दौरान चीनी की कितनी मात्रा इनको दी गई तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के पास इस समय चीनी का कितना स्टाक मौजूद है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनी भारी मात्रा में मिलों के पास पड़ी हुई है और यदि हां, तो कितनी चीनी मिलों अथवा भांडागारों में पड़ी हुई है जो कि विक्रय के लिये दी जानी है ; और

(घ) वितरण प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) शर्करा की कुछ कमी रही है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र को जुलाई, 1964 से शर्करा के मिले मासिक कोटे और राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा मांगे गए मासिक कोटे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्याएल० टी०—3119/64) मार्ग में (पाईपलाइन) सप्लाई को छोड़कर राज्यों और संघीय क्षेत्रों में कोई भण्डार नहीं है।

(ग) जी नहीं। मिलों के पास शर्करा का कोई बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा नहीं हैं। मिलों से शर्करा की निकासी सुव्यवस्थित ढंग से की जाती है।

(घ) राज्यों में शर्करा के वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वितरण प्रणाली काफी ठीक प्रकार से चल रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना

*203. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :

श्री धवन :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकार लाल वेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना से संबंधित कुछ आरोपों की जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आरोप किस प्रकार के थे तथा जांच समिति की उप-पत्तियां क्या हैं ; और

(ग) जांच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसरण में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना से सम्बन्धित किसी आरोप की जांच के लिए कोई जांच समिति स्थापित नहीं की गई है किन्तु विभाग द्वारा कुछ आरोपों की जांच की गई थी। पिछले वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना में इकट्ठा किया हुआ बड़ी मात्रा में जो सफेद मक्खन सड़ गया था उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी इस प्रश्न पर विचार किया जाना था। मन्त्रालय के एक सीनियर अफसर को प्रारम्भिक जांच के लिए नियुक्त किया गया। उसकी रिपोर्ट 31–8–64 को मिली जो विचाराधीन है। योजना के ठीक कार्य के विरुद्ध भी आलोचना की गई थी। जुलाई, 1964 में योजना के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, उसके दिन प्रति दिन के कार्य में सुधार करने के विचार से विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की गई थी, जिसका काम यह भी था कि वह योजना के भावी ढांचे और उसके कुशल कार्य के सम्बन्ध में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। टीम की रिपोर्ट 5 सितम्बर, 1964 को मिली जो विचाराधीन है।

कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य

204. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के लिये किसी समिति अथवा आयोग की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका यथार्थ गठन तथा निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के सचिव श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक समिति का पहले ही गठन हो चुका है। यह समिति अन्य बातों के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर आवश्यक विभिन्नताओं के होते हुए क्वालिटी तथा क्षेत्र के आधार पर आगामी फसल के लिये पहले चावल तथा फिर गेहूं के लिए उचित और मितव्ययी मूल्य निर्धारित करने व थोक तथा खुदरा व्यापारियों के लिये लाभ की मात्रा और उपभोक्ताओं के लिये मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफारिश करेगी।

समिति को यह भी कहा गया है कि वह आगामी मौसमों के लिये लगातार परामर्श देने वाली एक समिति के निर्देश पद तय करे जोकि इस प्रकार की निकाय के उचित स्वरूप तथा उसके लिये उचित व्यक्तियों के विषय में भी सिफारिश करें। समिति के अन्य सदस्य निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री टी० पी० सिंह, सचिव, योजना आयोग ।
2. श्री बी० एन० आदरकर, अतिरिक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।
3. प्रोफसर एम० एल० दन्तवाला, अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय ।
4. श्री एस० पी० चौधरी, अर्थ अंक सलाहकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय ।

खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञ

542. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञों की बहुत कमी महसूस की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार उन विश्वविद्यालयों को बाध्य करेगी कि वह भी अपने यहां खाद्य औद्योगिकी शास्त्र को एक विषय बनायें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) इस पर भी विचार किया जायेगा।

पर्यटन महानिदेशक का विदेशों का दौरा

543. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 ; 1963–64 (आज तक) पर्यटन महानिदेशक ने विदेशों का दौरा कितनी बार किया तथा वह किन किन देशों को गए ;

(ख) दौरे का क्या प्रयोजन था तथा इस पर कितना धन (विदेशी मुद्रा समेत) व्यय हुआ था ;

(ग) प्रत्येक बार उनको उनके व्यक्तिगत खर्च के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(घ) इन दौरों का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राजब हादुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3120/64]**

Intensive Cultivation

544. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of blocks selected in different States, separately, for intensive cultivation this year ;

(b) whether the intensive cultivation scheme has been introduced successfully in all these blocks ;

(c) the reasons for the non-achievement of the target, if any ; and

(d) the decision taken by Government to remove such difficulties in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agricultue (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The number of blocks selected for the implementation of the Intensive Cultivation Programmes of Paddy & Millets during 1964-65 is given below separately for each state :—

States	Number of blocks selected	
	Paddy	Millets
1. Andhra Pradesh	150	20
2. Assam	21	—
3. Bihar	98	20
4. Gujarat	8	13
5. Kerala	19	—
6. Madras	33	82
7. Mysore	20	44
8. Punjab	23	—
9. Uttar Pradesh	24	92
10. West Bengal	115	—
11. Orissa	35	—
12. Madhya Pradesh	53	—
13. Maharasthra	45	77
14. Rajasthan	—	6*
15. Pondicherry	2	—
TOTAL	646	354

For the Intensive Cultivation of Wheat, which is a Rabi Crop, the State Governments of U.P., Punjab, M.P.,Bihar, Rajasthan and Mysore have selected abuot 20 districts comprising nearly 200 blocks.

(b) In most of the States, a beginning in the implementation of these programmes has been made only during the current year (1964-65). The additional staff required has been placed in position in these areas and also trained. Necessary arrangements for the supply of fertilisers, seeds etc. as well as credit to the farmers have also been made.

(c) In view of (b) above, it is too early to say anything about the achievements of these programmes.

(d) Does not arise.

*Panchayat Samitis.

Go-Sadans

545. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of Go-sadans working in the country at present, State-wise ;

(b) the number of cattle in these Go-sadans ;

(c) the extent of financial assistance being given to them by the Union and State Governments ; and

(d) the steps being taken by Government as an incentive to increase the number of Go-sadans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

546. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **परिवहन** मंत्री 5 मई 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जून, 1964 तक दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई थीं ;

(ख) दुर्घटनाओं के कारण कितनी मौतें हुई ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) 1753।

(ख) 77।

(ग) माननीय सदस्य द्वारा बताये गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताये गये उपायों के अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(एक) नगर के लगभग 25 सिनेमाओं में नियमित रूप से यातायात सुरक्षा की स्लाइडें दिखाई जा रही हैं ;

(दो) पदयात्रियों को चौराहों पर पैदल पारपथ से सड़क पार करना सिखाने के लिये विशेष आन्दोलन किए गए हैं तथा मोटर चलाने वालों को सिखाया जाता है कि ऐसे स्थानों पर वह पदयात्रियों के पार जाने के अधिकार का ध्यान रखें।

(तीन) सड़कों तथा चौराहों को सुधारने के लिये निम्नलिखित काम किए गए हैं :—

(1) राउन्ड अबाउटों को हटाना, चौराहों को चौड़ा करना तथा आइलैंडों को बनाना।

(2) रोशनी बढ़ाना

(3) फुटपाथों तथा साइकिलों के रास्तों का सुधार
(4) सड़कों को चौड़ा करना
(5) सड़क चिन्हों को लगाना
(6) सड़क पर चिन्ह लगाना
(7) भीड़ वाले क्षेत्रों से बस स्टाप, स्टाल, वेंडोर, टैक्सी स्टैंडों को हटाना

(चार) समय समय पर विशेष आन्दोलन किए जाते हैं जिससे चलते फिरते न्यायालयों के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त उसी सथान पर कार्यवाही की जा सके।

दिल्ली दुग्ध योजना

547. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना राजधानी में 'मिल्क बूथ' से दूध खरीदने के लिये वर्तमान कार्ड पद्धति को हटाने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके स्थान पर कौन पद्धति लागू की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कार्ड पद्धति में केवल इतना परिवर्तन किया जा रहा है कि कार्ड जारी करते समय दूध के लिये अग्रिम धन नहीं लिया जायेगा। नई पद्धति के अधीन कार्ड दिखाने पर नकद धन लेकर दूध दिया जायेगा। कार्ड होल्डर यदि चाहे तो कार्ड में दिखाये गये दूध से कम भी दूध ले सकता है। "कैश ऐंड कैरी" नई पद्धति को कुछ क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है।

(ख) आशा है कि दिल्ली दुग्ध योजना से दूध लेने वाले अधिकांश व्यक्ति इस "कैश एण्ड कैरी" पद्धति का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। (एक) दूध खरीदने वाले को पूरे महीने के लिये पेशगी धन नहीं देना पड़ेगा जबकि दिन प्रतिदिन की दूध की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है। तथा (दूसरे) धन वापस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इससे पहले स्वीकृति तथा फिर भुगतान की कठिनाई है।

(ग) जी, नहीं।

कृषि संबंधी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों का सम्मेलन

548. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों के कृषि संबंधी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों का सम्मेलन नई दिल्ली में जून, 1964 में संगठित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3121/64]

ग्रामीण कार्यों संबंधी कार्यक्रम

549. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण ग्रामीण कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम धीमी गति से लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू०मूर्ति) : (क) और (ख). कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा बनाये गये प्रतिवेदनों में बताया गया है कि पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के कारण कामों की विशेषतया भू-संरक्षण कार्य जो मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा राजस्थान में ग्रामीण कार्यों सम्बन्धी कायक्रम के अधीन आते हैं, क्रियान्विति ठीक तरह से नहीं हो पाई है । जुलाई, 1964 में हुए विकास आयुक्तों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था तथा सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों को ओवरसियरों तथा भ-संरक्षण कर्मचारियों आदि तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिये कि उनको योजना की शेष अवधि के लिये कितने कर्मचारी चाहिएं तथा उनके प्रशिक्षण तथा भरती के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जाने चाहिएं । इस सिफारिश को सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों ने भी स्वीकार किया है । राज्य सरकारों से सिफारिश को लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

बाजरा

550. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ने 'पूसा मोती' नामक बाजरे की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) 'पूसा मोती' नामक बाजरा 'घाना' से प्राप्त बाजरे से उगाया गया है यह पहले पहल की किस्म है और इसी के कई परीक्षण करने से प्रति हैक्टर 2300 से 2500 किलोग्राम अनाज मिला है। इसको अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में उगाया जा रहा है ।

बंगकोक में बाल अध्ययन संस्था

551. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगकोक में अन्तर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन संस्था ने बालक तथा परिवार मनोविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). मालूम हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन संस्था, बंगकोक, में बालक विकास सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है। इसने अभी थाईलैंड के गांवों, स्कूलों, परिवारों का जांच कार्य पूरा नहीं किया है।

राजस्थान में कृषि कार्यक्रम का मूल्यांकन

552. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राजस्थान में कृषि कार्यों का मूल्यांकन करने तथा कुछ कमियों की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या निष्कर्ष निकाले तथा सिफारिशें की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां। 1964-65 के लिये राज्य में कृषि कार्यक्रमों को बनाने तथा उनकी क्रियान्विति में केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच सहयोग करने की दृष्टि से जून, 9—11, 1964 से राजस्थान राज्य का दौरा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के संयुक्त दल ने किया था।

(ख) मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3122/64]**

खाद्य का प्रति व्यक्ति उपभोग

553. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आज तक खाद्य का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है ; और

(ख) शेष संसार की तुलना में यह कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) और (ख). विनियंत्रण की स्थिति में तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए बिना देश में खाद्य के प्रति व्यक्ति उपभोग का निर्धारण करना कठिन है । बीज, खाद्य, बरबादी आदि को अलग करने के बाद 1963 में देश में उपभोग के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति अनुपलब्धता दिखाने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3123/64]**

यह बताया जाता है कि ये आंकड़े देश में उपभोग के वास्तविक स्तर ठीक नहीं बताते हैं क्योंकि कुल उपलब्धता के अनुमानों में व्यापारियों तथा उत्पादकों आदि द्वारा एक फसल से दूसरी फसल में लिये गये भंडारों के कारण कमी बेशी पर विचार नहीं किया गया है । जिस वर्ष के बारे में अन्तिम सूचना उपलब्ध है उसके खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा बनाए गए कुछ देशों के खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े भी विवरण में दिए गए हैं ।

यूनीसैफ[1] द्वारा योजनाओं के लिए वित्त दिया जाना

554. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के यूनीसेफ संगठन ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य की इस देश में कई परियोजनाओं को धन देने के बारे में कुछ नये वायदे किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता का वायदा किया गया है और यह किन परियोजनाओं के लिए निश्चित की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) 24 जून, 1964 को न्यूयार्क में यूनीसेफ के एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में जिन परियोजनाओं के लिए सहायता स्वीकार की गई है उनके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:—

परियोजना का नाम	किए गए वायदे	वास्तविक आवंटन
	डालर	डालर
1. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें .	1,892,000	1,892,000
2. निरोधात्मक तथा सामाजिक औषधि	200,000	200,000
3. विकलांग बालक . .	65,000	65,000
4. तपेदिक नियंत्रण .	751,000	751,000
5. बी० सी० जी० के टीके . . .	200,000	100,000

[1]Unicef.

परियोजना का नाम	किए गए वायदे	वास्तविक आवंटन
	डालर	डालर
6. कुष्ठ रोग नियंत्रण	180,600	116,000
7. बालपोषण	3,700,000	1,500,000
8. कलकत्ता डेरी परियोजना	170,000	170,000
9. गोपटरे नियंत्रण	100,000	100,000
10. लुधियाना डेरी परियोजना		200,000
11. पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण		178,000
जोड़	7,258,600	5,272,000

राजस्थान में नलकूप

555. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यवन :
श्री तन सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम राजस्थान में 250 नलकूप बनाने की योजना क्रियान्वित करने में क्या इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपनी विस्तृत योजना यदि कोई है तो केन्द्रीय सरकार को उसकी एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है तथा यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1964 के अन्त में ड्रिलिंग का काम आरम्भ किया गया था । आठ स्थानों पर ड्रिलिंग पूरा हो चुका है तथा नवें स्थान पर हो रहा है । ड्रिल किए गए 'बोर' में चार का विकास कर दिया गया है तथा चार का विकास किया जा रहा है । 7 और स्थानों पर आरम्भिक कार्य जैसे पाइपों को हटाना आदि शीघ्र ही आरम्भ हो जाने की आशा है ।

(ग) जी हां । योजना की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(1) रक्षोपायों के रूप में बीकानेर, चुरु, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर बाड़मेर तथा जालोर के ज़िलों में अकाल वाले क्षेत्रों में 250 नलकूप लगाने की योजना है । बड़ी सिंचाई परियोजनाओं वाले स्थानों को इसमें से निकाल दिया गया है ।

(2) ऐसा प्रस्ताव है कि एक नलकूप 10 मील की परिधि वाली जनता की आवश्यकता पूरी करे। इस प्रकार एक नलकूप लगभग 314 वर्ग मील के लिये होगा जिसमें 12 से 15 हजार व्यक्ति होंगे तथा बहुत से पशु तथा भेड़ें होंगी।

(3) इन नलकूपों से पानी का पशुओं के पीने के लिये उपयोग होगा तथा चारा उगाने, घरेलू कामों के लिये भी उपयोग होगा ।

राष्ट्रीय कृषि मेला

556. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि मेला शीघ्र ही होगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कब होगा तथा कहां पर होगा ;

(ग) क्या मेले में भाग लेने के लिये विदेशों को भी आमंत्रित किया गया है ; और

(घ) इस मेले की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) भारत कृषक समाज से ऐसा मालूम हुआ है कि गैर सरकारी कृषक संगठन, 14 जनवरी से 11 मार्च, 1965 तक अहमदाबाद में एक कृषि मेले का संगठन कर रहा है।

(ग) भारत कृषक समाज ने भारत में विदेशी दूतावासों/व्यापार प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि मेले में भाग लें ।

(घ) इस मेले को संगठित इस विचार से किया जा रहा है कि कृषि तथा इससे सम्बद्ध विषयों की जानकारी दिलाना जैसे (एक) अनुसंधान तथा काम के परिणामों को बताना जिससे किसान उनको खेतों में प्रयोग में ला सकें तथा (दो) अपने कार्यों का प्रदर्शन तथा उत्पादों का प्रदर्शन। आशा है कि मेले में निम्नलिखित चार क्षेत्र होंगे जिनमें दूकानें अलग होंगी :—

1. राष्ट्रीय क्षेत्र, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कृषि मशीनों के निर्माता तथा वितरक ; पौदा संरक्षण उपकरण ; पौदा खाद तथा उर्वरक ; ग्रामीण आवास तथा कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व होगा ।

2. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ।

3. ग्रामीण उद्योग क्षेत्र, जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग, हथकरघा उद्योग तथा हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व होगा ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ।

भाण्डागार

557. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने भाण्डागार हैं ; और

(ख) किसानों के लाभ के लिए कौन कौन सी वस्तुएं इस में रखी जायेंगी और अब तक कितनी वस्तुएं इनमें रख दी गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3124/64]

आस्ट्रेलिया के हल का उपहार

558. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के एक गांव में उपहार के रूप में कुछ आस्ट्रेलिया के हल मिल गए हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन गांवों के किसानों ने इन हलों से उन क्षेत्रों में गन्ना उगाया है जहां पर कुछ वर्ष पूर्व घना जंगल था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) 1961 में समिति ने गांव पंचायत से 10 वर्ष के पट्टे पर 200 एकड़ भूमि ली थी । इस में से 100 एकड़ भूमि इन हलों से जोत ली गई है तथा शेष बेकार पड़ी है । इस 100 एकड़ भूमि में से कुछ में गन्ना बोया गया है ।

सहकारी विपणन तथा परिष्करण विधि का विकास

559. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी विपणन तथा परिष्करण विधि का विकास करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिए उच्चाधिकार युक्त समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) यह अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर देगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. प्रो० एम० एल० दांतवाला, सभापति आर्थिक शास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।

2.	डा० पंजाबराव देशमुख, सभापति, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, 34, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्री विश्वनाथ पुरी, फंकशनल कमिटी ग्रोन कोपरेटिव मार्केटिंग एण्ड प्रोसैसिंग, नेशनल कोपरेटिव डेवलपमैंट, कारपोरेशन, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, प्रैजीडैंट, नार्थ ग्रर्काट डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, वल्लोर (मद्रास)	सदस्य
5.	श्री जी० डी० गोस्वामी, सैक्रटरी, गवर्नमैंट ग्रॉफ वैस्ट बंगाल, डिपार्टमैंट ग्राफ कौपरेशन, कलकत्ता ।	सदस्य
6.	श्री ग्रार० टी० मीरचंदानी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ग्राफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रॉफ इण्डिया, नागपुर	सदस्य
7.	रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
8.	स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
9.	श्री वेद पी० सेठी, डायरेक्टर (ट्रेड), सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य, सचिव

(ग) दिसम्बर, 1964 के ग्रन्त तक ।

ग्राम उद्योग

560. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम उद्योगों के सुधार के लिये ग्रौर तृतीय योजना की शेष ग्रवधि में उनके समन्वय के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था है कि ग्राम उद्योगों के विकास से संबंधित योजनायें राज्य सरकारों द्वारा उचित रूप से क्रियान्वित की जाती हैं ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ग्रौर यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सहकारी समितियों के पंजीयकों का सम्मेलन

561. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के पंजीयकों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य व्यापार की किसी भी योजना तथा खाद्यान्नों की प्राप्ति के लिये केवल सहकारी समितियों को ही सरकार के पास एक मात्र अभिकरण के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजीयकों के सम्मेलन की सिफारिशों पर 19 और 20 जून, 1964 को हैदराबाद में हुए सहकार के राज्य-मंत्रियों के सम्मेलन में अग्रेतर विचार किया गया था और उसमें निम्न सिफारिशें की गई थीं :—

> "सहकारी पद्धति पर कृषि विपणन का विकास करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की किसी भी योजना में सहकारी समितियों को सरकार के अभिकरणों के रूप में उपयोग में लाया जाये" ।

इस सिफारिश की जांच की जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

562. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में किस प्रकार के कार्य पर अनुसन्धान किया जा रहा है ;

(ख) इस संस्था का वार्षिक खर्चा क्या है ;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा कितने पेटेंट निकाले गये ; और

(घ) कितने पेटेंट खेती की उपज बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं और कहां तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कृषि और इससे संबंधित मूलभूत बातों के लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों, जैसे सस्य विज्ञान, आनुवंशिकी और पौधे उगाना, उद्यान विज्ञान, कीट विज्ञान, पौधा रोग विज्ञान, नॉमेटालोजी, अणु जीव विज्ञान, मिट्टी विज्ञान और कृषि रसायन, कृषि भौतिकी, मशीनों का इस्तेमाल और खोज,

कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विस्तार तथा कृषि इंजीनियरिंग, में आधारभूत तथा व्यावहारिक अनुसन्धान करता है। उच्च स्तर का अनुसन्धान कार्य करने के अतिरिक्त यह संस्था एम० एस० सी० और पी० एच० डी० स्तरों पर कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक उच्च कोटि का केन्द्र भी है। इस का स्थान विश्वविद्यालय जितना ऊंचा है। यह संस्था दिल्ली राज्य के कंझावला ब्लाक के विस्तार के लिये भी काफी परामर्श संबंधी कार्य कर रही है।

(ख) 1962–63 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था का वार्षिक व्यय 89,88,422 रु० था और 1963–64 और 1964–65 के लिये आय व्ययक प्राक्कलन क्रमशः 97,30,300 रु० और 1,88,12,500 रु० थे।

(ग) 1962 के बाद 7 पेटेंट निकाले गये हैं। वे कृषि उपकरणों और कृषि रसायनों से संबंधित हैं। संस्था ने फार्म, शाक और फलों की फसलों की विभिन्न सुधरी हुई किस्मों का विकास किया है जोकि समस्त भारत में प्रसिद्ध हो गई है। तथापि इन पर अभी कोई पेटेंट नहीं निकाला गया है, क्योंकि भारत में अन्य देशों की तरह फसलों की सुधरी हुई किस्मों पर पेटेंट निकालने की पद्धति नहीं है।

विशेषतः निम्न चार पेटेंट उपयोगी सिद्ध हुए हैं :—

(एक) **चीड़ का संश्लिष्ट तेल (पेटेंट संख्या 48429)** यह तेल वास्तव में मारी नियंत्रण रसायनों के लिये विलायक के रूप में तैयार किया गया था।

(दो और तीन) **भारतीय तारपीन के तेल से निकाले गये टरपीनेस अथवा कैम्फीनेस से टरपेनिल क्लोरेक्टेट्स तथा टरपेनिल थिओसिनो स्टेट्स तैयार करना (पेटेंट संख्या 47715 और 52580)**:

इन दोनों पेटेंटों का आपस में संबंध है। भारतीय तारपीन के तेल से तैयार किये गये क्लोरेक्टेर्स से आइसोबोर्निल, लोंगीफोलिल और नोपिल थियोसिनोक्टेट्स जैसे थियोसिनोक्टेट्स बनाये जाते हैं। आशा है कि टरपेन थिओसिनोक्टेट्स को सरसों और अन्य फसलों की "एफिड' मारी पर नियंत्रण करने के लिये ऐफिसाइड्स और अन्य मारी नियंत्रण रसायनों के लिये विलायकों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(चार) **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा निर्मित हाथ की कुदाल (पेटेंट संख्या 74198)**: हाथ से निराई करने का एक सादा और अच्छा उपकरण है और इस की बड़ी मांग है।

ऊपर (एक) से (तीन) में उल्लिखित पेटेंटों का लाइसेंस वाणिज्यिक उत्पादन के लिये दिया गया है।

पंचायतों के कार्यकरण सम्बंधी समिति

563. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायत राज सम्बन्धी परामर्शदाता परिषद् ने, पंचायत को

स्थानीय प्रशासन का एक क्रियात्मक और जीवित एकक बनाने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचायत राज के इतिहास में इस प्रकार का अनुसन्धान पहली बार ही हो रहा है ; और

(ग) इस समिति की सिफारिशें सरकार को कब प्राप्त हो जायेंगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) पंचायती राज संबंधी परामर्शदाता समिति ने गुजरात के मुख्य मंत्री श्री बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है । इस बारे में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3125/64]

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर पंचायती राज के कुछ चुनीदा पहलुओं पर और राज्य स्तर पर कुछ राज्यों में पंचायती राज के कार्य पर अध्ययन किये गये हैं, पंचायती लागू करने के बाद यह पहली बार है जब कि इस प्रकार का एक व्यापक अखिल भारतीय अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) समिति पंचायती राज पर परामर्शदाता परिषद को प्रतिवेदन दिसम्बर, 1964 के अन्त तक देगी ।

संकर गेहूं

564. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवाली, उत्तर प्रदेश में आई० ए० आर० आई० के गेहूं किस्म सुधार में संकर गेहूं की एक नई किस्म निकाली गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको घुन नहीं लगता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह किस्म केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये है अथवा मैदानों के लिये भी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । भवाली, उत्तर प्रदेश में आई० ए० आर० आई० के गेहूं किस्म सुधार केन्द्र में संकरण द्वारा एन० पी० 846 नाम की एक किस्म निकाली गई है और परीक्षा करने पर पता लगा है कि इस पर घुन नहीं लगता ।

(ख) मैदानी इलाकों की बजाय यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों के लिये अधिक उपयुक्त पाई गई है ।

पश्चिमी बंगाल को चावल का दिया जाना

565. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा वितरण के लिये चावल की पर्याप्त मात्रा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

1326 (ai) LSD—5.

(ख) क्या यह सच है कि जून 1964 में भी चावल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). वर्ष के आरम्भ में केन्द्रीय भंडार से पश्चिम बंगाल को देने के लिये चावल का कोटा एक लाख मीट्रिक टन नियत किया गया था । जून, 1964 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह प्रार्थना की थी कि केन्द्रीय भंडार से चावल की कुछ अतिरेक मात्रा दी जाये। चर्चा के बाद यह तय पाया कि पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय भंडार से दिया जाने वाला चावल का कोटा 1964 में बढ़ा कर 1.8 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाना चाहिये। इस अतिरेक मात्रा के साथ राज्य सरकार ने राशनिंग के नये तरीके से कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्रों, अन्य शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर वितरण किया । चावल अब उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा खुले रूप से उपलब्ध है । काफी समय से मण्डियों की हालत भी कुछ सुधर गई है।

भाण्डागार निगम

566. श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1964 के अंग्रेजी साप्ताहिक ब्लिटज में "भांडागार निगम अथवा भ्रष्टाचार का भांडागार" के शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कथित आरोपों की जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). जी हां । शिकायत पुलिस के पास भेज दी गई है । मालगोदाम मालिक और एक निम्न श्रेणी के क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है और उनको विभाग की ओर से आरोप-पत्र दे दिये गये हैं । पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है । मालगोदाम मालिक और क्लर्क ने अभी आरोपपत्रों के उत्तर नहीं दिये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद्

567. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जून, 1964 को लन्दन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् के सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो हमारे प्रतिनिधि द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गये; और

(ग) अधिवेशन का क्या परिणाम निकला?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि निर्यात के कोटे देते समय अल्प विकसित अथवा विकासशील देशों, जैसे कि भारत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(ग) परिषद ने यह भी निर्णय किया कि इसके अगले अधिवेशन में सदस्य सरकारों के अग्रेतर विचार और सुझाव प्राप्त किये जायें और उन पर विचार किया जाये।

चूज़ों में महामारी

563. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी भारत में मुर्गीपालन का काम करने वाले सैंकड़ों व्यक्ति चूज़ों में "रानी खेत (आर० के० डी०) नामक महामारी फैलने के कारण बरबाद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रोग को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या उनको वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता देने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। अप्रैल–जून 1964 में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों और दिल्ली प्रशासन के अनुसार 1942 मृत्यु हुई हैं। इसे सामान्य समझा जाता है। राजस्थान सरकार को अपने पक्षियों की मृत्यु के बारे में मुर्गीपालन का काम करने वालों से कोई समाचार नहीं मिले हैं।

(ख) 1963–64 में इस रोग को रोकने के लिये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 18.06 लाख चूज़ों को टीके लगाये गये थे, जब कि अप्रैल–जून, 1964 में 6.67 लाख चूज़ों को टीके लगाये गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य उत्पादन

569. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बलजीत सिंह :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री बागड़ी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64 के लिये खाद्यान्न, अर्थात्, गेहूं, जो और चावल के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े अब उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या गत वर्ष उत्पादन कम हो गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) 1962–63 और 1963–64 में चावल, गेहूं और जौ का उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3126/64]

(ग) 1963–64 में उत्तरी राज्यों और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ भागों में जाड़े की वर्षा की कमी और कड़े जाड़े के कारण गेहूं और जौ का उत्पादन कुछ कम रहा ।

NOMADS

570. **Shri Bagri : ** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the number of nomads in the country ;

(b) whether Government have formulated any scheme for their proper settlement ; and

(c) if so, the main features thereof

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बस्तियां बसाने और मकानों का निर्माण करने, भूमि और कृषि संबंधी उपकरणों का वितरण करने, दुधारू गायें, भैंसें, भेड़ और बकरियां देने, बलवाड़ी संस्कार केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र और ग्राम उद्योग खोलने और अस्थिरवासी बिरादरी में कल्याण कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने की हैं।

रायपुर—जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग

571. { श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर से जगदलपुर तथा उड़ीसा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम वर्ष 1962 में पूरा किया जाना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस राजमार्ग का निर्माण कार्य अभी हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। वह सड़क बनी हुई है और उस पर यातायात चल रहा है। सड़क की सतह में कुछ सुधार करने का काम और पुलों का निर्माण-कार्य किया जा रहा है।

(ख) अभी निर्माण कार्य हो रहा है। सड़क को चौड़ा करने और तारकोल डालने का काम 171 मील सड़क पर हो चुका है और शेष 26 मील सड़क पर हो रहा है। नारंगी, नन्दनमरा, बेजारी तथा भुमका नालों पर पुल डालने के काम के लिये अनुमति दी जा चुकी है। इन पुलों को शीघ्र ही बनाया जायगा और काम शुरू करने के समय से तीन वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाम्प शुल्क

572. **श्री हेम राज** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी राज्य सरकारें अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ताओं के नामांकन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को हटाने के लिये अन्त में सहमत हो गयी हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि आसाम सरकार ने कानून बना कर स्टाम्प शुल्क हटा दिया है। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की सरकारों का विचार है कि एक दिसम्बर, 1961 से, जब से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का अध्याय तीन लागू हुआ, स्टाम्प शुल्क देना आवश्यक नहीं है। महाराष्ट्र तथा गुजरात की सरकारों ने निश्चय किया है कि स्टाम्प शुल्क लगाया नहीं जाय। मैसूर सरकार ने इस शुल्क को घटा कर 250 रुपये कर दिया है। आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा बिहार की सरकारें शुल्क में कमी करने के लिये कानून बनाने के लिये सहमत हो गयी हैं।

भू-संरक्षण

573. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलज-व्यास के निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 1963–64 में भू-संरक्षण की कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ की गयीं तथा किस-किस राज्य में; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1963–64 में कितनी धनराशि नियत की गयी और इस अवधि में विभिन्न राज्यों में कितनी धनराशि प्रयोग में लाई गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3127/64]।

खाद्य तथा कृषि संस्था के विशेषज्ञ

574. श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौष्टिक आहार सम्बन्धी कार्यक्रम, मत्स्यपालन के विकास तथा अन्य सम्बद्ध विषयों सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भारत सरकार की सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य तथा कृषि संस्था के सात विशेषज्ञ भारत आये हैं; और

(ख) यदि हां, उनकी मंत्रणा का वास्तविक रूप में कहां तक प्रयोग किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). माननीय मंत्री शायद उन खाद्य तथा कृषि संस्था के अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं जो जून, 1964 में भारत आये थे। यदि ऐसा है, तो एक विवरण संलग्न है जिस में उनके नाम, उनके यहां आने का प्रयोजन एवं उनकी मंत्रणा पर की गयी कार्यवाही, यह सभी बातें दी गयी हैं।

विवरण

डा० पी० वी० सुखतमे, खाद्य तथा कृषि संस्था के सांख्यकीय डिवीज़न रोम के निदेशक ने, जो मई, 1964 में भारत आये थे, बताया था कि यदि भारत संयुक्त तकनीकी सहायता बोर्ड से अनुरोध करे तो यह सम्भव है कि उसे तकनीकी सहायता सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस में निर्मित लगभग दस लाख डालर का डाटा-प्रासेसिंग का सामान मिल सके। तदनुसार एक योजना रूपरेखा के रूप में तैयार की गयी और संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता बोर्ड को पेश की गयी।

खाद्य तथा कृषि संस्था के पौष्टिक आहार डिवीज़न के डा० के० के० पी० एन० राव ने खाद्य उपयोग एवं एप्लाईड पौष्टिक आहार सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा की। वह बातचीत सामान्य

प्रकार की थी। उनके सुझाव पर 21 सितम्बर से 20 नवम्बर, 1964 तक मनीला में खाद्य तथा कृषि संस्था द्वारा आयोजित खाद्य उपभोग सर्वेक्षणों सम्बन्धी गोष्ठी में भाग लेने के लिये दो भारतीय तकनीकी अधिकारियों को भेजा जायगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन विकास सम्बन्धी योजनाओं पर बातचीत करने के लिये डा० जी० एन० सुब्बा राव, खाद्य तथा कृषि संस्था के प्रादेशिक मत्स्यपालन अधिकारी, भारत आये थे।

डा० आर० अम्ब्रोगी, हाईड्रालोजिस्ट, खाद्य तथा कृषि संस्था, तथा श्री एल० बी० आउन, भूतत्ववेत्ता, खाद्य तथा कृषि संस्था, 'भूजल परियोजना' तैयार करने के लिये भारत आये थे जिसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि को प्रस्तुत करना था। यह परियोजना उस विशेष निधि के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है।

श्री एल० हगवैट, खाद्य तथा कृषि संस्था के वन डिवीज़न के अधिकारी तथा श्री एस० आई० शोसटैंड, एक स्वीडन के वन विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि लागिंग केन्द्र परियोजना की रूपरेखा तथा अन्य ब्योरे को तैयार करने और उसे अन्तिम रूप देने के लिये भारत आये थे। श्री हैगवैट इस बीच में रोम लौट गये हैं और श्री शोसटैंड ने परियोजना के प्रबन्धक का कार्यभार सम्भाल लिया है।

शिशु कल्याण

575. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु कल्याण कार्य में लगी हुई कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं ने शिशु कल्याण सम्बन्धी नीति योजना का प्रारूप तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

576. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि समस्याओं को हल करने के लिये एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि परियोजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है इसलिये इस बारे में कोई निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

सामुदायिक विकास मंत्रियों का सम्मेलन

577. श्री हेम राज :
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री जो० ना० हजारिका :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1964 में दिल्ली में हुए राज्य सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ख) वहां क्या क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उनको किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) कृषि उत्पादन, पंचायती राज, एप्लाईड पौष्टिक आहार कार्यक्रम, सहकार तथा सामुदायिक विकास, दुर्बलतर लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम, आयोजन तथा विकास के एकक के रूप में खंड, जिला तथा खंड योजनायें, चौथी योजना में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज, प्रशासनिक समस्यायें, राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक कार्यक्रम, विस्तृत परिवार कार्यक्रम तथा पंचायती राज सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद् की पहली बैठक की महत्वपूर्ण सिफारिशों आदि विषयों पर विचार किया गया।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी थी।

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र उन में से अधिकांश पर विचार कर रहे हैं। जिन सिफारिशों पर केन्द्रीय स्तर पर विचार किया जाना है वह अन्य मंत्रालयों एवं योजना आयोग की सलाह से छांटी जा रही हैं। कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्य रूप दिया जा चुका है।

यंत्रीकृत फार्म

578. श्री वाजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूरतगढ़ फार्म के नमूने के अन्य यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने हाल ही में जेतसर, राजस्थान, में एक केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म स्थापित किया है।

(ख) फार्म का मुख्य प्रयोजन राज सरकारों आदि को सम्भरण के लिये अच्छे बीजों का उत्पादन करना और उन में वृद्धि करना है।

(ग) तृतीय योजना की अवधि में फार्म पर कुल अनुमानित लागत 81.28 लाख रुपये होगी।

मध्य प्रदेश में आदिमजातियों के लोग

579. श्री अ० सिं० सहगल : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिम जातियों के लोगों के कल्याण संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत किये जाने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना में राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये जो योजनायें आरम्भ की जायेंगी और जो निधियां इस प्रयोजनार्थ नियत की जायेंगी इन्हें अन्तिम रूप तभी दिया जा सकेगा जब चौथी योजना में सभी क्षेत्रों का और विशेषकर पिछड़ी जातियों के क्षेत्र का कुल परिमाण मालूम होगा।

खाद्यान्नों का आयात

580. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में और 1964-65 में अब तक कितने खाद्यान्न का आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न करारों के अन्तर्गत गेहूं और चावल कितनी कितनी मात्रा में और किन किन देशों से आयात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3123/64]

कृषि उत्पादन के लिये ऋण

581. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रतन सिंह :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कृषि उत्पादन के लिये दिये जाने वाले ऋण की शर्तों में अधिक ढील दी जायेगी ;

(ख) गत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितना ऋण उपलब्ध किया गया ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के रक्षित बैंक को हिदायतें जारी करने के लिये कहा है कि वह उर्वरक खरीदने के लिये किसानों को अल्पावधि के लिये ऋण दे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सहकारी ऋण संबंधी समिति की सिफारिशों को कार्य रूप देने के परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि उत्पादन के लिये दिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी नीति में ढील दी गयी है। मंत्रालय ने हाल ही में इस बात पर फिर बल दिया है कि सहकारी संस्थायें उत्पादन कार्यक्रमों के लिये ऋण जारी करे।

(ख) गत तीन वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध किया गया वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये करोड़ों में) वर्ष में जो ऋण चुकाये गये
1960-61 . . .	202.75
1961-62 . .	228.31
1962-63	251.90 (अस्थायी)

(ग) मंत्रालय को इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। बैंकों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर रक्षित बैंक साधारणत: कृषि कार्यों के लिये (जिनमें उर्वरक के क्रय के लिये आवश्यक ऋण भी शामिल हैं) राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दर पर वित्त की मंजरी देता है। इसलिये रक्षित बैंक को हिदायतें जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्र में मछली पकड़ने के लिये मछुआ नाव

582. { श्री अ० व० राघवन :
श्री द० ब० राजू :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिये भारी संख्या में मछुआ नाव प्राप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मछुआ नाव प्राप्त करने का विचार है तथा उनको कहां पर काम में लाया जायेगा ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास केरल में समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिये

मछुआ नाव प्राप्त करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं। हां, केरल राज्य सरकार का एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार चार शिम्प्र मछुआ नाव तथा ट्युना फिशिंग के लिये एक मछुआ नाव खरीदी जायेगी जिनको अस्थायी रूप से कोचीन में काम में लाया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार इनको बेपुर तथा कन्नानूर में भी काम में लाया जा सकता है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये विशिष्ट रूप से कोई धनराशि निश्चित नहीं की गई है परन्तु इस बारे में होने वाला व्यय मत्स्य-नौका के यंत्रीकरण की योजना के लिये रखे गये 1 करोड़ 25 लाख रुपये में से पूरा किया जायेगा।

Road Institute, Poona

583. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether a Central Road Transport Training and Research Institute is being set up at Poona ; and

(b) if so, when it would be set up and the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The scheme to set up a Central Road Transport Training and Research Institute is still under Government's consideration.

(b) Does not arise.

Small Tractors for Cultivators

584. **Shri Mohan Swarup :**
Shri M. L. Jadhav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any target for supplying small tractors and mechanised ploughs to 3 lakhs of cultivators in the Fourth Five Year Plan has been fixed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount estimated to be spent on this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The requirement of small tractors (Power tillers) for the IV Plan period has been roughly estimated by a Working Group as 3 lakh units. No target has yet been fixed.

(b) and (c) The question of establishing manufacturing capacity is being examined by a Technical Group.

सहकारिता विभाग

585. **डा० पं० शा० देशमुख :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सहकारिता विभाग बना है तब से लेकर 1963-64 के अन्त तक इसके द्वारा प्रशासन पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) इसने सहकार सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रत्येक वर्ष कितना-कितना ऋण तथा राज-सहायता दी है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रशासन पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :—

(रुपयों में)

1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1963-63	1963-64
(30-12-1958 से)					
71,182	4,78,923	8,13,949	8,80,333	9,16,721	8,81,011

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1958-59 से लेकर वर्ष 1963-64 तक सहकार के विकास के लिये राज्य सरकारों को दी गई राज सहायता तथा ऋण की धनराशि दर्शाने वाले विवरण

(लाख रुपयों में)

	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
ऋण	212	407	260	363	484	818
राज-सहायता	111	182	240	212	285	380

समाज के दुर्बल वर्ग को सहायता

536. डा० पं० शा० देशमुख : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने समाज के तथाकथित दुर्बल वर्गों की सहायता के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं;

(ख) दुर्बल वर्गों में कौन से व्यक्ति आते हैं तथा देश में उनकी संख्या लगभग क्या है;

(ग) चालू योजनावधि के दौरान उनकी सहायता पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इन दुर्बल वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई विभिन्न समितियों पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा उन समितियों की नियुक्ति में इन दुर्बल वर्गों को क्या ठोस लाभ पहुंचा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) सामाजिक सुरक्षा विभाग का अन्य बातों के साथ साथ मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्ध हैं। इस विभाग का कुछ सीमा तक आर्थिक तथा इस समय अन्य कसौटियों के आधार पर परिभाषित 'अन्य पिछड़े वर्गों' के कल्याण से भी सम्बन्ध है। तथापि, दुर्बल वर्गों के लिये बनाये गये अधिक व्यापक कार्यक्रम में ये बातें सम्मिलित हैं :—

(1) पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, अनापूचित आदिम जाति आदि) के कल्याण के लिये एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विशेष योजनायें ;

(2) सामुदायिक विकास का कार्यक्रम; और

(3) विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा चालू की गई कल्याण विस्तार परियोजनायें सम्मिलित हैं तथा सामाजिक, प्रतिरक्षा, सामाजिक तथा नैतिक शिक्षा, देखभाल सम्बन्धी सेवाओं के कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी उपाय।

कल्याणकारी सेवायें विशेषतया समाज के उन वर्गों के लिये है जिनके लिये विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता है।

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के विकास के लिये है तथा दुर्बल वर्गों का विकास करना इसके निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। तदनुसार, कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि दुर्बल वर्गों को विशेष लाभ पहुंच सके। निम्न विशिष्ट पग उठाये गये हैं :—

(1) सहकारी खेती संस्थाओं को दिये गये ऋणों के मामले में सहकारी केन्द्रीय बैंकों के अशोधित ऋण सम्बन्धी रक्षित लेखे में सरकारी अंशदान 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) सरकार द्वारा खेती के योग्य बनाई गई भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि आदि को पट्टे पर देने के मामले में सहकारी खेती संस्थाओं को अधिमान दिया जा रहा है।

(3) ग्रामदान गांवों में उत्पादन कार्यक्रमों के लिये तीसरी योजनावधि के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(4) इस बात पर बल दिया जा रहा है कि तीसरी योजनावधि के दौरान श्रमिक सहकारी समितियों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि हो।

(5) स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन देने के कार्यक्रम का विस्तार किया गया है ताकि तीसरी योजना की समाप्ति तक लगभग 1 करोड़ बच्चों को यह भोजन मिलने लगे।

पंचायती राज निकायों को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने आय व्ययकों में प्रति वर्ष एक पर्याप्त धनराशि निर्धारित करें जिससे दुर्बल वर्गों के विशेष लाभ के लिये योजनायें चालू की जा सकें तथा विभिन्न स्तरों पर दुर्बल वर्गों के कल्याण के हेतु बनाये गये कार्यक्रमों पर दृष्टि रखने के लिये जिला, खंड तथा ग्राम स्तर पर विशेष समितियों की स्थापना हो सके। सामुदायिक विकास सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन में प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) समाज के दुर्बल वर्गों में अधिकांशतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियां आती हैं क्योंकि अल्प विकसित होने के अतिरिक्त वे विशिष्ट नियोग्यताओं से भी पीड़ित हैं।

सरकार ने "दुर्बल वर्गों" की विशिष्ट रूप से कोई परिभाषा नहीं की है। तथापि, सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में 1960 में स्थापित किये गये अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 500 रुपये से कम है तथा लगभग 80 प्रतिशत की 1,000 रु० से कम है। अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,000 रु० से कम है, उनमें ऐसे परिवार भी हैं जो बुरी तरह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में बताये गये विभिन्न कार्यक्रमों के लिये तीसरी योजना में निम्न धनराशियों की व्यवस्था की गई है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. पिछड़े वर्गों का कल्याण	114
2. सामुदायिक विकास	294
3. सामाजिक कल्याण	28
कुल योग .	436

(घ) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ने दुर्बल वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिये श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में 1960 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल के गैरसरकारी सदस्यों पर यात्रा तथा मंहगाई भत्ते के रूप में 6,555 रुपया व्यय हुआ।

अध्ययन दल ने लाभांकारी सिफारिशें की हैं तथा सहकारिता विभाग पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित आदिम जाति) के उत्थान के लिये कार्यक्रम बनाते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखता है।

विशाखपतनम पत्तन में हड़ताल

587. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विशाखपतनम पत्तन के 3,000 से अधिक श्रमिकों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). विशाखापत्तनम पोर्ट तथा हार्बर श्रमिक संघ ने पत्तन प्रन्यास (पोर्ट ट्रस्ट) के सभापति को 67 मांगों की एक सूची भेजी थी। उन मांगों में निम्नलिखित मदें शामिल थीं :—

विशाखपत्तनम पत्तन प्रन्यास बोर्ड पर पत्तन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, सामयिक श्रमिकों की मजूरी तथा सेवा की शर्तें, वर्दियों का दिया जाना, कुछ कर्मचारियों की अवकाश सम्बन्धी शर्तें, ओवरटाइम की बकाया राशि का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य छुट्टियों के दिन काम करने का भुगतान, कुछ व्यक्तियों की पदोन्नति, कुछ सुविधाओं की व्यवस्था, कार्य-दर (पीस-रेट) योजनाओं का लागू किया जाना, कुछ मामलों में वेतनक्रम में वृद्धि, कुछ अनुशासन के मामलों में दण्ड समाप्त किया जाना, कुछ पदों का उत्पन्न किया जाना, अधीनस्थ मेरीन कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों की बारी-बन्दी (रोटेशन), स्वच्छता कर्मचारियों को गन्दगी भत्ते का दिया जाना, आदि, आदि। समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) के परामर्श से इन मांगों में से, एक मांग निकाल दी गई, 19 मांगों के बारे में पूर्ण रूप से समझौता हो गया और पांच मांगों पर आंशिक रूप से समझौता हो गया। समझौता अधिकारी के मतानुसार तीन मांगें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत नहीं आती थीं। श्रमिक संघ ने 8 जुलाई, 1964 से 12 जुलाई, 1964 तक हड़ताल रखी ।

समझौता कार्रवाई के परिणामस्वरूप हड़ताल 12 जुलाई, 1964 को समाप्त कर दी गई। श्रमिक संघ तथा पत्तन प्रन्यास ने 44 मांगों को, जिनके बारे में समझौता नहीं हो सका, न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करने के लिये सरकार को एक संयुक्त आवेदन-पत्र भेजा है।

छत्तीसगढ़ में पटसन की खेती

533. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बसाये गये हैं वहां पर पहली बार कच्चे पटसन की खेती शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि में वह खेती की जा रही है और लगभग कितना उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बस्तर जिले में छोटे पैमाने पर पटसन की खेती शुरू की है ।

(ख) 269 एकड़ भूमि में की गई पटसन की खेती से औसतन 263 पौंड प्रति एकड़ के हिसाब से पटसन के रेशे के उत्पादन की सूचना मिली है।

(ग) उस क्षेत्र में पटसन की खेती की प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सोचा जायेगा ।

गोदामों में गेहूं को हुई हानि

589. { श्री क० ना० तिवारी :
श्री तन सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल०-480 के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं सरकारी गोदामों में खराब हो गया और आदमियों के खाने के अयोग्य घोषित कर दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो 1961–62, 1962–63 में कुल कितना गेहूं खराब हुआ और कितना नीलाम किया गया और केन्द्रीय सरकार को इससे कितने रुपये की हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) आयात किया गया गेहूं, थोड़ी मात्रा में बाढ़ तथा पानी के चूने के कारण खराब हो गया और आदमियों के खाने के अयोग्य घोषित कर दिया गया।

(ख) पी० एल०-480 के अन्तर्गत आयात किये गये तथा अन्य गेहूं के पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। आयात किये गये गेहूं के बारे में, जो सरकारी गोदामों में रखा गया था, जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	गोदामों में खराब हुए गेहूं की मात्रा (मीट्रिक टन)	नीलाम किये गये गेहूं की मात्रा (मीट्रिक टन)	नीलाम किये गये गेहूं के कारण हुई हानि (रुपयों में)
1961–62	1,439	1,351	4,39,600
1962–63	1,411	337	1,08,532

गन्ने की पिराई

590. श्री क० ना० तिवारी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चीनी मिलों को अक्तूबर, 1964 से गन्ने की पिराई शुरू करने के लिये कहने के बारे में सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है और बहुत शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

पंजाब में गेहूं का मूल्य

591. श्री दे० जी० नायक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं के जोन बनाये जाने के कारण पंजाब में गेहूं की कीमत बहुत गिर गई है ; और

(ख) महाराष्ट्र तथा गुजरात में गेहूं की वर्तमान कीमतों की तुलना में पंजाब में गेहूं की इस समय क्या कीमत है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) गेहूं के ज़ोन बनने के पश्चात् पंजाब में गेहूं की कीमतें नीचे गईं परन्तु जुलाई से कीमतें फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं।

(ख) अगस्त के अन्त में करनाल (पंजाब) में दड़ा गेहूं की कीमत 48 रु० प्रति क्विंटल थी जब कि अमरावती (महाराष्ट्र) में बांसी गेहूं की कीमत 96.50 रु० प्रति क्विंटल तथा ढांडुका (गुजरात) में लाल गेहूं की कीमत 52.50 रु० प्रति क्विंटल थी। परन्तु महाराष्ट्र तथा गुजरात को 37.51 रु० प्रति क्विंटल की दर से बहुत बड़ी मात्रा में आयात किये गये सस्ते गेहूं का संभरण किया जाता है। महाराष्ट्र में पूरे वर्ष के लिये देशी गेहूं की एक लाख टन से कुछ अधिक मार्केटेबल सरपलस की तुलना में वर्ष के पहले आठ महीनों में महाराष्ट्र को 6.36 लाख टन विदेशी गेहूं उपलब्ध किया गया और देशी गेहूं की एक लाख टन से कम मार्केटेबल सरपलस की तुलना में गुजरात को 2.63 लाख टन विदेशी गेहूं दिया गया।

मछली-पालन उद्योग का विकास

592. **श्री द० ब० राजू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मछली-पालन उद्योग के विकास के लिये 1963-64 में आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये तैयार की गई विभिन्न विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) "मछली-पालन सहकारी समितियों को ऋण" सम्बन्धी केन्द्र द्वारा चालू की गई योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को 1963-64 में ऋण के रूप में 5 लाख रु० दिये गये। राज्य योजना की योजनाओं के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता पद्धति के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र की ओर से 4.30 लाख रु० का ऋण तथा 2.74 लाख रु० का अनुदान भी दिया गया।

(ख) मछली-पालन उद्योग के विकास के लिये 1963-64 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निम्न योजनायें हाथ में ली गईं :—

(1) मछली पकड़ने की नौकाओं का यंत्रीकरण।

(2) मछली के बीजों का उत्पादन तथा वितरण।

(3) मछली फार्म तथा जलाशयों, झीलों आदि से मछली पकड़ना।

(4) मछली नौकाओं के लिये उतरने तथा ठहरने की सुविधायें।

(5) मछली-पालन के लिये आवश्यक सामान का संभरण।

(6) प्रशिक्षण तथा कर्मचारीगण।

(7) बर्फ तथा शीतागार संयंत्र तथा मछली मंडियां।

(8) विस्तृत तथा व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ; तथा

(9) अन्य छोटे कार्यक्रम।

1326 (Ai) LS—6.

राष्ट्रीय राजपथ

593. श्री दासप्पा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र से बंगलोर-मंगलोर सड़क (बरास्ता मैसूर) तथा धारवाड़-गोआ सड़क तथा बंगलोर-तुमजुर-मंगलोर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैसूर सरकार से मैसूर राज्य में धारवाड़ से गोआ में पंजिम तक की सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बारे में कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर विचार किया जा रहा है। बंगलोर-मैसूर-मंगलोर तथा बंगलोर-तुमकुर (तुमजुर छपाई की गलती है)—मंगलोर सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों की सूची में शामिल करने के बारे में राज्य सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं। परन्तु उनको स्वीकार नहीं किया जा सका है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। फिर भी जहां तक बंगलोर-तुमकुर-मंगलोर सड़क का सम्बन्ध है, बंगलोर-तुमकुर भाग पहले से ही वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ (राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4) का एक हिस्सा है, और शेष सड़क के सम्बन्ध में लौह अयस्क के परिवहन के लिये सड़क के एक भाग पर निम्न विकास कार्यों की लागत का 50 प्रतिशत भाग पूरा करने के लिये कुल 1.04 करोड़ रु० के सहायक अनुदान दिये गये हैं :—

	सहायक अनुदान (लाख रुपयों में)
(क) बनासंदरा-हसन-मंगलोर सड़क को दो-तरफा बनाने के लिये	79.00
(ख) पाने-मंगलोर से मंगलोर तक एक नई मिलाने वाली सड़क का निर्माण	25.00
	104.00

पर्यटन के सम्बन्ध में भारत जापान समझौता

594. श्री बासप्पा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान में पर्यटन की उन्नति के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। सिद्धान्त रूप में भारत और जापान संयुक्त पर्यटक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये सहमत हो गये हैं जिससे कि दोनों में से किसी भी एक देश का पर्यटन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दूसरे भी देश का पर्यटन करने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

(ख) कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

बीकानेर के लिये विमान सेवा चालू करना

595. श्री कर्णीसिंहजी : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीकानेर (राजस्थान) के लिये भारतीय विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : बीकानेर के लिये विमान सेवा चालू करने की इस समय इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है।

उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ग्वालों की बस्ती

596. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सुप्रसिद्ध राठी नस्ल की गायें बहुत अधिक संख्या में पायी जाती हैं क्या उस राज्य में ग्वालों की एक बस्ती बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): खानाबदोश पशुपालकों का राजस्थान में पुनर्वास करने के लिये एक योजना मंजूर की गई है जिसकी अनुमानित लागत 35,70,000 रुपये है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधान की जाने वाली एक योजना के रूप में, इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ, इस क्षेत्र में गायों की राठी नस्ल का विकास करने और इस योजना को दिल्ली दुग्ध योजना अथवा राजस्थान में चल रही अन्य किसी दुग्ध योजना के साथ सम्बद्ध करने की भी व्यवस्था की गई है।

खानाबदोश पशुपालकों का पुनर्वास

597. श्री कर्णीसिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर जिले में अनूपगढ़–पूगल क्षेत्र में खानाबदोश पशुपालकों का पुनर्वास करने से सम्बन्धित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रारम्भ किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या पश्चिमी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इस सर्वेक्षण के परिणामों को देखते हुए कार्य करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उस योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) सर्वेक्षण लगभग पूरा होने वाला है।

(ख) एकत्रित जानकारी का विवेचन किया जा रहा है और सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रतिवेदन के पूरा हो जाने के पश्चात् उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव

598. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के हाल के अभाव को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार को दिये गये खाद्यान्नों तथा चारे के वितरण सम्बन्धी सूचनायें केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गई हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): कदाचित अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अमरीकी अभिकरण से पी०एल० 480 के अधीन प्राप्त खाद्यान्न तथा दाने और राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों को दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य राज्यों से एकत्रित किये गये चारे के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। यदि हां, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

राजस्थान में अकाल

599. { श्री कर्णी सिंहजी :
श्री रामचन्द्र उलाका : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारम्बार अकाल पड़ने की सम्भावना को दूर करने के लिये कुछ स्थायी उपायों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को राजस्थान सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं, उन पर कितना रुपया व्यय होगा और वे कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजस्थान के जिन क्षेत्रों में सामान्यतया खाद्यान्न के अभाव की स्थिति रहती है वहां 250 नलकूपों का निर्माण करने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना में नलकूपों के निर्माण का अथवा छिद्रण द्वारा विद्यमान खुले कुओं को गहरा करने का कार्य सम्मिलित है जिससे कि प्रथम क्रम में 10 मील के एक घेरे के अन्दर एक ऐसे कुएं की व्यवस्था हो सके।

योजना का अनुमानित व्यय 5 करोड़ रुपये का है जिसमें से लगभग 2 करोड़ 8 लाख रुपये कुओं के निर्माण पर तथा 3 करोड़ रुपये विद्युत लाइनों के लगाने तथा जलाशयों, बिजलीघर और कर्मचारियों के मकानों के निर्माण पर व्यय किये जाने हैं। योजना में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुओं के आस-पास के क्षेत्रों में राज्य वन विभागों द्वारा चारा एकत्रित करके रखा जायेगा। नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जो कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अधीनस्थ खोजान्वेषी नलकूप संस्था को सौंपा गया है। 1964–65 के दौरान 125 नलकूपों का निर्माण किया जायेगा जिसके लिये स्थलों का चयन किया जा चुका है। शेष 125 नलकूपों का निर्माण 1965–66 में किया जायेगा और उनके लिये स्थान राज्य सरकार द्वारा भारतीय भूतत्वीय संस्था की सहायता से निर्धारित किये जायेंगे। इस 5 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को ऋण देकर की जायेगी।

गन्ना सहकारी संघों को कमीशन

600. श्री बालगोविन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 और 1963–64 में कितनी गन्ना मिलों ने गन्ना सहकारी संघों को कमीशन नहीं दिया है ; और

(ख) इन अवशिष्ट राशियों को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के 46 चीनी के कारखानों ने, जिनकी सूची साथ संलग्न है, गन्ना सहकारी संघों को कमीशन का भुगतान नहीं किया है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3129/64]

(ख) उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के उन कारखानों के सम्बन्ध में जिन्होंने कि कमीशन का भुगतान नहीं किया है, सिवाय ऐसे कारखानों के जिन पर कमीशन की अधिक राशि बकाया नहीं है, सामान्यतया वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिये हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में कमीशन न देने वाले ऐसे एक एक कारखानों के मामलों के सम्बन्ध में कारखानों और गन्ना संघों के बीच झगड़ा चल रहा है।

उचित मूल्य की दूकानें

601. { श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 11 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1964 तक देश में सस्ते मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं और किन-किन वस्तुओं के लिये ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) क्या इन उचित मूल्य की दुकानों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह दिखाया गया है कि 31 जुलाई, 1964 को समाप्त होने वाले सात महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में उचित मूल्य की कितनी-कितनी दुकानें खोली गई हैं। इस अवधि में जो दुकानें बन्द हो गई उनकी संख्या को निकाल दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3130/64]

(ग) कुछ मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनमें आवश्यक जांच करने के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की गई थी।

बम्बई के निकट उपपत्तन

602. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के लगभग आठ मील पूर्व में नोवा द्वीप पर एक उपपत्तन स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी कुल लागत कितनी होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बम्बई बन्दरगाह के पूर्वी भाग की ओर किसी उपयुक्त स्थान पर जहाजों के खड़े होने के कुछ स्थानों की व्यवस्था करने की सम्भावना की इस समय जांच की जा रही है। पत्तन न्यास के परामर्शदाता इंजीनियर इस समय, पत्तन की वर्तमान क्षमता तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पत्तन के विकास के लिये एक वृहद योजना तैयार करने में लगे हुए हैं। इस कार्य के पूरा होने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। इसलिये, योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में चतुर्थ योजना काल के दौरान विचार किया जायेगा। परामर्शदाता इंजीनियरों के प्रतिवेदन के तैयार हो जाने पर परियोजना की कुल अनुमानित लागत मालूम होगी।

अम्बर चरखा केन्द्र

603. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में अप्रैल, 1964 के अन्त तक कितने अम्बर चरखा केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) 1964-65 के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अम्बर चरखा केन्द्रों को खोलने के लिये कितने रुपये का अनुदान दिया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गिर शेर

604. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य पशु बोर्ड कुछ अन्य एशियाई देशों में, जहां का प्राकृतिक वातावरण गुजरात के वनों जैसा है, गिर जंगल के शेरों को रखने की बात पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से एशियाई देश हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन्य पशुओं का निर्यात

605. श्री दे० जी० नायक : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य पशुओं सम्बन्धी अध्ययन दल ने विदेशी मुद्रा अर्जित के लिये वन्य पशुओं के निर्यात की सम्भावानाओं को खोज करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अप्रैल 1964 में सरकार ने जो अध्ययन दल स्थापित किया था उसका कृत्य यह है :—

(एक) उपलब्ध सामग्री के आधार पर विभिन्न जातियों के वन्य पशुओं और उनके बच्चों की उपलब्धिता का अनुमान लगाना;

(दो) वन्य पशुओं और उनके बच्चों के निर्यात के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली दीर्घकालीन नीतियों पर विचार करना और उनका सुझाव देना ;

(तीन) निर्यात प्रयोजनों के लिये वन्य पशुओं और उनके बच्चों की उपलब्धिता में वृद्धि करने की लिये उपायों की सिफारिश करना; और

(चार) निर्यात प्रयोजनों के हेतु वन्य पशुओं की विभिन्न जातियों का विकास करने के लिये विशिष्ट योजनाओं का सुझाव देना तथा उनकी अनुमानित लागत बताना।

(ख) अध्ययन दल ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

कृषि विस्तार में प्रशिक्षण

606. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विस्तार तथा विस्तार शिक्षा में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अमरीका और जापान को 31 अधिकारियों को भजने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां। अमरीका में प्रशिक्षण के लिये 31 अधिकारी चुन लिये गये हैं। इनमें से 26 अधिकारी अमेरिका जा चुके हैं और शेष 5 शीघ्र ही जाने वाले हैं।

(एक) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों पर शिक्षण से सम्बन्धित शिक्षकों और मुख्याध्यापकों (जिनके प्रशिक्षण की अवधि 1 महीने है) और (दो) राज्य, क्षेत्रीय, जिला और खण्ड स्तरों पर कृषि विस्तार/पशु पालन विस्तार से सम्बन्धित क्षेत्र अधिकारियों (जिनके प्रशिक्षण की अवधि 4 से 6 महीने तक है) के बीच जिस प्रकार स्थानों का वितरण किया गया है वह संलग्न विवरण में दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3131/64]

सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण

607. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसने किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के लिये आयोग ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) (एक) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश)

(दो) नेफ़ा

(तीन) बीकानेर, बारमेर और जैसलमेर जिले (राजस्थान)

(चार) लाहौल और स्पिती (पंजाब)

(ग) अभी तक आयोग से कोई विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं, परन्तु पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों को उसकी सहायता के प्रतिरूप में कुछ छूट दी जा चुकी है और उनमें से कुछ में क्षेत्रीय कार्यालय भी खोल दिये गये हैं।

Agricultural Development in Punjab

608. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of agriculture in the State of Punjab under the Third Five Year Plan ;

(b) the amount utilised so far ; and

(c) to what extent the expenditure incurred so far has been fruitful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Third Plan provision for Agricultural Development Programmes (including animal husbandry, dairying, forestry and fisheries) in Punjab is Rs. 28·76 crores.

(b) According to the information furnished in the Annual Plan of Punjab for 1964-65 an outlay of Rs. 13.07 crores is estimated to have been utilised during the first three years of the Third Plan.

(c) The production of certain individual crops such as rice, ground-nut and cotton has touched new record levels while the production of other crops has been affected due to adverse weather conditions such as deficient rains, floods, cold wave and frosty conditions during the last four years.

Minor Irrigation in Punjab

609. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Centre to the Punjab Government for development of minor irrigation projects in Punjab in 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963-64.

(b) whether that amount has been availed of ; and

(c) if so, to what extent the expenditure has been fruitful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b). Under the revised procedure for rendering financial assistance to State Governments, introduced from the year 1958-59, Central assistance admissible to various State Governments is sanctioned in bulk for schemes under the head "Agricultural Production" which includes Minor Irrigation and Land Development. As such, it is not possible to indicate the amount of Central assistance given to the Government of Punjab for their Minor Irrigation Projects in 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963-64. Information with regard to grant and loan sanctioned to the Government of Punjab and availed of by them during these years for their Agricultural Production Schemes, including Minor Irrigation and Land Development, is however, given below :—

(Rs. in lakhs.)

Year	Central assistance provisionally sanctioned		Central assistance finally adjusted	
	Loan	Grant	Loan	Grant
1960-61	101·16	51·57	93·73	47·80
1961-62	82·80	55·07	76·31	51·13
1962-63	107·90	73·30	95·10	64·10
1963-64	68·24	69·25	Figures not yer available	

(c) The State Government have reported that the expenditure incurred on these schemes has been fruitful.

Cooperative Societies

610. Shri Bagri : Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the small cooperative farming societies **have not** proved a success ; and

(b) if so, the steps taken to make them more popular ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) and (b). No, Sir.

Theprogress of co-operative farming societies is reviewed regularly in the Ministry and action is taken to resolve their difficulties from time to time.

A Committee has also been appointed by the Ministry under the Chairmanship of Prof. D.R. Gadgil to evaluate the progress of cooperative farming societies and suggest improvementsso that the programme becomes not only successful but also popular.

The report of the Committee is expected in January 1965.

गेहूं और चावल का राशन

611. { श्री गुलशन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजधानी में गेहूं और चीनी का राशनिंग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): : जी, नहीं ।

पालम हवाई अड्डा

612. श्री बड़े : क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर एक आधुनिक 'टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जायेगी ;

(ख) यदि हां. तो इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) हवाई अड्डे को वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग किस प्रयोग में लाई जायेगी ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी प्राक्कलन तैयार करना है ।

(ग) विकास के प्रथम चरण में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिये एक बिल्डिंग बनाने का विचार है । तब तक वर्तमान बिल्डिंग का प्रयोग देश के यातायात को सम्भालने के लिये किया जाता रहेगा ।

उर्वरकों का आयात

613. श्री बड़े : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आगामी छः महीनों में कितने उर्वरकों का आयात करना चाहती है ।

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि इजराइल ने उर्वरकों का सम्भरण करने के लिये प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) गत पांच वर्षों में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया ; और

(ङ) भारत में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन होता है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क), (ख), (घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3132/641]

(ग) जी, नहीं ।

अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार कार्यालय

614. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग व्यक्तियों की शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति के संकल्प के अनुसरण में कुछ राज्यों में विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने विशेष रोजगार दफ्तर खोले हैं और प्रत्येक राज्य में कितने अपंग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्न सारिणी में वे स्थान दिये गये हैं जहां 31 जुलाई, 1964 तक विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं तथा उनके द्वारा जितने लोगों को रोजगार दिये गये हैं उनकी संख्या दी गई है :—

क्रम संख्या	स्थान का नाम	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया है
1	बम्बई	442
2	दिल्ली	380
3	मद्रास	194
4	हैदराबाद	149
5	अहमदाबाद	98
6	कलकत्ता	84
7	बंगलौर	30
8	चण्डीगढ़	58
	कुल . . .	1,535

पत्तनों में खाद्यान्नों का जमा होना

615. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की एक इंजीनियरी फर्म ने गोदियों में खाद्य टैंकरों से गेहूं को सीधे उतारने के लिये एक नये प्रकार के वैगन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है ताकि पत्तनों में खाद्यान्नों के जमा होने की समस्या हल हो सके; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है ग्रौर इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ग्रौर (ख) जी, हां। बम्बई की एक इंजीनियरी फर्म ने गोदियों में खाद्यान्नों को खाद्य टैंकरों से सीधे उतारने के लिये एक विशेष प्रकार के वैगन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में कोई नवीन बात नहीं है। चूंकि मजदूर वैगनों से मशीनों द्वारा सामान उतारने का विरोध करते हैं ग्रतः बम्बई पत्तन द्वारा ग्रभी तक टैंकरों से खाद्यान्नों को सीधे रेल के डिब्बों में उतारने की प्रणाली नहीं ग्रपनाई गई है।

ग्रहमदपुर नेशनल शूगर मिल्स

616. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल शूगर मिल्स ग्रहमदपुर को, जो कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, मद्रास में स्थानान्तरित किया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"भूख से विमुक्ति"

617. { श्री राम चन्द्र मलिक :
श्री तन सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 10 सितम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भूख से मुक्ति ग्रांदोलन" के ग्रन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संस्था से 1963 में कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई थी; ग्रौर

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में क्या उक्त संस्था से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) खाद्य तथा कृषि संस्था केवल एक समन्वयकारी ग्रभिकरण है ग्रौर कोई सहायता नहीं देती है। यह संस्था लाभप्रद परियोजनाग्रों का केवल प्रायोजन करती है ग्रौर उनके लिये संबंधित सरकारों/गैर-सरकारी संस्थाग्रों से सहायता दिलाने का प्रयत्न करती है। ग्रकाल सहायता सम्बन्धी ग्राक्सफोर्ड के साथ किये गये

समझौते के अनुसरण में, 1963 में इस संस्था ने कैरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को 302,500 डालर के मूल्य का एक खाद्य मिश्रण संयंत्र देने का वायदा किया था।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर की गई अथवा मंजूर की जा रही परियोजनाओं की संख्या 7 है और प्रत्याशित सहायता का अनुमान 700,000 डालर लगाया जाता है।

मत्स्य क्षेत्र संचालन प्रशिक्षण संस्था

618. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 10 सितम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में मत्स्य क्षेत्र संचालन प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योजना के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० रा० चह्वाण) : (क) अरनाकुलम के मत्स्य क्षेत्र संचालन की केन्द्रीय संस्था का औपचारिक उद्घाटन 16 अप्रैल, 1964 को किया गया था। संस्था में इस समय निम्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं :—

(1) मास्टर फिशरमैन कोर्स (फिशिंग सेकिन्ड हैन्ड्स)—16 मार्च, 1964 से; और

(2) इंजिन चालकों का पाठ्यक्रम—1 जुलाई, 1964 से।

राज्य सरकारों ने 21 प्रशिक्षणार्थी प्रथम पाठ्यक्रम के लिये और 8 प्रशिक्षणार्थी दूसरे पाठ्यक्रम के लिये भेजे हैं। इसके अतिरिक्त 6 गैर-सरकारी प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रथम पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया है। द्वितीय पाठ्यक्रम में कुछ गैर-सरकारी प्रशिक्षणार्थियों को भी दाखिल करने का विचार है।

(ख) इस योजना के लिये तृतीय योजना में कुल 61 लाख डालर की राशि का उपबन्ध किया गया है।

उड़ीसा में चीनी मिलें

619. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963–64 और 1964–65 में अब तक उड़ीसा राज्य के कुछ स्थानों में कुछ सहकारी चीनी मिलें पहले से ही स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये मिलें पहले से ही स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जायेंगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी जायेगी अथवा पहले से दी जा चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) और (ख). एक सहकारी चीनी मिल 1963–64 में आस्का, जिला गंजम (उड़ीसा) में स्थापित की गई थी। 1964–65 में किसी अन्य सहकारी चीनी मिल के स्थापित किये जाने की आशा नहीं है। 31 मार्च, 1964 तक आस्का सहकारी चीनी उद्योग लिमिटेड, आस्का की अंश पूंजी में भाग के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को 10.38 लाख रुपये दिये गये हैं। इस प्रयोजन के लिये चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात्, 1964–65 में 4 लाख रु० का अग्रेतर उपबन्ध किया गया है।

भिखारियों के बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था

620. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भिखारियों के बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी नहीं। परन्तु भिखारियों के बालकों को देश के अन्य बालकों की तरह निश्चित स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुन्दरबन क्षेत्र में मछलियां पकड़ना

621. श्री मुहम्मद इलियास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने मिलकर पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में मछली पकड़ने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सुन्दरबन क्षेत्र में मछली पकड़ने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है और वाणिज्यिक स्वरूप की अभी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, एक वाणिज्यिक योजना को आरम्भ करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये केन्द्र ने खोज और अनुसन्धान का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ नौकाएं भी तटीय जल में मछलियां पकड़ रही हैं। सारी कार्यवाहियों के आपसी मेल के लिये प्रशासनिक प्रबन्ध भी किये गये हैं जिससे कि परिणामों का शीघ्र पता चल जाये। वर्तमान योजना के अन्तर्गत क्षेत्र के कुछ चुनीदा स्थानों में विभिन्न प्रकार के गियरों से मछलियां पकड़ी जायेंगी जिससे यह पता लग सके कि वहां कितनी मात्रा में मछलियां हैं तथा उनके पकड़ने के लिये कौन से यंत्र उपयुक्त हैं। सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् यदि अच्छे परिणाम निकले तो मछली पकड़ने की एक वाणिज्यिक योजना आरम्भ की जायेगी।

वन

622. श्री ह० प० चटर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वन' को एक 'संवर्ती' विषय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस अवस्था पर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि संरक्षण

623. श्री ह० प० चटर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी व्यक्तियों की भूमि में प्रभावशाली मिट्टी संरक्षण कार्य के लिये केन्द्र तथा राज्यों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सरकारी तथा गैर-सरकारी भूमि दोनों के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा, प्रभावशाली मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम बनाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(एक) मिट्टी संरक्षण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये तृतीय योजना में पर्याप्त उपबन्ध किया गया है।

(दो) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया है जो कि मिट्टी संरक्षण में अनुसन्धान करने, राज्यों को मिट्टी संरक्षण योजनाएं तैयार करने में सहायता देने, इन योजनाओं के लिये तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने और राज्यों को वित्तीय सहायता पर सिफारिश करने के लिये जिम्मेवार है।

(तीन) अधिकांश राज्यों में, उपयुक्त भूमि संरक्षण योजनाएं, आरम्भ करने, तैयार करने और उनके बारे में राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिये, राज्य भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

(चार) अच्छे तकनीकी तरीके पर भूमि संरक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्यों में भूमि संरक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

(पांच) भूमि संरक्षण कार्य का खर्चा उठाने के लिये काश्तकारों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और ऋण दिया जाता है।

(छः) जल विभाजक आधार पर कार्यक्रम की प्रभावशाली क्रियान्विति के लिये अधिक अधिकार ग्रहण करने के लिये अधिकांश राज्य सरकारों ने भूमि संरक्षण सम्बन्धी विधान बना लिये हैं।

(सात) भारत सरकार की अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण संस्था, राज्यों को प्रभावशाली मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम बनाने में सहायता देने के लिये,

मिट्टी तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण करती है। मिट्टी संरक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान करने और आस पड़ोस के काश्तकारों को उनके परिणामों का प्रदर्शन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में 9 मिट्टी संरक्षण अनुसन्धान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों में मिट्टी संरक्षण के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

लघु सिंचाई परियोजनायें

624. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये कोई सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सहायता योजना के व्यय से अतिरिक्त है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जी हां, लघु सिंचाई कार्यक्रमों की शीघ्र क्रियान्विति के लिये, तृतीय योजना के आरम्भ से विभिन्न राज्यों के योजना के अधिकतम वार्षिक व्यय से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है जो कि निम्न है :—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1. 1961–62	3.50
2. 1962–63	9.26
3. 1963–64 . .	12.11
4. 1964–65	12.85
	(लघु सिंचाई और कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये)

इस प्रश्न पर भी कि क्या सहायता की ये राशियां योजना के अधिकतम निर्धारित व्यय से अतिरिक्त होंगी या नहीं, 1965–66 के लिये योजना पर वार्षिक चर्चा के समय, पुनः विचार किया जायेगा।

जम्मू में पर्यटकों के लिये आवास स्थानों की व्यवस्था

625. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस से अवगत है कि श्रीनगर को विमान द्वारा जा रहे पर्यटकों और अन्य यात्रियों को मौसम की खराबी के कारण जब जम्मू में रुकना पड़ा तो वहां पर उनके लिये ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा; और

(ख) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां। हम यह जानते हैं कि हवाई यात्रियों को मौसम की खराबी के कारण जब जम्मू में रुकना पड़ता है तो वहां पर ठहरने के लिये उन्हें सदैव अच्छा स्थान नहीं मिलता।

(ख) ऊंची आय वाले पर्यटकों के लिये जम्मू में इस समय निम्न उचित स्थान उपलब्ध हैं: —

(एक) सरकारी अतिथि घर——दो कमरों वाले चार सेट ।

(दो) पर्यटक स्वागत केन्द्र—दो कमरों वाले दस सेट ।

जम्मू तथा काश्मीर की तृतीय योजना में जम्मू में एक होटल के निर्माण के लिये 7 लाख रु० का उपबन्ध किया गया है । इस होटल में 50 पलंगों की व्यवस्था होगी । अल्पकालिक उपाय के रूप में पर्यटक स्वागत केन्द्र, जम्मू में वर्तमान आवास स्थानों के नवीकरण पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 50,000 रु० खर्च करना चाहती है ।

उद्योगों में भविष्य निधि अंशदान

626. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ उद्योगों में भविष्य निधि अंशदान की दर बढ़ाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से उद्योग हैं और यह वृद्धि कब से की जायेगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भविष्य निधियों के लिये अंशदानों की बढ़ी हुई दर को निम्न उद्योगों/स्थापनाओं की श्रेणी पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है :—

1. चाय के बागान (असाम राज्य से चाय के बागानों के अतिरिक्त) ।
2. काफी के बागान ।
3. रबड़ के बागान ।
4. इलायची के बागान ।
5. लाल मिर्च के बागान ।
6. लोह अयस्क की खानें ।
7. मेंगनीज की खानें ।
8. चूने के पत्थर की खानें ।
9. सोने की खानें ।
10. औद्योगिक और 'पावर एल्कोहल' उद्योग ।
11. एसबस्टोस सीमेंट की चादरों का उद्योग ।
12. कॉफी साफ करने की स्थापनाएं ।

1326(Ai)LSD—7.

उद्योगों में भविष्य निधि योजना

627. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि की योजना को आक के कारखानों पर जो कि कारखाने अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, लागू करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) जी नहीं । परन्तु सरकार इस योजना को अनेक ऐसे उद्योगों पर, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, लागू करना अधिक अच्छा समझेगी ।

पटसन की खेती का क्षेत्र

628. **श्री बीरेन दत्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1963 को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों में देश में पटसन की खेती का कुल क्षेत्र कितना था ;

(ख) इस अवधि में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख)

वर्ष	वर्ष 1958-59 से 1962-63 तक के मौसमों में देश में पटसन की खेती का एकड़ योग तथा उत्पादन	
	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर्स)	उत्पादन (180 किलोग्राम की हजार गांठें)
1958-59 . .	733	5,199
1959-60 .	682	4.534
*1960-61 . .	612	4,014
*1961-62 .	923	6,398
*1962-63	851	5,449

*अंशतः पुनरीक्षित ।

(ग) देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन विकास योजनायें आरम्भ की गयी हैं ।

पटसन विकास योजनाओं के अन्तर्गत निम्न उपाय किये गये हैं :

(1) अच्छे बीजों का प्रयोग।

(2) अच्छे सामान का प्रयोग।

(3) अच्छे कृषि साधनों को अपनाना।

(4) संयंत्र संरक्षण उपायों का अपनाना।

(5) उर्वरकों का वितरण।

(6) रेटिंग सुविधाओं में सुधार।

इनके अतिरिक्त, पांच जिलों, अर्थात् पश्चिम दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद तथा नाडिया, पश्चिम बंगाल और पूर्निया तथा सहरसा बिहार में, जहां पटसन की प्रति एकड़ उपज कम है, एक पटसन की सघन खेती योजना के लिये, जिसे पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है, मंजूरी दी गयी है ।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 28

629. **श्री द्वा० नाथ तिवारी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के विकास संबंधी योजना त्याग दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्ण रूप से इस काम को त्याग देने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस राजमार्ग के विकास एवं सुधार के लिये जिन कामों के लिये मंजूरी दी गयी वह सभी हो रहे हैं । वर्षा ऋतु काल में मौसम की खरावी के कारण कुछ कामों को स्थगित करना पड़ा था ।

Tourist Guides

630. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) Whether an increase in the daily rates of the fees of tourist guides is under the consideration of the Government ;

(b) if so, the time by which these will be increased and the amount of increase; and

(c) the present rates of the fees of the tourist guides ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Rates of fees of Tourist Guides have already been increased with effect from 15th May, 1964.

(b) and (c). The revised rates of Guide fees as also the rates prior to 15th May, 1964 are given below :

RATES PRIOR TO 15th MAY, 1964 :

(a) *For Local sight-seeing* :

No. of tourists.	Half day.	Full day.
(i) 3 or below . . .	Rs. 8·00	Rs. 12·00
(ii) 4 to 15 . . .	Rs. 10·00	Rs. 15·00
(iii) 15 and above. . .	Rs. 10·00 plus Re. 1·00 per additional tourist over & above 15 subject to a maximum of Rs. 15·00.	Rs. 15·00 plus Re. 1·00 per additional tourist subject to a maximum of Rs. 20·00.

(b) *For out-stations* :

No. of tourists :

(i) 3 persons or less . . .	Rs. 15·00
(ii) 4 to 15 persons	Rs. 18·00
(iii) over 15 persons . . .	Rs. 18·00 plus Re. 1/-, per additional tourist over and above 15 subject to a maximum of Rs. 23/-.

(For outstations the fees prescribed were irrespective of the time spent on duty).

PRESENT RATES WITH EFFECT FROM 15th MAY, 1964.

(a) *For Local Sight-seeing*:

No. of Tourists	Half day	Full day.
(i) 4 or below . . .	Rs. 10·00	Rs. 15·00
(ii) 5 to 15 . .	Rs. 12·00	Rs. 18·00
(iii) 15 and above	Rs. 12·00 plus p. 50 per additional tourist subject to a maximum of Rs. 15·00.	Rs. 18·00 plus p. 50 per additional tourist subject to a maximum of Rs. 22·00.

(b) *For Outstations* :

(i) 4 persons or less	Rs. 18·00
(ii) 5 to 15 persons	Rs. 22·00

(iii) Over 15 persons . . . . Rs.22·00 plus p. 50 per additional tourist over and above 15 subject to a maximum of Rs. 25·00.

(For outstations the fees prescribed are irrespective of the time spent on duty).

In addition to this, guides are now entitled to overtime fees at the rate of Rs. 2·00 per hour for local sightseeing provided the duty extends beyond eight hours. No overtime is allowed for outstation assignments.

गिर शेरों का निष्क्रमण

631. **श्री प्र० के० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिर वन, सौराष्ट्र, में से शेर निकल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह शेर किन क्षेत्रों में चले गये हैं ; और

(ग) इस बहिर्गमन के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। सामान्यतः गिर वन से मौनसून में शेर वहां मक्खियों और मच्छरों के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में चले जाते हैं और इस मौसम के पश्चात् लौट आते हैं। शेर गिर वन में घास के बढ़ जाने से मक्खियों और मच्छरों आदि को पसन्द नहीं करते। परन्तु इस का यह मतलब नहीं है कि शेर वहां से निकल गये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Polishing of Rice

632. **Shri Chandak** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that double polishing of rice results in wastage of rice and also reduces its nutritive value;

(b) whether hand pounding of rice can save such wastage and shortage of rice can be overcome thereby; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) Yes.

(b) Hand pounding results in a higher percentage of broken rice and shortage of rice cannot be overcome thereby.

(c) Double polishing of rice results in loss of nutrition owing to the removal of nutrients which are concentrated on the outer layer ofthe rice grain. This loss is less in the case of hand pounding. More nutrients can be retained in the milled rice by undermilling. It is necessary to adopt modern techniques of processing to increase the outturn of rice from paddy.

दूध की बोतल में मक्खी

633. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अगस्त मास के आरम्भ में स्वास्थ्य मंत्री को दी गयी एक दूध की बोतल में एक मक्खी पाई गयी थी ; और

(ख) यदि हां, इस कर्त्तव्य-अवहेलना के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने 22 जुलाई 1964 को दिल्ली दुग्ध योजना को लिखा कि दुग्ध योजना से खरीदी गयी दूध की बोतल में मक्खियों या कीड़ियों का एक जोड़ा पाया जो बोतल को हिलाने पर ही दिखाई देता था।

दूध की बोतल का दिल्ली दुग्ध योजना की किस्म नियंत्रण प्रयोग शाला में निरीक्षण कि ा गया। प्रयोगशाला के मुख्य अधिकारी के प्रतिवेदत से पता चला कि बोतल में मक्खी या कीड़ा नहीं थी यद्यपि कुछ रंग वाला दूध का फैट उस में था । उस प्रतिवेदन के आधार पर हिदायतें जारी कर दी गयीं कि इस प्रकार का दूध का फैट या अन्य बाहर की चीजें दूध में नहीं होनी चाहिए ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग
उत्तर खंड

634. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, उत्तरांखंड, क्षेत्र ने, जिस के लिये कुछ समय पूर्व एक नया एकक बनाया गया था, अपने काम में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) इस एकक द्वारा वर्ष 1964-65 के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) एक विवरण संलग्न है । **पुस्तकाल्य मे रखा गया देखिये ंख्या एल० टी० 3133/64**

(ख) वर्ष 1964-65 के कार्यक्रम में सूती तथा ऊनी खादी का उत्पादन, आत्म-निर्भर के प्रयोजनार्थ ऊन का विवरण तथा ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रमों का विकास भी शामिल है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र

635. { **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1958-59, 1959-60, 1960-61 तथा 1961-62 की अवधि में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी ग्रामोद्योग केन्द्र के जरिये सरकार से किन किन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी सहायता मिली ;

(ग) ऐसी कौन सी संस्थायें हैं जिन्होंने सहायता प्राप्त करने के पश्चात् काम करना बन्द कर दिया ; और

(घ) ऐसी संस्थाओं से दिये गये ऋणों को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग) आयोग की ओर से परिनियत राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, एक हजार से अधिक पंजीकृत संस्थाओं तथा लगभग 1500 सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिये सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा।

(घ) आयोग द्वारा जिन संस्थाओं, राज्य बोर्डों तथा सहकारी संस्थाओं को सीधे अग्रिम ऋण दिये जाते हैं उनसे वसूल करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) भार साधक आयोग के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एक विशेष वसूली विभाग स्थापित किया गया है। उसके द्वारा हर मास वसूल किये गये ऋण की रिपोर्ट आयोग को दी जाती है।

(2) राज्य बोर्डों से ऋण वसूल करने के लिये आयोग के उप प्रधान विभिन्न राज्य बोर्डों के प्रधानों को लिखते हैं।

(3) सहकारी संस्थाओं से ऋण वसूल करने के लिये सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों की सहायता प्राप्त की जाती है।

(4) संस्थाओं के विरुद्ध दीवानी दावे एवं फौजदारी की शिकायतें की जाती हैं।

(5) संस्थाओं को ऋण चुकाने में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें समझने के प्रयास किये जाते हैं और जहां कहीं ऐसा करना सुकर हो वहां वित्तीय सहायता दे कर काम पुनः चालू करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है।

त्रिपुरा में अम्बर चरखे

636. **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अम्बर चरखे चलाने पर दिसम्बर, 1963 तक कुल कितनी धन राशि खर्च की गयी ;

(ख) अम्बर चरखा केन्द्र किन किन स्थानों पर चालू किये गये ;

(ग) अब ऐसे चरखे कितनी संख्या में चल रहे हैं ;

(घ) ऐसे चरखों से कुल मासिक कितना उत्पादन होता है ; और

(ङ) इन चरखों पर कुल कितने पुरुष एवं स्त्रियां काम कर रहे हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

Suratgarh Agricultural Farm

637. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to crops in Suratgarh Agricultural Farm run by Government, as a result of the recent floods in the Ghaggar river; and

(b) whether Government propose to take some positive steps to prevent the recurrence of this loss in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The damage done to crops including plantations in the Orchard at the Farm up to the 31st August, 1964 is estimated at Rs . 8·77 lakhs.

(b) Work on a comprehensive scheme costing Rs.3·21 crores to control and regulate the Ghaggar floods is in progress.

सामाजिक कार्य संबंधी भारतीय सम्मेलन

638. **श्री बाडीवा :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 अगस्त से 13 अगस्त, 1964 तक भोपाल, मध्य प्रदेश, में अनुसूचित आदिम-जातियों, अनुसूचित आदि जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में हुए सामाजिक कार्य सम्बन्धी भारतीय सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गयीं ; और

(ख) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) भोपाल में हुई गोष्ठी की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । उस गोष्ठी में अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं पर विचार किया गया । और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर वहां चर्चा नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेहतरों के लिये हाथ गाड़ियां

639. **श्री कजरोल कर :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मेहतरों को मल सर पर ढोने से बचाने के लिये जो हाथ गाड़ियां उपलब्ध करने की योजना थी वह असफल हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को उचित रूप से कार्य रूप देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) यह बात गलत है कि वह योजना असफल हो गयी है । यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में गैर-सरकारी निकायों द्वारा रखे गये मेहतरों ने इस योजना के प्रति ठीक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई चूंकि मल उठाने की एक परम्परागत पद्धति चली आ रही है । परन्तु नगरपालिका के मेहतरों में इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और देश के अधिकतर भागों में गैर-सरकारी मेहतरों में भी यह सफल रही है ।

(ख) मेहतरों की स्थिति सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को वर्ष 1961–62 में अधिक वित्तीय सहायता दी गयी थी । भारत सरकार ने वर्ष 1962 में

मेहतरों द्वारा मल के सरों पर उठाने की प्रथा को समाप्त करने में सहायता करने और इस विषय में मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रणा समिति नियुक्त की थी ।

दिल्ली दुग्ध योजना का कर्मचारी वर्ग

640. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं परन्तु जो अभी तक अस्थायी कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनके स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रेणी तीन के 296 और श्रेणी चार के 281 कर्मचारी ।

(ख) सरकार के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत, इस प्रकार तीन वर्ष से भर्ती किये गये अस्थायी पदों के केवल 80 प्रतिशत पदों को स्थायी घोषित किया जा सकता है बशर्ते कि उनके सुपुर्द किये गये काम स्थायी प्रकार के हों । इसलिये सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में स्थायी पदों को मंजूर करने और पदों पर काम करने वालों को स्थायी घोषित करने में समय का अन्तर भी होता है चूंकि स्थायी बनाने से पहले कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जैसे वरीयता सूचियों को तयार करना ; उम्मीदवारों की अर्हता सम्बन्धी भर्ती नियमों का निरीक्षण ; उम्मीदवारों के निजी रिकार्ड से देखना कि उनकी डाक्टरी जांच हुई है कि नहीं आदि । इस समयान्तर को कम करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रश्न को देखने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन एक अलग विभाग खोला जाए ।

पशु पालन आयुक्त

641. **श्री धर्मलिंगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक गैर-पशु-चिकित्सक की नियुक्ति पशु पालन आयुक्त के रूप में की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) जो वर्तमान पशुपालन आयुक्त है वह इस पद के लिये निर्धारित एवं आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं । वह पशु जैनैटिक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं ।

Phulphur Parliamentary Bye-Election

642. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Phulpur Parliamentary bye-election was scheduled to be held in October, 1964;

(b) whether it is also a fact that the dates of the bye-election have been extended; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). No, Sir. Two Parliamentary bye-elections (Phulpur and another) and three Assembly bye-elections are due to be held in Uttar Pradesh. The Election Commission, after consulting the State Government, has decided to notify all the five bye-elections on October 17, 1964 and to fix November 22, 1964 as the Polling date.

(c) Does not arise.

चीनी

643. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ दूकानदार चीनी पीस कर 2 रुपये प्रति किलो की दर से ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पंजाब से शिकायत आई थी कि कुछ दूकानदार मोटी चीनी को पीस कर अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं ।

(ख) पंजाब सरकार को सलाह दी गयी थी कि इस प्रकार की गति विधियों को रोकें और यदि आवश्यक हो तो ऐसे लोगों के चीनी के कोटे रद्द करें ।

बाल अपराध

644. **श्री तन सिंह** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में बाल अपराधियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) सामाजिक कल्याण कार्यों से इस समस्या पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) विशेषकर बाल अपराध की दृष्टि से नैतिक स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करने के लिये यदि कोई विशेष प्रयत्न किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). इस बारे में अब तक कोई सवक्षण नहीं किया गया है, इसलिये पिछले पांच वर्षों में बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि अथवा इस समस्या पर सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रभाव के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विशेषकर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि से बाल अपराधों को रोकने तथा बाल अपराधियों को सही रास्ते पर लाने वाली संस्थाओं तथा सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है ।

ऐसे बच्चों को अपनी हिफाजत में लेने के लिये, जिन्हें देख भाल तथा संरक्षण की आवश्यकता है, विशेष संस्थाएं तथा लम्बे अर्से तक उनकी देखभाल करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये विशेष स्कूल तथा गृह स्थापित किये गये हैं । बच्चों सम्बन्धी अधिनियमों का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया

है । अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, जिसमें 21 वर्ष से कम की आयु के व्यक्तियों के मामले में परिवीक्षा तरीका लागू करने सम्बन्धी विशेष उपबन्ध है, अब लगभग सारे देश पर लागू है ।

Shortage of Milk and Ghee

645. **Shri Rameshwaranand :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to meet the present shortage of milk and ghee which is being experienced in the country ;

(b) the *per capita* quantity of milk presently available in the country; and

(c) whether the milk supply has increased during the second and third Five Year Plan periods as compared to First Plan period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as the same becomes available.

अन्दमान में इमारती लकड़ी प्राप्त करना

646. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान प्रशासन ने अन्दमान में नील द्वीप से इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिये कलकत्ता की मैसर्ज कमल एण्ड कम्पनी को कितनी अवधि के लिये ठेका दिया था ;

(ख) ठेकेदार ने प्रति वर्ष कितने क्षेत्र को साफ करना था तथा अब तक उसने वास्तव में कितना क्षेत्र साफ किया है ; और

(ग) क्या ठेकेदार की ठेके की अवधि बढ़ा दी गयी है और यदि हां, तो वह अवधि कितनी बढ़ायी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान में इमारती लकड़ी की हानि

647. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन विभाग, अन्दमान द्वीप द्वारा दक्षिण अन्दमान में रंगाचांग चिरिआतापू सेक्टर में 150 एकड़ वन क्षेत्र को कृषि विभाग को नारियल की खेती करने के लिये दिये जाने से पहले वहां से ग़ैर-व्यापारिक इमारती लकड़ी न निकालने अथवा नहीं निकलवाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) वन विभाग की इस असफलता के कारण इमारती लकड़ी की अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान में इमारती लकड़ी निकालने की दरें

648. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में नील द्वीप से इमारती लकड़ी निकालने के लिये कलकत्ता की फर्म को जो ठेका दिया गया है उसकी स्वामित्व की दरें क्या हैं ; और

(ख) ये दरें दक्षिण अन्दमान में क्रमशः रुटलैंड द्वीप तथा नया शहर-मंगलुतन क्षेत्र से मैसर्ज एलबियन प्लाईवुड तथा मैसर्ज अन्दमान टिम्बर इंडस्ट्रीज द्वारा हाल में सुझाई गई दरों की तुलना में कैसी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान रेगिस्तान

649. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान रेगिस्तान में वनरोपण सम्बन्धी योजना पर काम चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). इस समय राजस्थान के मरु क्षेत्रों में वनरोपण के निम्न काम किये जा रहे हैं :—

(1) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर अन्य कामों के साथ-साथ वनीकरण के विस्तार जिसमें बचाव पट्टी (शेल्टर बेल्ट) तथा वनरोपण सम्बन्धी अनुसन्धान शामिल है, का कार्य करती है। संस्था ने 1800 एकड़ क्षेत्र को जिसमें रेत के टीले बनते रहते थे और 2600 एकड़ चिट्टानी, अर्ध-चिट्टानी तथा जमी हुई मिट्टी वाले क्षेत्र को पहले ही अपने वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया है। इसके अतिरिक्त, 220 किलोमीटर को बचाव-पट्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है। इन कार्यक्रमों पर अब तक 16 लाख रु० व्यय हुए हैं ।

(2) राजस्थान सरकार ने "मरु क्षेत्रों में भूमि संरक्षण" सम्बन्धी राज्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण कार्य को जिसमें बचाव-पट्टी कार्य भी शामिल है, अपने हाथ में ले लिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये 3200 एकड़ और 161 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 1963-64 तक क्रमशः 1657 एकड़ तथा 55 किलोमीटर क्षेत्र में काम पूरा हो गया है। योजना में निर्धारित कुल 8.00 लाख रुपये के व्यय की तुलना में उपरोक्त अवधि में 3.03 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(3) इसके अतिरिक्त, मरु क्षेत्रों के अधिक तेजी से विकास के लिये एक मरु भूमि विकास बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी भारत सरकार विचार कर रही है।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

"दि इकोनामिक्स आफ मोड्रनाइजेशन इन दी इंडियन वूल टेक्सटाइल इन्डस्ट्री"

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से "दि इकोनामिक्स आफ मोड्रनाइजेशन इन दी इंडियन वूल टेक्सटाइल इन्डस्ट्री" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3111/64]।**

भारतीय विमान (प्रथम संशोधन) नियम

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत दिनाक 20 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 881 में प्रकाशित भारतीय विमान (प्रथम संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति, एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2112।64]।**

वणिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं वणिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 995 में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, 1964।

(दो) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 996 में प्रकाशित वाणिक नौंवहन (स्किपर तथा मछली मारने की पुरानी नौका का परीक्षण) नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3113/64]

भारतीय-लाख उपकर समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं भारतीय लाख उप-कर समिति के वर्ष 1962–63 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2955/64]**

विधि आयोग का पच्चीसवां प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं नकली स्टाम्पों, करन्सी नोटों आदि के बारे में पदाधिकारियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के बारे में विधि आयोग के पच्चीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3114/64]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में लोक-सभा में २६ मार्च, १९६४ दिये गये आंकडों में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING FIGURES GIVEN ON 26-3-1964 IN LOK SABHA IN CONNECTION WITH DEMANDS OF FOOD AND AGRICULTURE MINISTRY

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : 26 मार्च, 1964 को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए संसदीय सचिव ने किसी कृषि जर्नल से उद्धरण देते हुए कहा था कि श्री इ० एम० भोगाले, मालाद, ने गन्ने का प्रति एकड़ 238 टन उत्पादन किया है। मालूम करने पर मुझे पता चला है कि उस किसान ने अखिल भारत प्रदेशीय गन्ना फसल प्रतियोगता, 1962-63 की फसल में वास्तव में प्रति एकड़ 138.33 टन गन्ना उगाया।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 11 सितम्बर, 1964 को श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

श्री मुरारका (झुंझनू) : आज से एक वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तब भी आज की तरह विरोधी पक्ष वालों ने कहा था कि जनता का विश्वास कांग्रेस सरकार से उठ गया है। परन्तु इस बीच में लोक-सभा के लिये 10 चुनाव हुए जिन में से 7 चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिली। इसी तरह राज्य विधान सभाओं के लिये हुए 39 उप-चुनावों में 26 उम्मीदवार कांग्रेस के सफल रहे। अतः इस से सिद्ध हुआ कि विरोधी पक्ष वालों का कथन निस्सार है।

श्री नि० चं० चटर्जी ने, जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता हैं, कहा कि पिछले 17 वर्षों में सत्ताधारी दल पूंजीपतियों से अपने दल के लिये चन्दे लेता रहा है जिसके कारण उन्हें यह छूट मिलती रही है कि वह जनसमुदाय का शोषण करें। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बड़े व्यापारी इस दल में अग्रणी बन गये हैं। परन्तु जब इस सदन में आय-कर (संशोधन) विधेयक और सम्पदा शुल्क विधेयक पर बहस हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि इन विधेयकों से जनता के जीवन में आतंक फैलेगा और मृत्यु के बाद सम्पदा शुल्क विधेयक बड़ा बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि इन विधेयकों से पूंजी एवं गैर-सरकारी सम्पत्ति पर आघात होगा। सम्पदा शुल्क विधेयक को उन्होंने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के लिये एक बुराई घोषित किया था। जब सरकार ने समवाय (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रबन्ध अभिकरण

पद्धति को समाप्त करने का प्रयत्न किया तब श्री चटर्जी ने अपनी विमति टिप्पण देते हुए कहा था कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त करने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इस विधान का व्यापार प्रबन्ध पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि उन के विचारों में परिवर्तन कैसे हुआ? क्या उन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है?

उन्होंने यह कहते हुए सरकार की आलोचना की है कि वह पश्चिमी देशों से भीख मांग रही है। काश्मीर की चर्चा करते हुए उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के कपटपूर्ण उद्देश्यों की चर्चा की और कहा कि आर्थिक अथवा सैनिक सहायता के लिये कोई सौदा करना देश के लिये सम्मानजनक सिद्ध नहीं होगा। आज श्री चटर्जी के यह विचार हैं। परन्तु वर्ष 1953 में सामान्य बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यदि हमारी विदेश नीति अमरीकी हितों के अनुकूल न हुई तो पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक विदेशी सहायता हमें उस से कैसे मिलेगी। उस समय श्री चटर्जी के यह विचार थे।

श्री दाण्डकर ने कहा है कि सब कठिनाइयों का कारण यह है कि हमारी द्वितीय योजना पूर्णतः असफल रही है और तीसरी योजना असफल होने वाली है। सरकार ने स्वयं कहा है कि हम दूसरी योजना के लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सके परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि वह योजना असफल रही है। श्री दाण्डेकर ने कहा कि इस्पात संयंत्र आवश्यक नहीं हैं। परन्तु इस्पात का प्रयोग ऐसे उद्योगों में भी होता है जो कृषि विकास के लिये आवश्यक हैं। इसलिये उन का यह कथन व्यर्थ है।

भारी उद्योग के लिये जो आपत्ति की गयी है वह भी हमारी समझ से बाहर है। क्या भारी उद्योगों का विकास कृषि की उपेक्षा कर के किया जा रहा है? क्या कृषि पर खर्च होने वाला धन उद्योगों के लिये नियत कर दिया गया है? इस का उत्तर नकारात्मक है। यह ठीक है कि दूसरी और तीसरी योजनाओं में कृषि के लिये नियत राशि पहली योजना में नियत राशि से अनुपात में अपेक्षाकृत कम थी परन्तु वैसे यह राशि पहली योजना में नियत राशि से अधिक थी। पहली योजना में कृषि के लिये लगभग 700 करोड़, दूसरी योजना में 950 करोड़ और तीसरी योजना में 1750 करोड़ रुपये की राशियां नियत की गयीं। तीसरी योजना में उद्योगों के लिये 1500 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी जब कि कृषि के लिये 1700 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी। इसलिये यह कहना गलत है कि कृषि की उपेक्षा कर के उद्योगों के लिये राशियां नियत की गयीं। श्री दाण्डेकर ने सरकारी क्षेत्र की भी आलोचना की परन्तु जितनी सहायता एवं संरक्षण आज गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। हम तो चाहते हैं कि सभा इस विषय में निष्पक्ष रूप से निर्णय करे और सरकार की सफलताओं के आधार पर न्याय करे। कमियां तो हैं चूंकि कोई भी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता।

मूल्यों में हुई वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा गया कि इस का कारण सरकार की मुद्रा संबंधी नीति है। परन्तु यह बात निस्सार है। पहली बात तो यह है कि मूल्यों में वृद्धि खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई है। वास्तव में औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य 1961 की अपेक्षा 1963–64 में कम है। दूसरे, जब मुद्रास्फीती की स्थिति पैदा होती है तो निर्यात की मात्रा में कमी अवश्य होती है परन्तु वास्तव में हमारा निर्यात बढ़ा

[श्री झुनझुनवाला]

है। तीसरे, ऐसी स्थिति में उत्पादन भी कम हो जाता है परन्तु उत्पादन बढ़ रहा है, यद्यपि यह हमारे लक्ष्यों के अनुसार नहीं हुआ। जहां तक मैं समझता हूं कि आज की विकट स्थिति जमाखोरी, त्रुटिपूर्ण वितरण-व्यवस्था और जोन संबंधी नीति के कारण पैदा हुई है।

इस विषय में मैं एक, दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला काम हमें यह करना है कि अनाज की परिरक्षण व्यवस्था में सुधार हो। अनुमानों से पता चलता है कि प्रतिवर्ष कीटाणुओं, चूहों और पौदों की बीमारियों से 140 लाख टन अनाज खराब हो जाता है। हमारे देश में पौदा संरक्षण केन्द्र केवल 14 हैं। इन में यदि वृद्धि की जाय और खराब होने वाले अनाज में से 50 लाख टन भी यदि बचा लिया जाय तो पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात करना आवश्यक नहीं रहेगा। दूसरे, हमें जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है।

श्री कृपलानी (अमरोहा) : मेरे इस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन न करने के दो कारण हैं। एक यह कि यह सरकार नयी है और गत 14 वर्ष में जो बुराइयां हुई वह इसे विरासत में मिलीं। दूसरा कारण यह है कि इस वर्ष इस प्रस्ताव का समर्थन मुख्यत: साम्यवादी दल कर रहा है जिस का उद्देश्य समस्त आर्थिक साधनों का राष्ट्रीयकरण कर के अधिक से अधिक शक्ति सरकार को देना है ताकि वह तानाशाह सरकार बन जाय। परन्तु हम लोकतंत्रीय सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं। इस लिये हमारे और उन के सिद्धान्तों में परस्पर भेद है। मैं समझता हूं कि उस सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करना खतरनाक है जो पहले ही भ्रष्ट है और जनता के हित की उपेक्षा करती है।

श्री सुब्रह्मण्यम ने खाद्य स्थिति पर चर्चा के दौरान जो कुछ कहा उस से नयी सरकार के बारे में हमारे भ्रम दूर हुए हैं। उन्होंने अपने आप को ही सच्चा बतलाते हुए सभी विरोधी पक्षों और व्यक्तियों की कड़ी निन्दा की परन्तु विरोधी पक्षों को आरोपित करते हुए साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकारों को भी अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने चोरबाजारी करने वालों और जमाखोरी को भी दोषी ठहराया। इस सरकार का यह तरीका हो गया है कि वह सदैव अन्य लोगों को ही दोषी ठहराती है। जब मैं कांग्रेस में था तो मैं ने बतलाया था कि चूंकि कांग्रेस का बहुमत है इसलिये वह कानून की दृष्टि से सरकार बना सकती है परन्तु नैतिकता की दृष्टि से उसे प्रशासन को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन को चलाना कांग्रेस को आता नहीं है।

मैं ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री किस तरह केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराते हैं वर्तमान खाद्य संकट के लिये। वह कहते हैं कि सरकार ने अपने वचन के अनुसार अनाज का सम्भरण नहीं किया। इसलिये यह कहना गलत है कि यह विकट स्थिति विरोधी पक्षों की पैदा की हुई है।

आज हम देखते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उत्कल में श्री मेहताब ने अपने उत्तराधिकारियों को भ्रष्टाचार पैदा करने और फैलाने के लिये दोषी ठहराया। एक मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। बिहार में 50 विधायकों ने वहां की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। उत्तर प्रदेश में मंत्रि-परिषद् में भी ऐसे मंत्री हैं जो असन्तुष्ट हैं। पंजाब की बात मैं नहीं कहूंगा चूंकि अध्यक्ष महोदय आप भी पंजाब के रहने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मैं आपका आभारी हूं परन्तु यह सम्मान तो उत्त र प्रदेश को प्राप्त है जहां एक नारी मुख्य मंत्री हैं (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री कृपलानी : मुझे उनसे हार्दिक सहानुभूति है । वह मेरी पत्नी हैं परन्तु उन्हें स्वतन्त्र रूप से जो चाहें करने का अधिकार है ।

राजस्थान की कहानी भी इसी प्रकार की है । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वेच्छा से अपने बारे में जांच करवाने का निश्चय किया है । करनाटक में भी असन्तुष्ट लोग हैं । केरल में कांग्रेस के लोग आपस में मिल कर काम नहीं कर सके । केरल में कांग्रेस अपने हाथों ही बदनाम हो चुकी है । अन्य राज्यों के इतिहास के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । कांग्रेस वाले स्वयं अपने शत्रु हैं वे एक महान संस्था को नष्ट कर रहे हैं । एक समय था जब कांग्रेस वालों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता था । किन्तु इस समय कांग्रेस का ही कुशासन है । मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि विरोधी दल के सदस्य अड़चनें डाल रहे हैं । क्या देशभक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है ? विरोधी दल का कर्त्तव्य यह है कि वह लोगों को कुशासन के प्रति जगाये । क्या सरकार यह चाहती है कि उस समय जब कि देश में अकाल पड़ा है, विरोधी दल सरकार के गुण गाय ।

देश में आजकल क्या खराबी है ? हमें मानना चाहिये कि हमारी घरेलू और विदेश नीतियां दोनों असफल हो गई हैं । हमारी घरेलू नीतियां योजना पर निर्भर करती हैं । मैं ने कई बार कहा है कि ये योजनायें ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं की जा रहीं । इनका एकमात्र परिणाम है मुद्रास्फीति । इस समय रुपये का मूल्य केवल 17 पैसे रह गया है । विदेशी मुद्रा का संकट कैसे हल किया जायेगा ? बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हुई । असमानता बढ़ती जा रही है । सामुदायिक परियोजनाओं और सहकारी संस्थाओं की असफलता स्वयं माननीय मंत्री ानते हैं और इसके लिए कांग्रेस दल ही उत्तरदायी है ।

कोटाओं और लाइसेंसों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । इस समस्या को सदाचार समिति के द्वारा हल नहीं किया जा सकता । बात वास्तव में यह है कि स्वयं कांग्रेस में कोई सदाचार नहीं रह गया है ।

अब मैं कुछ शब्द विदेश नीति के बारे में कहूंगा । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमारी तटस्थता एक मंत्र बन चुकी है । इसके कारण हम ऐसी नीतियों का अनुसरण नहीं कर सकते, जो हमारे हित में हों । । पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा झगड़ा है । हम कैसे कह सकते हैं कि हम सही अर्थों में तटस्थ हैं ।

हमने चीनियों को पहल करने दी है और अब हम इस बात की प्रतीक्षा में हैं, कि वह हमसे कब बातचीत करता है । लंका को भी हमने पहल दे रखी है मैं ने 1950 में जब तिब्बत को समाप्त किया जा रहा था, सरकार को चेतावनी दी थी । अब फिर देता हूं कि इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया को खतरा है और इससे हमें बहुत हानि पहुंचेगी ।

श्री अ० क० गोपालन : जिन ग़ैर-ज़िम्मेदारी का प्रमाण सरकार ने खाद्य स्थिति की चर्चा के समय दिया है, उतना पहले कभी नहीं दिया । खाद्य मंत्री ने सारा दोष विरोधी दलों पर डाला है । मैं कहता हूं कि सरकार की खाद्य नीति लोगों के हितों के विरुद्ध है ।

1326 (Ai) LS—8

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

[श्री अ० क० गोपालन]

1950 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था कि 1951 के अन्त तक देश में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी। किन्तु 13 वर्ष गुजर चुके हैं और स्थिति पहले से कहीं अधिक गम्भीर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार देश में कभी समाजवाद का निर्माण नहीं कर सकेगी। इसने तो वे प्राथमिक कार्य भी नहीं किये हैं जिनसे लोगों को कुछ राहत मिल सकती। सरकारी नीतियों के द्वारा संविधान में निर्दिष्ट राज्य की नीति के निदेशक-तत्वों की सर्वथा उपेक्षा की गई है। इस समय समाज के पास उपलब्ध संसाधनों का स्वामित्व का नियन्त्रण इस प्रकार का नहीं है कि जन साधारण को उससे लाभ हो। सरकार स्वयं जानती है कि धन का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण हो रहा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार लोगों को दिये गये वचनों को पूरा नहीं कर सकी। बल्कि उसके प्रतिनिधि अपनी सफलताओं के गाने गा रहे हैं। इसी लिए सरकार लोगों का विश्वास खो बैठी है।

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पहली दो योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय में उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों का हिस्सा घटता गया है। इसके लिए सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। यदि श्रमिक लोग इस शोषण के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं तो सरकार उनको दबाने की कोशिश करती है। कृषि मजदूरों का भी यही हाल हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान वास्तविक आय की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की वास्तविक आय से 66 प्रतिशत कम है। सरकार ने महंगाई भत्ते के प्रश्न की जांच करने के लिये एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के संघ ने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनकी यह मांग है कि द्वितीय वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये महंगाई भत्ते सम्बन्धी फार्मूले में परिवर्तन किया जाये क्योंकि वह फार्मूला अनुचित है और उससे उन्हें समय पर राहत नहीं मिल सकी है। उनकी मांग है कि इस फार्मूले की जांच का काम उस आयोग को सौंप दिया जाये और उससे उसमें परिवर्तन करने के लिये कहा जाये। उनकी महंगाई भत्ते में 10 रुपये की अन्तरिम वृद्धि की मांग को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। परन्तु आखिर में सरकार को उनकी मांगों को आयोग के सामने रखने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। सरकार गैर-सरकारी उद्योगों से श्रमिकों की वास्तविक मजूरी में कमी न करने के लिये कहती रही है परन्तु वह सरकारी उपक्रमों में ऐसा करने में असफल रही है। ऐसा कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं है जहां पर कि श्रमिकों को निर्वाह मूल्य देशनांक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। वहां पर कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध भी अधिक अच्छे नहीं हैं। मैं सरकार द्वारा नियुक्त किये गये औद्योगिक न्यायाधिकरण के विचार ही यहां पर व्यक्त कर रहा हूं जो सरकार ने पिम्परी कारखाने के मामले में नियुक्त किया था।

जहां तक कृषकों का सम्बन्ध है, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर की राय में, जो योजना आयोग की कृषि पैनल के सदस्य हैं, कृषकों को अपनी उपज के उत्पादन लागत से भी कम दाम दिये जाते हैं।

जैसा कि महलनवीस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकार की नीतियों से विशेष-कर करों में बहुत अधिक छूट से गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी कम्पनियों को पनपने का अवसर मिला है। समवाय विधि प्रशासन (कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ बहुत बड़ी कम्पनियों के पास ही धन का अधिकतर संग्रह हुआ है। सरकार में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि

योजनाओं से एकाधिकारों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है । यह कहना केवल दिखावा मात्र है कि सत्तारूढ़ दल एकाधिकारों को समाप्त करने के लिये उत्सुक है । केवल समितियों की नियुक्ति से काम नहीं चल सकता, जब कि सरकार उनके सुझावों पर अमल करने के लिये तैयार नहा है । यहां तक कि सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त की गई खाद्यान्न जांच समिति की इस महत्वपूर्ण सिफारिश पर अमल करने से इन्कार कर दिया है कि खाद्यान्न व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । जिस शीघ्रता तथा जिन संसाधनों सहित केरल भूमि सुधार विधेयक पास किया गया था उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार केवल अधिक सम्पत्ति वाले वर्गों के हितों की ओर ही ध्यान देती रही है । अतः इस सरकार को बड़े व्यापारियों तथा जमींदारों की सरकार कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है ।

समृद्ध लोगों से धन प्राप्त करने की बजाय सरकार योजनाओं के लिये आम जनता से कर लगा कर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है । सरकार ने कर लगाकर जनता पर बहुत बड़ा बोझ डाला है जो सर्वथा अन्याय है । सरकार की मुद्रा सम्बन्धी गलत नीति से तीसरी योजना में मुद्रा स्फीति की स्थिति अधिक बिगड़ गई है और वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । मूल्य बढ़ने से जहां लोगों का खून चूसा जा रहा है वहां समृद्ध एवं धनी लोग पैसा जमा कर रहे हैं । मूल्यों के बढ़ने का कारण यह भी है कि प्रत्येक वर्ष आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, तम्बाकू, चाय आदि । इन के अतिरिक्त पोस्ट कार्डों के मूल्य बढ़ाये गये हैं और रेलवे किराया भी बढ़ाया गया है । इसके अतिरिक्त जितना एक सवमवाय बड़ा होता है उतना ही उस पर कर कम लगता है । इसी कारण धनी लोगों ने चोर बाजारी की और कर अपवंचन किया और अनुचित तौर पर कमाये गये धन का संचय किया है । देश में लगभग 3000 करोड़ रुपये छिपे हुए धन के रूप में पड़ा है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय अब सरकार योजना में कांट-छांट कर रही है जिससे इस सरकार में जनता का विश्वास नहीं रहेगा । बिदेशी सहायता एवं उस पर पड़ने वाले ब्याज से देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ रहा है ।

हमने कई बार मांग की है कि आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय परन्तु सरकार इस पर सहमत नहीं हुई जिसके कारण चौर्यानियन बढ़ रहा है । कम राशि के और अधिक राशि के बीजक बनाने से देश को बहुत क्षति हो रही है ।

वर्ष 1945 में गांधी जी ने टाटा और बिड़ला द्वारा फ्रांसीसियों और अमरीकी एकाधिकारियों से सहकारिता करार किये जाने पर घोर विरोध व्यक्त किया था । परन्तु आज हमारे वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी के लिये अपने द्वार खुले छोड़ दिये हैं । इससे विदेशी एकाधिकारी हम लोगों का शोषण कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी साम्य पूंजी लगाने का निश्चय किया गया है और यह नीति औद्योगिक नीति संकल्प के विरुद्ध है । अमरीकी वाणिज्य विभाग के अध्ययन के अनुसार भारत में उद्योगों में अमरीकी विनियोजन से उन को संसार भर में सब से अधिक लाभ होता है । यही दशा ब्रिटेन द्वारा लगाई गई पूंजी की है । इस से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विदेशी एकाधिकारी दे श में लूट मचा रहे हैं । सरकार देश में 4000 करोड़ के सोने और 3000 करोड़ छिपे हुए धन का पता लगाने और उसका प्रयोग करने में असफल रही है । दूसरी ओर जनता का दमन किया जा रहा है ।

केरल में, अहमदाबाद में और अन्य स्थानों पर सरकार भारत रक्षा नियम का प्रयोग जनता को दबाने और उनका दमन करने के लिये कर रही है । यह बहुत शर्म की बात है । दिल्ली में भी

[श्री अ० क० गोपालन]

कार्मिक संघ के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। यह सब निहित स्वार्थों को संरक्षण देने के लिये किया जा रहा है। इंडियन एयर लाइन्स के विमान चालकों की हड़ताल से सरकार को 2 करोड़ रुपये की क्षति हुई। यही दशा देश में अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की है। जब भी श्रमिकों द्वारा उचित मांगें सरकार के समक्ष रखी जाती हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। श्रमिकों को गिरफ्तार किया जाता है। यदि इण्डियन एयांर लाइन्स के विमान चालकों की मांग स्वीकार कर ली जाती तो केवल 15 से 20 लाख रुपये उन्हें अधिक देना पड़ता परन्तु बाद में सरकार ने दो करोड़ की क्षति उठाई। यह दो करोड़ रुपये जनता से करों के रूप में वसूल किये जायेंगे। इस तरह से जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को बर्बाद किया जाता है। जिन लोगों ने श्रमिकों का दमन किया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी।

हमारे लोकतन्त्र की दशा बहुत दयनीय है। गोंडा में हुए चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि संसदीय लोकतन्त्र का अन्त हो चुका है।

केरल में जो कुछ हुआ स्वयं कांग्रेस दल उसके लिये उत्तरदायी है। देश में जो लाखों श्रमिक हड़तालें आदि कर रहे हैं और 'बन्द' का नारा लगा रहे हैं यह जनता में फैले हुए असन्तोष के द्योतक हैं। जब से श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री बने हैं तब से देश में निहित स्वार्थों के हित की नीति अपनाई गयी है। सरकार अनाज के व्यापार को अपने हाथ में इसीलिये नहीं लेती चूंकि वैसा करने से पूंजीपतियों को हानि होगी।

सरकार जो विधान बनाती है उसे कार्यरूप नहीं देती। रेयन उद्योग के श्रमिकों के बारे में जो रिपोट विसकोस रेयन जांच समिति द्वारा दी गयी और जो सिफारिशें उस समिति द्वारा की गयीं उन पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी। सदन स्ट्रक्चरलस लिमिटेड, पट्टाभिराम, मद्रास में काम करने वाले 2500 श्रमिकों में से लगभग 2200 श्रमिक समवाय अधिनियम के उपबन्धों से बचने के लिये ठेकेदार के रूप में रखे गये हैं। ठेकेदार होने के कारण उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिल पाता। इनाम समाप्ति अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया है परन्तु पिछले दस महीनों से इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस सरकार ने जनता को जो वचन दिये थे उन्हें पूरा करने में असफल रही है और समाजवाद के नाम पर निहित स्वार्थों का हित कर रही है। अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये यह डण्डे और शस्त्रों का प्रयोग करती है। आज असहाय जनता, त्राहि त्राहि कर रही है और मुझे विश्वास है कि वह समय आने वाला है जब वह संगठित होकर इस सरकार को गद्दी से उतार देगी?

सरकार को चाहिए कि वह समय की गति को पहचान कर अपनी नीतियों में परिवर्तन लाये और जनता के हित के लिये काम करे।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निराधार असामयिक तथा गलत तरीके का है। सभा इससे पहले भी सरकार की नीति को स्वीकार कर चुकी है और इन्हीं आरोपों का खण्डन कर चुकी है। इसके बावजूद भी इस प्रकार का प्रस्ताव सभा के समक्ष लाना कानन की दृष्टि से गलत है।

हमारे खाद्य मन्त्री ने कहा है कि खाद्य संकट के समाधान के लिये देश में विश्वास का वातावरण पैदा करना आवश्यक है। परन्तु इस अविश्वास प्रस्ताव से अविश्वास का वातावरण पैदा होगा विश्वास

का नहीं। वर्तमान खाद्य संकट का कारण प्रदर्शनकारी नीति के कारण पैदा हुआ है। यह 'भारत बन्द आदि नारों के कारण ही पैदा हुआ है। मैंने स्वयं देखा कि गांवों में अनाज तो उपलब्ध है परन्तु जब वह लोग अविश्वास के वातावरण को देखते हैं तो वह अनाज वहीं रोक लिया जाता है। इसलिये मैंने कहा कि प्रस्तुत प्रस्ताव असामयिक है। यह प्रस्ताव इसलिये भी असामयिक है कि शास्त्री सरकार ने उसके तीन मास पूर्व कार्य भार सम्भाला है।

यह प्रस्ताव गलत तरीके का है चूंकि श्री शास्त्री ने पहले दिन ही बताया था कि उनका मुख्य उद्देश्य मूल्यों को गिराना होगा। विरोधी पक्ष वाले इस प्रस्ताव द्वारा उनके उस उद्देश्य को असफल बनाना चाहते हैं। यह आरोप लगाया गया कि यह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री रामकृष्ण डालमिया और श्री शांति प्रसाद जैन की याचिकायें इस सभा में कौन लाया था ? इसके बावजूद भी आज उन्हें शास्त्री सरकार पर उक्त आरोप लगाने का साहस होता है। यह आश्चर्य की बात है। यह बात स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रस्ताव बड़े-बड़े व्यापारियों से मिल कर ही सभा में लाया गया है। देश इन प्रस्तावों को राष्ट्र विरोधी कहेगा। मुझे विश्वास है कि इस चुनौती के बावजूद भी सरकार खाद्य संकट पर काबू पा सकेगी।

स्वतन्त्र विरोधी पक्ष वालों का कहना है कि आचरण, ईमानदारी और सत्य-निष्ठा को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। हमारे गृह-कार्य मन्त्री इसी भावना से काम कर रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और हमें ऐसे नेता पर गर्व है। इसीलिये मैंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव गलत है। यदि किसी विषय पर चर्चा करना वांछनीय था तो स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता था।

श्री कृपलानी ने कहा कि आज कांग्रेस दल में फूट पड़ी हुई है और मतभेद पाये जाते हैं परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी समय वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस के पश्चात उनकी विचारधाराओं में कई प्रकार के परिवर्तन आये।

खाद्य समस्या आज सबसे महत्व की समस्या है। हमें उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई सुविधायें देनी हैं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था हमें ग्रामीण जीवन को अधिक अच्छा बनाना है। कृषि को प्रथम स्थान देना है। हमें गांधी जी के सिद्धान्त को सर्वोपरि मानना है। इसी सिद्धान्त के मान कर हम प्रगति की ओर अग्रेसर होंगे।

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : All these having constructive tendencies will vehemently oppose the proposed No-confidence motion. Unity, cooperation and integrated approach are the crying needs of the hour. The problem facing as may be that of threat of Chinese invasion or of critical food situation in the country, we can face them only with confidence, unity and cooperative efforts. The coming generations will record their indiguation and even hatred of such an illtimed No-confidence Motion because it has been inspired by political motives. The proposed motion is beneficial only to our enemies sitting on our borders and to none else. Chinese retreat from our territories was mainly due to the unique feeling of unity that was displayed by our masses at that time. Today, above-all our enemies want that such Motions should be moved in order to shake the united stand of the nation.

The proposed Motion will neither help us in food problem nor that of floods. Nations, which have life and vigour and which are intent upon moving forward,

Shrimati Savritry Nigam]

do have to face problems. So are we facing today. But we have solved a number of problems in the past and the remaining we are determined to solve. We will not be deterred from our path.

Some opposition Members have demanded of the Government to resign bu ·ith which magic wand will any other party in power solve the problems tha t we face ?

Some other hon. Members were critical of our policy of importing foodgrains under PL-480. But shall I ask of them that which of the two evils is necessary. Shall we import foodgrains or let our people die of starvation ?

Sadachar Samitis have also been fired at. But again, I wish to pose a simple question : Shall we form Durachar Samitis to eliminate corruption instead of Sadachar Samitis ?

I wish some of the hon. Member from the opposition side should have suggested that a National Land Reclamation Commission should be set up to reclaim the lands which are water-logged. Also I wish some of them should have suggested recontrol on vanaspati oils since decontrol has resulted in rising prices.

I propose that a tax may be levied on people having more than three children so that population growth may be checked.

It was most unfair on the part of these Members who criticised the policies of our late lamented Prime Minister, who was an apostle of peace and made it possible for our country to win admiration and respect of other nations by pursuing the policies of non-alignment and peaceful co-existence. I am all the more surprised to hear Shri Kripalani criticising Shri Jawahar lal Nehru's policies.

The decision taken by the Government in regard to Kerala has been characterised by Shri Mukerjee as immoral. But he should have, at the same time, kept in view the discussions in his own camp. I think that decision is justful and appropriate.

I would appeal in the end, to, this House as well as to the foreign powers, not to pay much heed to this Motion, since it does not represent the true feelings of the masses. I would also appeal to the opposition Members to adopt a constructive way of looking at things.

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : विपक्षी दलों के माननीय सदस्य सभी विषयों को लेकर सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सारी समस्या को समझाने के लिये हमें गत आधी शताब्दी का इतिहास देखना होगा। सारी घटनाओं को क्रमबद्ध रख कर ही हम किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। वर्ष 1914 से 1947 तक गांधी काल रहा और 1947 से 1964 तक नेहरू काल रहा। वर्तमान समय स्थिति पर विचार करने का है। पीछे देखने से पता चलता है कि जनसंख्या बढ़ने की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे, हमारे सभी लक्ष्य अधूरे रह जायेंगे। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको अनुसन्धान द्वारा और सस्ती गर्भ निरोधक वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा ही हल किया जा सकता है।

प्रतिबक्षी दलों को केवल हानिकारक आलोचना नहीं करनी चाहिये। उन्हें सदा ठोस सुझाव देने चाहियें और सरकार को सहयोग देना चाहिये। यदि हम संसार पर दष्टिपात करें तो पता

चलता है कि हमारे देश में लोकतन्त्र की जड़े जम गयी हैं और यह हमारे राजनीतिक जीवन का एक अंग बन गया है । यह सब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे हमारे महान् नेताओं द्वारा किये गये सद्कार्यों का परिणाम है ।

जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, यह तभी हल की जा सकती है जब हम में से हर व्यक्ति श्रम की महत्ता को पहचाने और गांवों के साथ, जहां हमारी 82 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, उचित व्यवहार करें । गांवों को रहने योग्य बनाया जाये । प्रजातन्त्री समाजवाद के आलोचकों को यह याद रखना चाहिये कि यह अभी प्रयोग की अवस्था में है और जो हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री और उनके साथियों के महान् नेतृत्व में सफल सिद्ध होगा ।

अन्त में मेरा यह कहना है कि यह शान्ति और समृद्धि का युग है । भारत के किसान को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह सारे देश का पेट भर सके । भारतीय खाद्यान्नों का मूल्य ठीक प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिये । इसका मूल्य इतना कम नहीं होना चाहिये कि किसान इसे देने में संकोच करें । यह बहुत महत्व की बात है, मूल्य ठीक निर्धारित किये जायें तो कोई भी अनाज जमा नहीं करेगा और देखते ही देखते सारा स्टाक बाहर आ जायेगा । और जिस प्रकार जापान में एक-एक इंच पर सिंचाई होती है वैसा ही यहां भी होने लगेगा । मेरा निवेदन है कि इस कार्य में हमारे विरोधी पक्ष के मित्र भी सहायता कर सकते हैं यदि वह ईमानदारी से यह चाहते हैं कि गरीब और पिछड़े हुये लोगों की सहायता की जाए यदि वे सहायता करें तो सचमुच राम राज्य की स्थापना हो सकती है और सबको ज़रूरत के अनुसार रोटी रोजी और मकान मिल सकता है । मैं विरोधी दलों से अपील करूंगा कि उन्हें इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने चाहियें ।

इन शब्दों से मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

Shri Y.S. Chaudhary (Mohendragarh) : On this motion of No-confidence, several things have been said by various speakers. The basic problem is that nothing has been done by the Government during the last 17 years to improve the lot of the farmers. No initiative has been provided to them that they may be encouraged to raise their production. On the other hand every type of encouragement is being given to the Industrial sector. The protection was afforded to individual industrialists to boost up their production.

Food prices are enormously increasing and it has become impossible for the ordinary people to pull on. Whether the rise in prices is due to zones or otherwise, we all agree that the food situation in the country is serious. We have to increase our production and in this connection, I welcome the cut of 70-80 crores of rupees in the plan for this purpose.

Shri Prakash Vir Shastri has put forward his non-official bill to give an end to the official status of Kashmir in the Constitution. This is a very important matter. Our relations with Pakistan has been deteriorated owing to the Kashmir problem. But it is wrong to say that the problem will be solved by handing over Kashmir or a part of Kashmir to Pakistan. Our relations with Pakistan will not improve like this. Let me refer to Sheikh Abdullah. I could not understand the role played by Sheikh Abdullah in solving the Kashmir problem. If the Kashmir issue is preoened to please one individual, situation will take a serious turn.

I would also like to ask that Government should clarify its stand on the reported suggestion about the leasing out of the Aksai-Chin area to Chinese.

[Shri Y. S. Chaudhary]

So that public opinion could be ascertained on this matter. The Government's silence on this issue will give rise to grave apprehensions in the minds of the people.

The problem regards the infiltration of Pakistan into Assam has not yet been solved and Pakistani element is creating trouble. Government has made no effort to oust the infiltration. I urge upon the Government to take effective steps in this direction before it is too late.

I would like to draw the attention of the House to this fact. If the late Prime Minister's residence at Teen Murti was converted into memorial it would set a bad precedent. Similarly, the inscription of Shri Nehru's profile on coins would take us back to the fourteenth and the fifteenth century. Government should not have any decision on this matter on the basis of the majority it has in this House. Nehru's picture should remain in the hearts of the people and not on the coins.

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मुझे इस बात का सन्तोष है कि मेरा मंत्रालय पर उल्लेख करते हुए माननीय सदस्यों ने कुछ अधिक कटु आलोचना नहीं की । मैं यह दावा नहीं करता कि मेरा मंत्रालय बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रहा है परन्तु मानवीय दृष्टि से इस समस्या की ओर सबका ध्यान जाना चाहिये और सभी दलों का सहयोग इस कार्य के लिये मिलना चाहिये । सभी को मालूम है कि इस मंत्रालय का कार्य बेघर हुए लोगों को घरों में बसाना है, उनका पुनर्वास करना है । मुझे इस बात दुख है कि इस बात के बावजूद कि मैंने सभी दलों के सदस्यों से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सुझाव देने के लिये कहा है, फिर भी कुछ विरोधी दलों के सदस्यों ने कटु आलोचना की है । कुल 681611 लोग भारत आ चुके हैं । दो हजार व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से औसतन आते रहे हैं । बच्चों और औरतों की हालत शोचनीय है । हमें उनसे बहुत सहानुभूति है ।

श्री चटर्जी के इस कथन से मुझे बहुत ही दुख हुआ है कि सरकार शरणार्थियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती और उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार कर रही है । सचमुच यह बहुत आश्चर्य की बात है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है सभी शरणार्थियों को तुरन्त बसाना संभव नहीं है । संकट काल में सरकार को सबसे पहले लोगों को बसेरा, भोजन और चिकित्सा सुविधा देने का ध्यान रहता है । पांच हजार से अधिक लोगों को कोई न कोई रोजगार दिया जा चुका है । विभिन्न राज्यों ने लगभग 15,000 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है ।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को न बसने देने के लिये सरकार पर जो आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं । विभाजन के समय 41,32,000 को पश्चिम बंगाल में ही बसाया गया । विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिये प्रति कर देने के बारे में दोनों देशों के गृह मंत्रियों की अगली बैठक में विचार किया जायेगा । उस बातचीत के जो भी परिणाम होंगे, वे सभा के समक्ष रखे जायेंगे ।

वर्षा ऋतु के कारण राज्य सरकारों द्वारा दी गई भूमि के कृषि योग्य बनने का कार्य सम्भव नहीं हो सका । जब भी कृष्य करण-कार्य पूरा हो जायेगा, सरकार वहां पर विस्थापित व्यक्तियों को बसायेगी । अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी पर्याप्त संख्या में लोगों को बसाया जायेगा । फिर भी कृषि में हर कृषक को स्थान देना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि में से 80 प्रतिशत कृषक हैं और उन सब के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है ।

श्री चटर्जी महोदय ने दंडकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में भी आलोचना की है। प्राधिकार के अध्यक्ष के त्याग पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है और कहा है कि उन्हें त्याग पत्र देने पर बाध्य किया गया है। उसके बारे में मैं यहां लम्बा विवरण तो प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसके बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख देता हूं। श्री चटर्जी ने कहा है कि उन्होंने प्राधिकार के कार्य में कुछ दोष निकाले थे, यह गलत बात है। न ही भ्रष्टाचार के ही कोई मामले उन्होंने बताये थे। अपने त्याग पत्र में उन्होंने प्रथम और अन्तिम बार कुछ मामलों का अवश्य उल्लेख किया। वह नौ साल पूरी सत्ता के मालिक थे, इन भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे खेद है कि वह पद पर न रहे, वैसे वह ईमानदार व्यक्ति थे और मैं उनका प्रशंसक हूं। मैं इस सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखता हू।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : केवल एक वर्ष बीतने के पश्चात् ही यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी सदस्य इस मामले में राज्य विधान सभाओं की नकल करना चाहते हैं। परन्तु इस अविश्वास प्रस्ताव पर अधिक गरमा गरमी नहीं होने वाली है।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए)
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

इसका कारण यह है कि यह प्रस्ताव ठीक समय पर उपस्थित नहीं किया गया है। देश अभी अपने प्रिय नेता श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के कारण शोक मग्न है और इसलिये जनता इस प्रस्ताव के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखा सकती। विरोधी दलों को कांग्रेस में अविश्वास की बजाय आस्था प्रकट करनी चाहिये थी क्योंकि उसने राष्ट्रीय संकट के समय लोकतंत्र की जड़ें नहीं हिलने दीं।

देशवासियों को यह पूछने का अधिकार है कि क्या विरोधी दल सरकार की बागडोर संभालने की स्थिति में है। विरोधी दल अपने आपसी संकटों में फंसे हुए हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी समाप्त हो गई है और उसके कुछ योग्य व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। साम्यवादी पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि रूस और चीन के आपसी मतभेद दूर नहीं हो जाते। विरोधी दलों के इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य केवल वर्तमान कठिन परिस्थिति का लाभ उठाना है। श्री नि० चं० चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जान-बूझ कर पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से बाहर बसाने का प्रयत्न किया है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उनका यह आरोप लगाना राष्ट्रीय हित में है। जब पश्चिम बंगाल में उन्हें बसाने के लिये भूमि नहीं है तो क्या उन्हें अन्य राज्यों में भी नहीं बसाया जाना चाहिये ? अन्य राज्यों के लिये, जहां पर भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या अधिक है, शरणार्थियों को बसाना आसान नहीं है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में तेराई जंगलों को पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को बसाने के लिये साफ किया गया था परन्तु देश के विभाजन के कारण वहां पर शरणार्थियों को बसाना पड़ा। अब भी काफी शरणार्थी परिवारों को वहां पर बसाया गया है। अभी हाल में जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर गया तो भूमिहीन व्यक्तियों ने तेराई क्षेत्र में उनके न बसाये जाने के बारे में मुझ से शिकायत की। परन्तु मैंने उनको लताड़ा क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या के बारे में हमें राष्ट्रीय तरीके से सोचना चाहिये। परन्तु श्री चटर्जी के इस रवैये से मैं असमंजस में पड़ गया हूं कि उन लोगों को अब मैं कैसे सन्तुष्ट कर सकूंगा।

[श्री कृ० चं० पन्त]

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की स्थिति काफी खराब है और वहां पर बीज के लिये भी अनाज उपलब्ध नहीं है। आशा है कि खाद्य मंत्री इस स्थिति को सुधारने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे।

मैं श्री प्र० के० देव के भाषण को सुन कर दंग रह गया कि हमें प्रतिरक्षा पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिये और पश्चिमी गुट में शामिल हो जाना चाहिये। इस प्रकार की बातों से भारत जैसे महान देश का गौरव बढ़ता नहीं। स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों के भाषणों से ऐसा लगता है कि वह सरकार की तारीफ करके उसे अपनी ओर खींचना चाहती है। इसके विपरीत श्री हीरेन मुकर्जी ने श्री शास्त्री पर यह आरोप लगाया है कि वे भूतपूर्व प्रधान मंत्री की नीतियों का पालन नहीं कर रहे है। परन्तु इसके लिये देश श्री मुकर्जी के निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करेगा अपितु वह श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उनके निकटतम विश्वासपात्र रहे हैं, तथा वर्तमान सरकार जो कि बिल्कुल वही है जो श्री नेहरू के समय थी, पर ही निर्भर करेगा। पंडित जी की नीतियां उनकी निजी नीतियां नहीं थी हालांकि उन्हें बनाने में उनका काफी हाथ था। ये नीतियां सारे लोकतंत्र की हैं जो गांवों तक फैला हुआ है जो काफी परखी जा चुकी हैं। स्वतन्त्र तथा साम्यवादी पार्टी के सदस्यों को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि उनकी प्रशंसा अथवा आलोचना से कांग्रेस श्री नेहरू द्वारा दिखाये गये रास्ते से विमुख नहीं हो सकती है। नई सरकार को यह अधिकार है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वह अपनी नीति में परिवर्तन करती रहे।

श्री मुकर्जी ने कुआला लुमपुर में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा अपनाये गये रवैये के बारे में आपत्ति की। सीधी सादी बात है कि मालेशिया ने संकट के समय हमारा साथ दिया और हम उसके आभारी हैं। श्री मुकर्जी ने अधिक उत्पादन तथा अधिक बड़ी योजना की वकालत की है। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं क्योंकि यही हमारी समस्याओं का एक मात्र समाधान है। परन्तु उसके लिये हमें अधिक धन की आवश्यकता है। यदि हम अपने संसाधनों से अधिक की योजनायें बनायें तो वे हम पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेने का आरोप लगायेंगे और यदि हम विदेशों से सहायता मांगेंगे तो हम पर देश को विदेशी साम्राज्यवादियों को बेचने का आरोप लगाया जायेगा। यदि साम्यवादी हड़तालों आदि करने के लिये मजदूरों को न भड़कायें तो उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। अतः श्री मुकर्जी को अपनी पार्टी के आदमियों को सलाह देनी चाहिये कि वे अधिक उत्पादन तथा अधिक बचत करने की दिशा में सरकार के हाथ मजबूत करें। यदि हमें देश में वह दिन लाना है जब कि प्रत्येक देशवासी की न केवल अत्यावश्यक आवश्यकतायें पूरी हो सकें अपितु उसे इससे भी अधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें तो हम सब को मिल कर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करना चाहिये।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर): समाचार पत्रों ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिये यह समय उचित नहीं था। वर्तमान सरकार को और अधिक समय दिया जाना चाहिये था। "स्टेट्समैन" के अनुसार, हालांकि खाद्य संकट, मूल्य नीति तथा आयोजना के प्रति लोगों में बहुत क्षोभ है लेकिन शास्त्री सरकार ने उनको हल करने की सच्चे दिल से कोशिश की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विरोधी दल इसे एक वार्षिक घटना बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे लोगों की शिकायतों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परन्तु कांग्रेस भी देश के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती है और वह लोकतन्त्र की रक्षा के प्रति हर समय जागरूक है।

मुझे नहीं मालूम कि श्री हीरेन मुकर्जी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि शास्त्री सरकार श्री जवाहरलाल की नीतियों का पालन नहीं कर रही है। परन्तु कम से कम यह बात सराहनीय है कि विरोधी दल इस प्रस्ताव के लिये 50 से अधिक मत एकत्र करने में सफल हो गये। कुछ स्वतन्त्र सदस्यों ने अपने को इस प्रस्ताव से अलग रखा है। स्वतन्त्र पार्टी के वक्ता श्री दांडेकर ने कहा कि सरकारी उपक्रम बिल्कुल असफल रहे हैं और कृषि की उपेक्षा की गई है, आदि। परन्तु पहली योजना में कृषि के लिये 70 करोड़ रुपये, दूसरी में 10 करोड़ तथा तीसरी योजना में यह राशि बहुत बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि योजनाओं की कार्यान्विति में कहीं पर कोई त्रुटियां रह गई हों कृषि हमारा मूल उद्योग है और कुछ अन्य उद्योगों भी अपने कच्चे सामान के लिये कृषि उद्योग पर निर्भर करते हैं। बाहर से कच्चे माल तथा खाद्यान्न का आयात करके भी हम देश की मांग को पूरा नहीं कर सके हैं। फिर भी हम देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

विरोधी सदस्यों ने मूल अधिकारों के हनन की शिकायत की है परन्तु मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना ज़रूरी है ताकि नागरिक उन अधिकारों का लाभ उठा सकें।

हम यहां पर जो भी कानून पास करते हैं वह इस सदन के माननीय सदस्यों की अन्तिम राय होती है और हमारे समाज तथा अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का द्योतक है। श्री नि० चं० चटर्जी ने यह आरोप लगाया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों आदि के अन्तर्गत लोगों के मूलभूत अधिकारों पर कुठारघात किया गया है। परन्तु लोकतंत्र को जीवित रखने के लिये समाज-विरोधी तत्वों को दबाना बहुत जरूरी है। हां, कुछ हद तक उनकी यह आपत्ति उचित ठहराई जा सकती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का कभी कभी ठीक तरह पालन नहीं किया जाता है। विरोधी दलों के सदस्यों को एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये।

काश्मीर तथा देश की अखण्डता का भी यहां पर उल्लेख किया गया है। हमारे प्रधान मंत्रि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब से जल्दी ही बातें करने जा रहे हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें। नागालैंड में भी शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हमारी नीति सिद्धान्तों का बलिदान किये बिना प्रत्येक देश से शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की है। विरोधी सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने संकटकालीन स्थिति का ढोंग रचा हुआ है अतः उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि उन्हें इस तरह के भाषण देने की स्वतंत्रता है क्योंकि भारतीय संविधान में विशेषकर संसद-सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है।

जहां तक पूर्वो पाकिस्तान तथा अन्य भागों से आये शरणार्थियों को बसाने के प्रश्न का सम्बन्ध है मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बसाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे। जहां तक सरकार की कराधान नीति का सम्बन्ध है, भारत के सिवाय कोई भी देश 80 प्रतिशत आय कर के रूप में वसूल नहीं कर रहा है। यह हो सकता है कि कर वसूल करने की प्रणाली में कुछ त्रुटियां हों। हम शक्ति के बल पर धनी लोगों की सम्पत्ति छीन कर अन्य लोगों में बांटने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु हम लोकतंत्री तरीकों से राष्ट्रीय आय सभी लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं।

[श्री सरोजिनी महिषी]

श्री दांडेकर ने कहा कि पंचायत, तालुक तथा जिला स्तर पर नीतियों में विरोधाभास है परन्तु सत्ता के विकेन्द्रीकरण से आरम्भ में ऐसी कठिनाइयों का पेश आना स्वाभाविक है। लोग आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र के महत्व को समझ जायेंगे और इस देश में लोक तंत्र की जड़ें मजबूत हो जायेंगी। यदि विरोधी दलों के सदस्यों का यही रवैया रहा तो वे लोगों विश्वास खो बैठेंगे और अविश्वास प्रस्ताव का महत्व भी खत्म हो जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल–भारतीय) : मेरे इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का सब से बड़ा कारण यह है कि यह प्रस्ताव अनुशासनहीनता का परिचायक है। इस समय न केवल विरोधी दल के सदस्य हीं अपितु कांग्रेस के सदस्य भी अराजकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इस समय देश में सब से अधिक आवश्यकता अनुशासन की है। अनुशासनहीनता ही देश की अखण्डता तथा प्रगति में सब से अधिक बाधक है। हमारे देश में अनुशासन का स्रोत राजनीतिज्ञ ही हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। प्रति दिन हमें समाचारपत्रों में पढ़ने को मिलता है कि फलां विधान मण्डल में राजनीतिक अराजकता का प्रदर्शन किया गया।

मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि देश के विधान मंडलों में भी राजनीतिक गुंडागर्दी आरम्भ हो गयी है। इसके कारण विधान मंडलों की देश में भारी बदनामी हो रही है। विद्यार्थियों की गुंडागर्दी भी देश में आम हो रही है। विद्यार्थियों की गुंडागर्दी को कुछ राजनीतिक भी हवा देते हैं। आज देश में सर्वत्र शोर मच रहा है, अशांति और अनुशासनहीनता का बोलबाला है। मैं इस बात को जानता हूं कि कुछ राजनीतिक दल तो अशांति पैदा करके और गड़बड़वाला वातावरण निर्माण करके ही जीवित रह रहे हैं। पर मैं यह महसूस करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस अनुशासनहीनता को बन्द करें। मेरा यह मत है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कि राष्ट्रपति का शासन लागू करके ही जनसाधारण को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है।

श्री चटर्जी मेरे कानूनी व्यवसाय के सहयोगी हैं। भावावेश में उन्होंने कह दिया कि यह सरकार समाप्त हो जाय तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। परन्तु खेद है कि श्री चटर्जी ने इस सरकार का कोई विकल्प नहीं बताया। तनिक यर्थाथवादी दृष्टिकोण से देखिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विभिन्न प्रकार की कमजोरियों और कमियों की सर्वत्र शिकायत पाई जाती है। इस पर भी यह सच है कि कांग्रेस दल ने देश को संकट से बचाये रखा है। इसने जनता को थोड़ी यर्थार्थ राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। उसने देश में संसदीय परम्पराओं तथा आदर्शों का निर्माण किया है। मैंने यह महसूस किया है कि कांग्रेस दल में जो भी कमियां हैं, वे इस लिए हैं कि वह बहुत लम्बे समय से सत्तारूढ़ है। अधिक देर सत्ता की कुर्सी पर रहने से कुछ शक्ति का नशा आ ही जाता है। यह इतिहास की बात हैं कि हमारी ढांचा एक ही ढंग का है और कोई राजनीतिक दल नहीं जिसे सत्ताधारी दल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाय। यद्यपि देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था है परन्तु कोई वैकल्पिक दल ही नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि देश में लोकतंत्र के अस्तित्व को सब से बड़ा जो खतरा है वह सर्व व्याप्त भ्रष्टाचार का है। मेरे विचार में संगठित राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। मेरे विचार में व्यापारियों द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के दान पर लोक लगायी जानी चाहिए। यदि ऐसा सम्भव नहीं तो यह तो कर ही दिया जाना चाहिए कि ऐसा कानूनी उपबन्ध हो जिसके अनुसार दिया गया प्रत्येक दान लेखे के लेखा परीक्षित विवरण में दिखाया जाय। और जब भी सम्भव हो उसकी सार्वजनिक जांच की जा सके। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का यह कानूनी उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे अपनी आस्तियों की घोषणा करें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

शिक्षा की व्यवस्था को व्यापक बनाया जाय। सिद्धान्त की बात है कि लोकतंत्र के संचालन के लिए पहली आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक अवश्य शिक्षा मिले। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस ओर सब से अधिक ध्यान देना चाहिए। आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ने वाली आबादी को रोकने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। "वैद्य गर्भपात" के प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना होगा। आज जितनी कीमतें बड़ी हैं उतनी विगत दस वर्षों में नहीं बढ़ी हैं। ये 25 प्रतिशत बड़ी हैं। यह जटिल प्रश्न है, इसके लिए केवल सरकार को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं। इस मामले के उपचार के लिए हम एकमत ही नहीं है। विरोधी दल भी एकमत नहीं हैं।

विदेशी मामलों में हम नेहरू जी की तटस्थता की नीति पर ही चलेंगे, यह रास्ता ठीक ही है। विकसित अर्थ व्यवस्था के लिए यही नीति लाभदायक रहती है। चीन के विस्तारवाद का खतरा बहुत बड़ा है। हमें पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता कर लेना चाहिए। यह ठीक है कि यह समझौता झुकने वाली शर्तों पर नहीं बल्कि दोनों ओर के बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किये गये किसी निर्णय के आधार पर किया जाना चाहिए। हमें अपने नये प्रधान मंत्री को पूरा अवसर देना चाहिए कि वह देश को अपनी नीति के अनुसार आगे ले जायें।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): The motion of no-confidence put forward by the opposition parties is either against the Government of the Congress party or against the Shastri Government.

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए
SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair*]

In both ways I can refute the arguments put forward by the opposition parties. Last time also when the motion of no-confidence was put forward, it was stated that the Congress party may have a majority here in this House, but outside it has forfeited the confidence of the masses of the country. It was

[Shri M. L. Dwivedi]

sufficient to open the eyes of the opposition to see that 1962 Congress won the General Elections. Results of the elections clearly demonstrated to all concerned that the Congress party enjoyed the support of the vast majority of the people. Owing to that it was returned to power for the third time. Recently there have been some bye-elections, both to the Lok Sabha and the State Legislatures. As usual the Congress recorded an impressive win.

It is quite clear that the motive behind the motion was only to malign the Government and to take capital out of the present situation. I may humbly state that the opposition parties must also clearly understand that our present Prime Minister enjoyes the fullest support of the Congress party. I am confident that their attempt to create dissention among the congress party will not succeed. It is absolutely wrong to say that the Government are not doing anything to solve the difficulties on the food front. It had opened fair price shops for foodgrains which has given much needed relief to the people.

No-confidence motion has no meaning if ultimately no alternative Government is formed. It is simply impossible for the opposition parties either individually or jointly to form any alternative Government. Even among those parties themselves there are acute idological differences and dissensions. But in spite of all they had the temerity to being forward the motion by doing so. By doing this they have lowered their own prestige.

It is fact, beyond any doubt that the congress party is the most disciplined and united party today. At the same time it does not show any rigidity in its attitude. The party had laid down firm foundation of democracy in the country. Congress was even prepared to learn even from the opposition parties provided they had anything to offer by way of constructive suggestions. But, it is really very unfortunate, that opposition parties have no constructive programmes or policies. That was why so many persons belonging to those parties were eager to come into the Congress party.

I urge upon the opposition parties to withdraw the motion, and I very strongly oppose the motion.

Shri Balmiki (Khurja) . At a time when the country is faced with difficulties all around, it would have been better for the friends in the opposition not to have brought this motion. They ought to have extended cooperation to the Government, I am of the opinion that any attempt to incite disaffection against the Government was very unfortunate. The present Government headed by Shri Lal Bahadur Shastri enjoys the complete confidence of the people. A few people of the opposition may be of the opinion that this Government should go, but the vast majority of the people are not of this view.

I am of the opinion that only this Government can do something to solve the problems of agriculturists, labourers and the people belonging to the backward classes. There are the people who are the backbone of the country and the nation, the Government should try to improve their conditions. I also want to draw the attention of the Government to the difficulties of the landless labour. I urge that Government should give more attention to the problems of these people. It is very necessary in the interest of democary that the lot of ordinary people should improve.

I admit that there is food scarcity and the rise in prices. I am also of the opinion that the Government must take all steps to increase food production and that could be done by giving necessary incentives to the producers and the

labourers. I should also urge that the system of distribution of food grains and other food articles should be improved. We are not increasing production in proportion to the increase in population. Sometimes so many constructive plans fail due to this factor The increase in the population should be effectively controlled.

In the end I also want to state that Government is giving great attention towards fertilizers, but ordinary should also be attended to.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम): विरोधी पक्ष लोग इस प्रस्ताव पर बोलते हुए अपनी भी परस्पर निन्दा करते जाते हैं। इससे हमारा कार्य तो सरल हो जाता है। उनको एक दूसरे से भय है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। श्री दांडेकर कहते हैं एक कांग्रेस साम्यवादी हो जायेगी और ही० ना० मुकर्जी का कहना है कि कांग्रेस नेहरू के पथ से विचलित हो रही है। तथ्य यह है कि हम किसी कोरे सिद्धान्त के पीछे नहीं जायेंगे। हम श्री नेहरू और गांधी जी की नीति का आचरण करेंगे। जब विगत बार श्री कृपालानी ने अविश्वास प्रस्तावप्रस्तुत किया था तो श्री ही० ना० मुकर्जी ने उसकी निन्दा की थी, परन्तु आज वह स्वयं ही अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

इसी संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह कहना गलत है कि कांग्रेस दल पर बड़े व्यापारियों का कब्जा है। कांग्रेस दल किसी व्यक्ति को इसका सदस्य बनने से मना नहीं करता। केवल एक ही शर्त है कि सदस्य बनने वाला व्यक्ति उसकी विचारधारा और सिद्धान्तों में विश्वास रखता हो। विदेशी नीति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हमने निरन्तर यह प्रयत्न किया है कि हमारे अपने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध मजबूत हों।

सभापति महोदय: माननीय सदस्या अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार 16 सितम्बर, 1964/भाद्र 25, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 16th September, 1964/Bhadra 25, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—1326 (Ai) LSD—21-10-64—600.